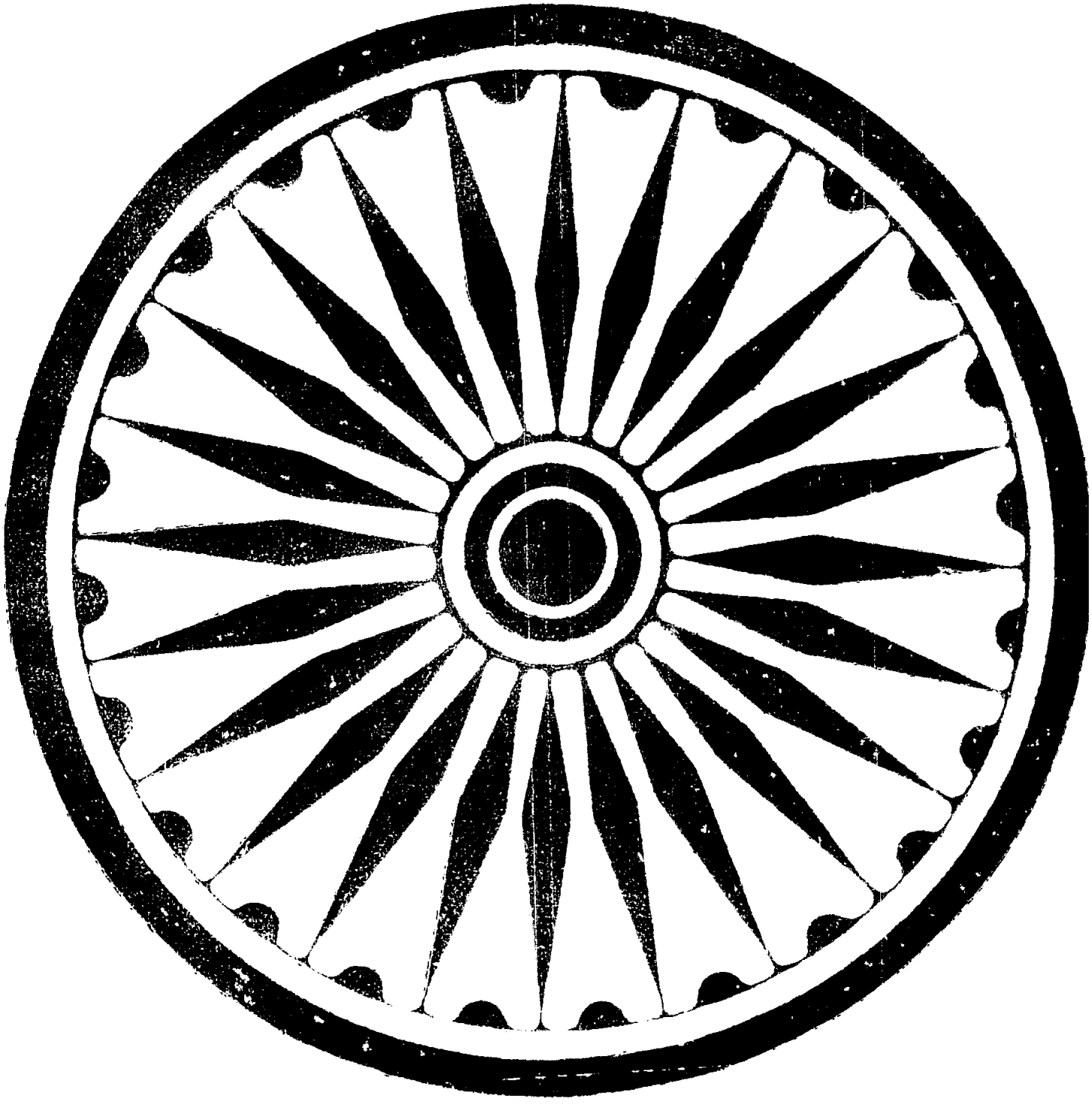

खतबनाम ठाकुरअहीर इला

के जोधपुर

स्वस्तिश्री सर्वोपमा ठाकुरां श्री जसवंतसिंहजी जोग
राजश्री करनेल वलयम फ्रीडरीक ईउनसाहिब
बहादुर लिखावतु मुजरो बांचजो अठाका समा
चार भला छे राजका सदा भला चाहीजे अपरंच
राजका खत लिखा हुआ मिती जेठ बद ३ सम्वत
१९२२ का पोंहचा खुशी हुई राज नहमारी मुलाका
तका शौक लिखा सो मालूम होकर राज कु लिखा
जाता है कि हमकु भी राजसे मुलाकात करखु
शी हासिल करने की आरजू है परंतु हमनामु
लाकात का वकत पर मुनहसिर है सो जानसी और
खुशी का कागज लीखबो करागा तारीख
१६ मै सन १८६५ ई

खत बनाम ठाकुर अहीर इलाका जोधपुर, 1865

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका

वर्ष 3 | अंक--11-12 | अक्टूबर 80--मार्च, 1981

संपादक
राजमणि तिवारी

○

उप संपादक
हरिहर प्रसाद द्विवेदी

○

पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल),
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.

○

फोन : 617807

○

पत्रिका में प्रकाशित वैयक्तिक लेखों में व्यक्त विचारों से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

○

[निःशुल्क वितरण के लिए]

—oo—

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
अपनी बात		2
1--अनुवादक का दायित्व	--श्री जयनारायण तिवारी	3
2--राजभाषा हिंदी : परंपरा और विकास	--डॉ० भोलानाथ तिवारी	7
3--पूर्ति विभाग में राजभाषा हिंदी की प्रगति	--श्री ब्रजेशचन्द्र माथुर	9
4--प्रेमचंद और राष्ट्रभाषा हिंदी	--डॉ० रत्नाकर पांडेय	10
5--बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग	--डॉ० सूर्यमणि पाठक	13
6--हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली--एकरूपता के संकल्प की आवश्यकता	--श्री प्रमोदशंकर भट्ट	15
7--संपदा निदेशालय और राजभाषा हिंदी	--श्री दीनानाथ असीजा	18
8--जनता की भाषा में जनता की सेवा : यूको बैंक का संकल्प	--श्री जगदीश नारायण पाठक	20
9--कार्यालयीन हिंदी : टिप्पणी लेखन	--श्रीमती ना० ज० राव	23
10--वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख :		
(1) प्रशीतन (क्रायोजन) और उसकी उपलब्धियाँ	--श्री गोपाल कृष्ण गोयल	25
(2) नव साक्षरों के लिए अनुवर्ती साहित्य	--श्री जीवन नायक	29
11--राजभाषा संबंधी समितियाँ		
(1) केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नवीं बैठक के प्रमुख निर्णय		33
(2) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के छठवें अधिवेशन के कुछ निर्णय		36
12--हिंदी के बढ़ते चरण :		
(1) महालेखाकार (नागालैंड और कोहिमा) के कार्यालय में हिंदी का प्रयोग	--श्री आनन्द शंकर	38
(2) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में हिंदी--एक झाँकी	--श्री प्रेमदयाल गुप्त	38
(3) हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में हिंदी की प्रगति	--श्री आर० के० चतुर्वेदी	40
(4) बैंक ऑफ इंडिया, अहमदाबाद में हिंदी की एक झलक	--श्री एन०सी० नवीन	42
13--समाचार		43
14--आदेश-अनुदेश		50
15--पाठकों के पत्र		51
16--कार्यालयीन हिंदी की जानकारी बढ़ाइए		54

अपनी बात

शताब्दियों से भारतीय संत और महात्मागण अपने परिभ्रमण के दौरान देश के कोने-कोने में बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते आए हैं इतना ही नहीं, हमें ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के सैंकड़ों वर्ष पहले भी राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता था। इसके प्रमाण स्वरूप हम इस अंक के कवर पृष्ठ-2 पर 16 मई, 1865 को ठाकुर अहीर, इलाका जोधपुर और कवर पृष्ठ 3 पर 17 अप्रैल, 1865 को महाराजा बीकानेर को लिखे गए पत्रों के नमूने प्रकाशित कर रहे हैं। उस समय की हिंदी का स्वरूप और शैली भले ही भिन्न रही हो, परन्तु इस साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजकाज में हिंदी का प्रचलन स्वत: प्रमाणित हो जाता है। इस सम्बन्ध में, इस अंक में प्रकाशित डॉ० भोलानाथ तिवारी के लेख "राजभाषा हिंदी : परंपरा और विकास" से हिंदी के सरकारी कामकाज के प्रयोग के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाकर इसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया है।

भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को देश की सामासिक संस्कृति की संवाहिका के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण इसके वर्तमान स्वरूप में व्यापकता आ गई है, क्योंकि इसमें सभी भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनाने का प्रावधान है। चूँकि हिंदी की प्रकृति प्रारंभ से ही सार्वदेशिक रही है, इस बात को ध्यान में रखकर सरकार की भाषा नीति लचीली रखी गई है, ताकि प्रशासन की भाषा कामकाजी और प्रयोजन मूलक होने के साथ-साथ सहज, सरल, सुबोध और जनता की भाषा बनी रहे। इस प्रकार से विकसित हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में ही नहीं बल्कि जनसंपर्क और राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में भी एक सशक्त कड़ी का काम कर सकेगी। भुवन वाणी ट्रस्ट जैसी संस्थाओं ने विभिन्न भाषाओं के ग्रंथों को नागरी लिपि में सानुवाद प्रकाशित कर इस कड़ी को और भी मजबूत किया है।

"राजभाषा भारती" के अब तक प्रकाशित दस अंकों में दी गई सामग्री के माध्यम से यह भी देखा जा सकता है कि अनेक सरकारी कार्यालयों, बैंकों, उद्यमों, निगमों, आदि में हिंदी का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है और कर्मचारी स्वेच्छा से इसे अपना रहे हैं। चूँकि हमारे देश की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार है अत: किसी भाषा को किसी पर थोपने का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार की इस उदार नीति का ही परिणाम है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है और वे इसके विकास के लिए भरसक प्रत्यन कर रहे हैं। राजभाषा विभाग में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों से पता चलता है कि हिंदी में पत्र-व्यवहार करने और विशिष्ट कागज-पत्रों के द्विभाषिक रूप में जारी करने की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न अनुभागों में भी हिंदी में काम होने लगा है और न्यूनाधिक मात्रा में वरिष्ठ अधिकारी भी हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं। अत: यह कहना अनुचित नहीं होगा कि संघ सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

हमारा बराबर यह प्रयास रहा है कि इस पत्रिका में राजभाषा हिंदी के सांविधानिक, सांविधिक, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक सभी पहलुओं पर महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित की जाए जिसके माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रयोग की सही झाँकी उपलब्ध हो सके। आशा है इससे आदान-प्रदान की गति तेज होगी और इस संबंध में महसूस की जाने वाली कमियों का आकलन करके भविष्य में नए एवं कारगर कदम उठाने के लिए प्रयास किए जा सकेंगे।

—संपादक

अनुवादक का दायित्व

—जयनारायण तिवारी

सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार

भारत एक ऐसा देश है जिसमें भाँति-भाँति के लोग, तरह-तरह के धर्म वाले लोग, विविध भाषाएँ बोलने वाले लोग और विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग मिलकर रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे इस सम्पूर्ण विविधता के पीछे कोई एकता अवश्य है। देश की राजभाषा का स्वरूप निर्धारित करते समय, इस एकता के सूत्र का ध्यान रखना आवश्यक है।

स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी राज में भाषा की समस्या भिन्न ढंग से सुलझाई गई थी। उन्होंने तो अंग्रेजी को राजकाज की भाषा के रूप में थोप दिया था। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि जन-साधारण राजकाज में हिस्सा ले या न ले। उनको तो केवल कुछ थोड़े से ऐसे लोग चाहिए थे जो राजकाज में उनकी सहायता कर सकें, कार्यालयों का काम कर सकें और उनकी नीतियों का अनुसरण करके शासन चला सकें। जिन थोड़े से लोगों की इस काम के लिए आवश्यकता थी उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूल और कालेज खोल दिए गए। इनमें शिक्षा पाकर आने वाले भारतीय शासक-वर्ग की सहायता करने लगे। भारत आजाद हुआ तो हमको विरासत में इसी प्रकार का शासन मिला जिसमें अंग्रेजी राजभाषा थी।

राजभाषा और जनता

परन्तु स्वाधीनता के बाद हमारे देश का राजनैतिक ढाँचा बदल गया। हमारे कर्णधारों ने जो योजना बनाई वह इस आधार पर थी कि देश में लोकतंत्र होगा और ऐसा शासन होगा जिसमें समाज के सभी लोग हिस्सा ले सकें, सभी लोग अपनी बात शासन तक पहुँचा सकें। यह तभी सम्भव है जब राजकाज की भाषा ऐसी भाषा हो जिसे जनता का काफी अधिक भाग समझ और बोल सके। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है जिसे हमारे देश ने अपनाया और क्योंकि अंग्रेजी के जानने वालों की संख्या बहुत ही छोटी है, यह स्वाभाविक था कि संघ के राजकाज के लिए स्वतंत्र भारत में किसी भारतीय भाषा को स्वीकार किया जाता।

महात्मा गांधी ने तो स्वतंत्रता प्राप्त होते ही कह दिया कि छः मास में अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग शुरू कर दिया जाना चाहिए। शायद ऐसा कर दिया गया होता तो अब तक सफलता भी मिल गई होती। परन्तु अधिकतर लोगों को लगा कि तत्काल अंग्रेजी को हटाने से कई कठिनाइयाँ आएँगी। इसलिए संविधान में व्यवस्था हुई कि अंग्रेजी को 15 वर्ष तक और राजकाज की भाषा बना रहने दिया जाए।

संपर्क भाषा

अंग्रेजी हमारे दो काम करती थी—एक राजभाषा का और दूसरा लिंक लैंग्वेज अर्थात सम्पर्क भाषा का। यह बात जाहिर है कि हिंदी हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में प्रयुक्त

सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, श्री जयनाराण तिवारी पदक देते हुए

(केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के छब्बीसवें सत्र के दीक्षांत समारोह के अवसर पर अनुवादकों के दायित्व पर सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, श्री जयनारायण तिवारी ने अपने दीक्षांत भाषण में विस्तृत प्रकाश डाला। सामान्य संपादन के साथ उनका भाषण सबकी जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है—संपादक)

होती है और हिंदुस्तान की काफी अधिक जनता ऐसी है जो हिंदी को मातृभाषा के रूप में जानती है या उसे बोल-समझ सकती है। फिर भी देश में ऐसे अनेक प्रदेश है जहाँ स्थानीय भाषा ही समझी जाती है और वहाँ का राजकाज वहाँ की स्थानीय भाषा में ही चलाया जा सकता है। अतः वहाँ की राजभाषा हिंदी नहीं बनाई जा सकती। वहाँ की स्थानीय भाषा को ही वहाँ की राजभाषा बनाना अधिक उचित होगा।

फिर भी संपर्क भाषा के रूप में तो हिंदी का प्रयोग उस समय आवश्यक होगा ही जब केंद्र में अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले ले। हाँ, केंद्र में एक भाषा का होना जरूरी है। देश का शासन अनेक भाषाओं में नहीं चलाया जा सकता। चूँकि हिंदी सबसे ज्यादा लोगों की मातृभाषा थी, और लगभग सारे देश में इसका प्रचार भी है इसलिए हिंदी को ही केंद्र की राजभाषा के रूप में चुना गया। हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में एक और विशेषता यह है कि भारत के हिंदीतर भाषा-भाषी प्रदेश के लोग भी हिंदी को बहुत सरलता से सीख सकते हैं, अंग्रेजी को उतनी सरलता से नहीं सीख सकते। भारत की अनेक भाषाएँ तो संस्कृत से ही निकली हैं जिससे हिंदी भी निकली है और जो अन्य भाषाएँ संस्कृत से नहीं निकली हैं वे भी संस्कृत की बहुत सारी शब्दावली को अपनाती हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी देश के लिए कहीं अधिक सुबोध और सरल है। ऐसी अवस्था में **देश के नेताओं ने देश के लिए जो ढाँचा सोचा था वह यह था कि हिंदी केंद्र की राजभाषा और संपर्क भाषा बनाई जाए तथा प्रदेश का काम, अपनी प्रादेशिक भाषाओं में हो। प्रदेशों में जब सारा काम स्थानीय भाषाओं में होगा तो निश्चय ही एक संपर्क भाषा की भी आवश्यकता होगी और आज जो काम संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी कर रही है वह तब हिंदी को ही करना होगा।**

हमको यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाएँ पनपें और विकसित हों तथा प्रत्येक काम में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हों। जब देश भर में ऐसा हो जाएगा तो निश्चय ही हिंदी को भी अपना स्थान मिल जाएगा क्योंकि आपसी पत्र-व्यवहार के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए और आपसी संपर्क के लिए एक संपर्क भाषा जरूरी होगी और जाहिर है कि वह भाषा हिंदी ही हो सकेगी।

खेद है कि हिंदी के बारे में कुछ लोगों को कुछ संदेह हुआ। सरकार का यह मंतव्य कभी नहीं रहा है कि अहिंदी भाषी प्रदेशों पर हिंदी थोपी जाए या कोई ऐसा काम किया जाए जिसके फलस्वरूप हिंदी-भाषी लोगों को अहिंदी भाषी लोगों की तुलना में अधिक सुविधा मिल जाए। अपने मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए सरकार ने एक कानून बनाकर व्यवस्था भी कर दी है कि अंग्रेजी तब तक चालू रहेगी जब तक गैरहिंदी प्रदेश के लोग स्वयं यह न कहें कि अब केवल हिंदी ही केंद्र सरकार की भाषा हो जाए। यों, जाहिर है कि कुछ समय ऐसा रहेगा जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों केंद्रीय शासन की भाषाएँ बनी रहेंगी।

यह चर्चा मैंने इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए शुरू की है कि शासन में अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अनुवाद की आवश्यकता की पृष्ठभूमि यह है कि अभी काफी समय तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही केंद्रीय शासन की भाषाएँ रहेंगी और अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद की आवश्यकता बराबर बनी रहेगी।

अनुवाद की आवश्यकता और भविष्य

अनुवाद की एक और आवश्यकता भी होने वाली है। वह है हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं और अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करने की। यह आवश्यकता तो सदा ही रहेगी। अंग्रेजी के हट जाने पर भी अंग्रेजी और हिंदी के परस्पर अनुवाद की आवश्यकता तो तब तक के लिए है जब तक केंद्र में द्विभाषिक स्थिति लागू है। मगर हिंदी से प्रादेशिक भाषाओं और प्रादेशिक भाषाओं से हिंदी भाषा में अनुवाद की आवश्यकता स्थाई है।

ये बातें कुछ संक्षेप में कही गई हैं किंतु उनका महत्व व्यापक है। अतः हमें इन्हें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। इस समय संघ सरकार के कामकाज में द्विभाषिक स्थिति चल रही है जिसमें हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जा रहा है। किंतु यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक सभी अहिंदी भाषी राज्यों के विधानमंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए संकल्प पारित नहीं कर देते और इन पर विचार कर लेने के बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा भी इसी प्रकार के संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते। इस अंतराल में संघ सरकार के कार्य व्यापार से संबंधित सभी सांविधिक, असांविधिक और अन्य कार्यालयीन साहित्य के अनुवाद की निरंतर आवश्यकता बनी रहेगी।

जहाँ तक हिंदी से प्रादेशिक भाषाओं में और प्रादेशिक भाषाओं से हिंदी में अनुवाद का प्रश्न है यह हमारी राष्ट्रीय एकता की अनिवार्य आवश्यकता है। इस प्रकार के आदान-प्रदान से भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग एक दूसरे के रहन-सहन, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित हो सकेंगे। उनमें परस्पर एकता और अपनत्व की वृद्धि होगी तथा वे समस्त भारत में जहाँ भी जो कुछ श्रेष्ठ और महान है, उसे अपनाकर गौरवान्वित हो सकेंगे। इस दृष्टि से इस प्रकार के अनुवाद की बड़ी आवश्यकता है और इसकी परिधि भी बहुत व्यापक है। हमें इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

राजभाषा के काम को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में निस्संदेह अनुवादकों की विशेष भूमिका रहेगी। ऐसे समय में अनुवादक का यह धर्म है कि वह ऐसी भाषा में अनुवाद करे जिसे वह पाठक भी सरलता से समझ सके जो मूल भाषा को नहीं जानता। जो चीज मूलतः अंग्रेजी में आई है उसको अंग्रेजी न जानने वाले के लिए हिंदी का अनुवाद ही एकमात्र सहारा होगा। अतः यदि हिंदी सुबोध रहे तो उसका प्रयोग उपयोगी होगा। इस दृष्टि से अनुवादक की भूमिका अहम है।

अनुवाद के गुण

मेरा विचार है कि साहित्य में अनुवाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य के अनुवाद के विषय में अनेक लोगों ने यहाँ तक कहा है कि अनुवाद को पढ़ते समय ऐसा लगना चाहिए कि मूल पढ़ा जा रहा है इसके लिए पहले मूल को पढ़ लेना चाहिए और फिर उसमें आई हुई बात को स्वतंत्र रूप से अनुवाद की भाषा में कह देना चाहिए। ऐसा करने से निस्संदेह भाषा बहुत अच्छी और मौलिक होगी। परंतु शासन के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं, जैसे विधि, न्याय या अन्य कानूनी मामलों से संबंधित, जिनमें अनुवादक को मूल के बहुत निकट रहने का प्रयत्न करना पड़ता है क्योंकि इनमें शुद्धता का अधिकतम ध्यान रखना होता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद के दो महत्वपूर्ण अंग हैं—सरलता और शुद्धता। शुद्धता का अर्थ यह है कि जिस चीज का अनुवाद हो रहा है वह पूरी चीज अनुवाद में सही रूप में आ जाए और अनुवादक के अपने दिमाग से कोई और चीज उसमें न जोड़ी जाए। इस प्रकार शुद्धता के लिए दो चीजें जरूरी हैं कि आप अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़े नहीं और कोई चीज छोड़ें भी नहीं और फिर भी जो चीज मूल में है उसको सही-सही रूप में आप अनुवाद में रख दें, यह शुद्धता हुई। मगर अनुवाद को शुद्धता प्रदान करने में यदि आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हैं जो किसी की समझ में नहीं आती या जिसके समझने में दुरूहता होती है तो जाहिर है कि उससे दिक्कत पैदा होगी। यही नहीं, ऐसा हिंदी अनुवाद हिंदी के प्रति द्वेष की भावना भी पैदा कर सकता है। अतः अनुवाद की सरलता भी महत्वपूर्ण चीज है। तात्पर्य यह है कि अनुवाद सरल तथा सुगम भाषा में हो और उसे पढ़कर लोग यह मानें कि हमारी अपनी भाषा में ही कोई बात कही गई है।

कुछ हद तक शुद्धता और सरलता—ये दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधी भी हो सकती हैं। बहुत सरलता का ध्यान रखा जाए तो हो सकता है कि उसमें वह शुद्धता न रह सके जो अपेक्षित है और यदि शुद्धता का बहुत अधिक आग्रह रखा जाए तो संभव है कि कुछ क्लिष्ट शब्द रखने पड़ें। हो सकता है कि कहीं वाक्य विन्यास दोषपूर्ण हो जाए या दुरूह हो जाए। **तो सरलता और शुद्धता के बीच किस बात को कहाँ और कितना महत्व देना है इस बात का निर्णय अनुवादक को ही करना पड़ता है**

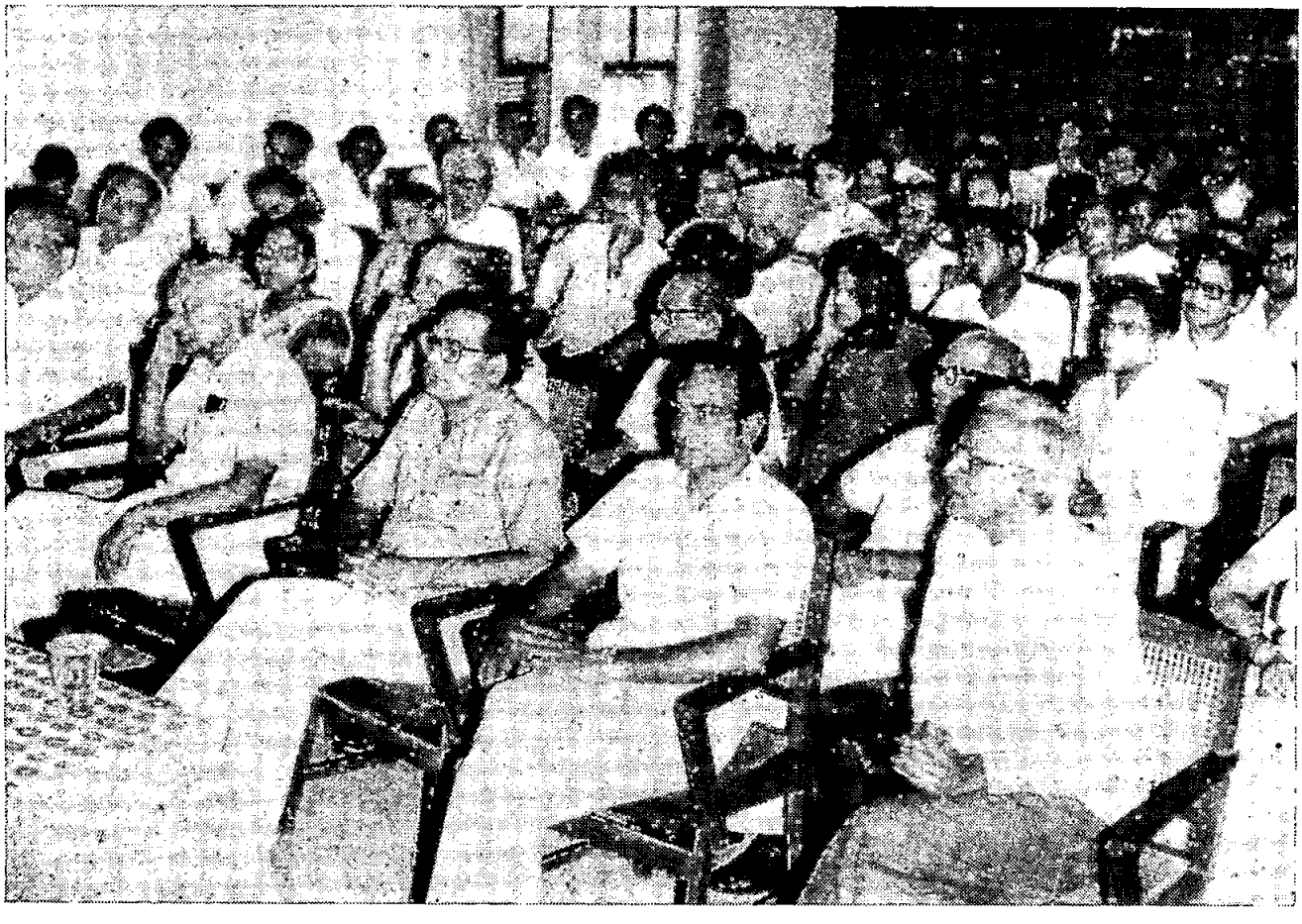

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के छब्बीसवें सत्र के दीक्षांत समारोह के समय उपस्थित अधिकारी एवं प्रशिक्षार्थी

और इनके बीच में एक विभाजक रेखा खींचनी होती है। यह रेखा खींचना ही वास्तव में एक कला है जिसकी थोड़ी बहुत शिक्षा दी जा सकती है परंतु जो अधिकतर अभ्यास और अनुवादक की प्रतिभा से आती है। यदि अनुवादक का ध्यान सदा इस बात पर केंद्रित रहेगा कि उसकी भाषा सरल भी होनी चाहिए और शुद्ध भी तो वह ऐसी रेखा को जरूर पकड़ सकेगा। विधि आदि के मामले में जहाँ शुद्धता पर ज्यादा जोर है वहाँ थोड़ी बहुत कठिनता चल सकती है, ताकि अदालतों को निर्वचन करने में ऐसा मालूम न पड़े कि हिंदी में कुछ और लिखा है और अंग्रेजी में कुछ और। कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जहाँ मूल वाक्य विन्यास से काफी छूट लेकर भी बात को सरलता से कहा जा सकता है। पर छूट लेते समय भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मूल की कोई बात छूटे नहीं और अनुवादक अपनी ओर से कुछ जोड़े नहीं। मूल के वाक्य विन्यास से कितनी छूट ली जा सकती है यह निर्णय विषय को देख कर ही करना होता है।

प्राय: यह देखने में आता है कि शुद्धता के नाम पर लोग ऐसी कठिन भाषा लिख देते हैं जिसका किसी को कोई अर्थ समझ में नहीं आता। बात यह है कि वे मूल के प्रत्येक शब्द का पर्याय ढूँढते हैं और उन पर्यायों को जोड़ कर अनुवाद पूरा कर लेते हैं। परंतु प्रत्येक भाषा का स्वरूप अलग होता है, इसका वे ध्यान नहीं रखते। शुद्धता का चाहे बहुत आग्रह रहे पर उसे प्रत्येक शब्द के पर्याय का आग्रह नहीं बनाया जाना चाहिए यदि आप पूरे वाक्य के स्थान पर पूरे पैराग्राफ को पढ़ लें और मूल की सामग्री को अलग रख कर अपनी समझी हुई बात को स्वतंत्र रूप से कह दें तो भी शुद्धता की रक्षा हो सकती है। ध्यान इतना ही रखना होगा कि कोई आवश्यक बात छूटे नहीं और कोई अनावश्यक बात जुड़े नहीं। **वाक्यों की दुरूहता अनुवाद में प्राय: इसलिए आती है कि अनुवादक मूल के वाक्य के ढाँचे को ध्यान में रखता है उसके भाव को नहीं; और यह सर्वविदित है कि मूल और अनुवाद की भाषा के ढाँचे बिल्कुल अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए शुद्धता के नाम पर भाषा के ढाँचे का अनुकरण नहीं करना चाहिए।** जहाँ अधिक अनुकरण होता है वहाँ पाठक ऐसे अनुवाद को पढ़ना ही पसन्द नहीं करता। वह यही सोचता है कि इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता।

अत: अनुवादक को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सहज, सुबोध और प्रवाहयुक्त हो। साथ ही अनूदित सामग्री रुचिकर और पठनीय हो ताकि पाठक उसे मौलिक कृति की भाँति पढ़ सके। अनुवाद को देखकर लोगों को यह प्रतीत हो कि यह तो वही भाषा है जिसको हम स्वयं ही बोलते हैं। वे यह भी सोचें कि यदि अनुवादक इसे लिख सकता है तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। अत: अनुवादक को अपने अनुवाद में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उसके पाठकों में ऐसा भाव जागे। यदि अनुवादक ऐसा कर सकें तो राजभाषा की बड़ी भारी सेवा होगी और हिंदी के विकास में बड़ा सहयोग मिलेगा। □□□

राजभाषा हिंदी : परंपरा और विकास

—डॉ० भोलानाथ तिवारी
ई-4/23, माडल टाउन, दिल्ली-9

भारत में राजभाषा की परंपरा की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमारा ध्यान संस्कृत काल की ओर जाता है। जिस समय संस्कृत का व्यापक प्रयोग हो रहा था मध्यप्रदेश की संस्कृत ही मानक और अनुकरणीय मानी जाती थी। पूरे देश के संस्कृत-प्रयोक्ता औपचारिक अवसरों पर संस्कृत के मध्यदेशीय रूप का ही प्रयोग करते थे। कहना न होगा कि यह मध्यदेश मोटे रूप में वही क्षेत्र है, जो आज केन्द्रीय हिंदी प्रदेश है। उस प्राचीन काल से लेकर लगभग 12वीं सदी तक मुख्य सभी भारतीय राज्यों में संस्कृत का यही रूप राज्यभाषा था। यों बीच में कभी-कभी कुछ और भाषा-रूपों के भी व्यापक प्रयोग हुए। उदाहरण के लिए पालि काल (500 ई० पू० से 1 ई०) में पालि का व्यापक प्रयोग हुआ, किंतु यह उल्लेखनीय है कि पालि भी मूलतः मध्यदेशीय भाषा ही थी और आधुनिक हिंदी का ही एक प्रकार से प्राचीन रूप थी। हाँ उस पर पूर्वी प्रभाव अवश्य था, किंतु वह प्रभाव मगध का था, और वह भी हिंदी प्रदेश ही है। अशोक ने यों तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उसके राज्य में पालि का आदर भी था किंतु उसके राजकाल की भाषा प्राचीन शौरसैनी थी—अर्थात् शौरसेनी प्राकृत का प्राचीन रूप। यह शौरसेनी प्राकृत भी मध्यदेशीय भाषा ही थी ब्रज-खड़ी बोली आदि का प्राचीन रूप। **प्राकृत काल (1 ई० से 500 ई०) में इसी शौरसेनी का सबसे अधिक प्रयोग होता था। संस्कृत नाटकों में इसीलिए उच्चस्तरीय पुरुषों को छोड़कर अन्य पात्र शौरसेनी का ही प्रयोग करते मिलते हैं। कलिंग के जैन राजाओं तथा आंध्रवंशी राजाओं के यहाँ शौरसेनी ही राजभाषा थी। आगे चलकर इसी परंपरा में पश्चिम की साहित्यिक अपभ्रंश (शौरसेनी अपभ्रंश) का प्रयोग सातवाहन, प्रवरसेन, यशोवर्मन आदि परवर्ती राजाओं ने अपने यहाँ राजभाषा के रूप में किया इस तरह मध्यदेशीय भाषा के प्रयोग की परंपरा आगे बढ़ी।**

12वीं सदी के बाद तुर्कों और अफ़ग़ानों के आगमन से राजभाषा फ़ारसी बनी, किंतु आंशिक रूप से तत्कालीन केन्द्रीय भाषा पुरानी हिंदी को भी सहभाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी, क्योंकि अधिकांश सरकारी कर्मचारी भारतीय थे, और उन सभी के लिए फ़ारसी का प्रयोग बहुत सरल नहीं था। हिसाब-किताब का तो काफ़ी काम हिंदी में चलता था (भारत की राष्ट्रीय—संस्कृति—आबिद हुसैन, पृ० 55)। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी विजयों के परिणामस्वरूप हिंदी, दक्षिण भारत में पहुँची और उसे, अरबी-फ़ारसी शब्दों के साथ आदिलशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही, हमामशाही, निज़ामशाही राज्यों में संरक्षण मिला। 'दक्खिनी' के रूप में आज यही भाषा जानी जाती है।

मुगल शासन में भी हिंदी सहराजभाषा के रूप में थी। अकबर स्वयं हिंदी में लिखते थे। उनके दरबार में रहीम ख़ान-खाना हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। जहाँगीर को भी हिंदी का अच्छा ज्ञान था। औरंगज़ेब की पुत्री जेबुन्निसां हिंदी में कविताएँ करती थी। हिंदी के सहभाषा होने की बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शेरशाह सूरी से लेकर बाद तक के सिक्कों पर प्रायः फारसी के साथ हिंदी का भी प्रयोग मिलता है। वस्तुतः अपने प्रचार-प्रसार के कारण भारतीय भाषाओं में हिंदी स्वतः राजभाषा के रूप में उभर कर धीरे-धीरे आगे आ रही थी तथा वह हिंदी प्रदेश के बाहर तरह-तरह से अखिल भारतवर्षीय भाषा के रूप में प्रचार-प्रसार पा रही थी। अधिकांश मराठी राजाओं, जैसे पेशवा, होलकर, सिंधिया की राजभाषा हिंदी थी। इधर इस प्रकार की प्रभूत सामग्री मिली है। मराठे अभिलेखों में प्राप्त कुछ प्राचीन वाक्य हैं: संकुजी भोंसले कहे सो प्रमान करना "अस यहाँ षरीफ की किस्तबंदी करी है" या 'तहसील करके षजानों नरसिंहगर पहुंचावे।' आदि। बहमनी राज्य की भी प्रायः स्थिति यही थी।

इस प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि, इस परंपरागत प्रचार-प्रसार का ही परिणाम हुआ कि बहुत पहले से विभिन्न प्रदेशों के लोग हिंदी में भी साहित्य रचना करते रहे हैं। इस दृष्टि से पहले पंजाब की बात लें तो गोरखनाथ, चरपटनाथ आदि कई नाथ कवि वहाँ के थे। इनकी रचनाएँ प्राचीन हिंदी में हैं। सिक्ख गुरुओं में नानक, अंगददेव, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, तेगबहादुर, गोविंदसिंह आदि की हिंदी रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः पंजाब के सौ से अधिक कवियों और लेखकों ने समय-समय पर हिंदी में ही/भी लिखा है। गुजरात का तो कहना ही क्या? झावेरी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'माइल स्टोन आफ़ गुजरात लिटरेचर' में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'मध्यकालीन गुजरात में हिंदी ही अधिकांशतः विद्वानों की भाषा थी।' मराठी के रामदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि हिंदी के भी कवि थे। **शिवाजी के दरबार में हिंदी कवि भूषण राजकवि थे। केरल के राजाराम वर्मा हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे। आंध्र के प्रसिद्ध कवि पेद्दन्ना, बंगला कवि गुणाकर तथा उड़िया कवि ब्रजनाथ बड़जेना ने भी हिंदी में रचनाएँ की हैं।**

आधुनिक काल में राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, बंकिमचंद्र, महात्मा गाँधी आदि ने हिंदी को अखिल भारतवर्षीय स्तर पर अपनाने पर बल दिया। इस प्रसंग में एक घटना उल्लेख्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले संस्कृत में ही भाषण देते थे। एक बार उनका कलकत्ते में भाषण हुआ। उसे सुनकर केशवचंद्र सेन (बंगाली) ने ही स्वामी जी (गुजराती) को राय दी कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी बातों का भारत की अधिकांश जनता सुन-समझ सके तो आप अपना भाषण हिंदी में दीजिए। तभी से उन्होंने न केवल अपना भाषण हिंदी में देना प्रारंभ किया बल्कि अपने ग्रंथ भी हिंदी में ही लिखे।

अंग्रेजी राज्य में राजभाषा की कहानी पूर्ववर्ती परंपरा के बहुत कुछ अनुरूप रही थी। मुगल राज्य में फ़ारसी के साथ-साथ एक सीमा तक हिंदी भी चलती थी। मुग़लों के पतन के बाद फ़ारसी का महत्व घटता गया, अतः 1837 में फ़ारसी का स्थान तो अंग्रेजी ने ले लिया, और स्थानीय भाषाओं को सह-राजभाषा बनाया गया। जैसे बंगाल में अंग्रेजी के साथ बंगला, तो महाराष्ट्र में अंग्रेजी के साथ मराठी। हिंदी प्रदेश (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार) में अंग्रेजी के साथ हिंदुस्तानी की अरबी-फ़ारसी मिश्रित शैली उर्दू को कचहरियों की भाषा बनाया गया। वस्तुतः, जैसा कि गिलक्राइस्ट ने 1800 के आस-पास ही कहा था, हिंदी-हिंदुस्तानी-उर्दू एक ही भाषा की तीन शैलियाँ हैं क्योंकि इनका व्याकरण एक है, अंतर केवल शब्दों का है, जैसे : आपका घर कहाँ है? (हिंदुस्तानी)—आपका शुभस्थान कहाँ है? (हिंदी)—आपका दौलतख़ाना कहाँ है? (उर्दू) ये वाक्य तीन भाषाओं के न कहे जाकर एक भाषा के कहे जाएँगे क्योंकि इनका अंतर व्याकरण का न होकर मात्र शब्दों का है।

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत के लिए किसी एक प्रतिनिधि या संपर्क भाषा की आवश्यकता है, और वह भाषा अपेक्षाकृत अधिक लोगों द्वारा बोली जाने के कारण हिंदी ही हो सकती है। 1909 में गाँधी जी, ने अपनी पुस्तक 'हिंदी स्वराज्य और होमरूल' (18वाँ अध्याय) में यही बात कही थी। 1917 में गुजरात शिक्षा-परिषद के सभापति पद से भी उन्होंने यही बात दुहराई थी। और अंत में 1925 में कानपुर के काँग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की महासमिति और कार्यकारिणी का काम हिंदी में करने का प्रस्ताव इसी दृष्टि से पारित हुआ। इन सब का परिणाम यह हुआ कि भारत के स्वतंत्र होने पर हिंदी को राजभाषा बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि संघ के सरकारी काम-काज में नागरी अंकों के स्थान पर रोमन अंकों का प्रयोग होगा।

राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार और समुचित विकास की आगे की कहानी इसके बाद से ही शुरू होती है। राजभाषा के समुचित विकास की समस्या पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड एक के अनुसार 1955 में राजभाषा आयोग बनाया गया, जिसने यथासमय कुछ बातों की सिफारिशें कीं। इन सिफ़ारिशों की जाँच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड चार के अनुसार 30 सदस्यों (20 लोकसभा, 10 राज्य सभा) की एक समिति गठित की गई। इस समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट दी। राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट पर विचार किया और 1960 में एक आदेश जारी किया जिसकी महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार थीं :—

(1) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक स्थायी आयोग स्थापित करना चाहिए।

(2) शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैनुअलों तथा कार्यविधि साहित्य का अनुवाद हाथ में ले और भाषा में एकरूपता सुनिश्चित करने की आवश्यकता की दृष्टि से यह काम केवल एक ही अभिकरण को सौंपा जाए।

(3) एक मानक विधि शब्दकोष बनाने, हिंदी में विधि के पुनः अधिनियमन और विधि-शब्दावली के निर्माण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून के विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग स्थापित किया जाए।

(4) तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए जिनकी आयु दिनांक 1-1-61 को 45 वर्ष से कम हो। गृह मंत्रालय टंककों और आशुलिपिकों को हिंदी टंकण तथा आशुलेखन प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रबंध करे।

सरकारी कर्मचारियों में हिंदी-भाषा और साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का प्रचार और प्रसार करने के उद्देश्य से 3 मई 1960 को केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद नाम की एक संस्था गठित की गई। केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी वार्षिक शुल्क देकर परिषद का सदस्य बन सकता है। परिषद एक छोटी-सी पत्रिका भी प्रकाशित करती है, जिसका नाम 'हिंदी परिचय' है। परिषद की देश-विदेश में लगभग पाँच सौ शाखाएँ हैं। समिति ने हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी पुस्तिकाएँ और चार्ट आदि प्रकाशित किए हैं, जिनमें कुछ के (जैसे कार्यालय सहायिका) तो आठ-आठ, नौ-नौ संस्करण निकल चुके हैं तथा लगभग सत्तर हजार प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। परिषद हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टिप्पण आदि की प्रतियोगिताएँ भी आयोजित करती हैं। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए परिषद बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

आगे चल कर राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 में हिंदी के राजभाषा के रूप में प्रयोग के संबंध

(शेष पृष्ठ 10 पर)

पूर्ति विभाग में राजभाषा हिंदी की प्रगति

—ब्रजेश चंद्र माथुर
सचिव, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

भारत सरकार की राजभाषा संबंधी नीति के अनुसरण में तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में, इस विभाग के सचिवालय और इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में पर्याप्त प्रगति हुई है। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

1. हिंदी कार्यशाला

विभाग के कर्मचारियों को हिंदी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग का अभ्यास कराने के लिए, पूर्ति विभाग (सचिवालय), पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में आठ सत्रों में लगभग 370 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उनमें से कई कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में अपनी इच्छा से, हिंदी का यथासंभव प्रयोग कर रहे हैं। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में सहायक निदेशकों के लिए हिंदी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग के अभ्यास के लिए कार्यशाला का विशेष सत्र चलाया गया था।

2. नक़द पुरस्कार योजना

राजभाषा विभाग द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए, पूर्ति विभाग में 1975 से नकद पुरस्कार योजना चल रही है। यह योजना विभाग के सचिवालय और इसके दिल्ली स्थित सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारी भी भाग ले रहे हैं। इस योजना के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह भी किए गए थे।

3. शील्ड योजना चालू करना

यह निर्णय लिया गया है कि राजभाषा विभाग की प्रस्तावित शील्ड योजना के अनुसार ही इस विभाग तथा इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी शील्ड योजना चलाई जाए। विभाग के जिस कार्यालय में वर्ष भर हिंदी में सबसे अधिक कार्य होगा उस कार्यालय को यह शील्ड प्रदान की जाएगी। राजभाषा विभाग द्वारा शील्ड योजना के बारे में नियम निश्चित किए गए हैं। इन्हीं नियमों के अनुसार इस विभाग में भी शील्ड योजना चालू कर दी गई है।

4. हिंदी सलाहकार समिति

निर्माण, आवास, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है और उसकी दो बैठकें हो चुकी हैं। उसकी दूसरी बैठक माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में 4 जुलाई, 1979 को हुई थी, जिसमें अन्य अनेक बातों के अलावा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि सरकारी कामकाज के लिए सरल और मिली-जुली भाषा का प्रयोग किया जाए।

5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

पूर्ति विभाग के मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विधिवत कार्य कर रही है। यह समिति इस विभाग के सभी कार्यालयों के लिए, हिंदी के प्रयोग संबंधी उपायों का निर्देश करती है और उनके अनुपालन के संबंध में समीक्षा करती है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय तथा राष्ट्रीय परीक्षणशाला के मुख्यालयों में और उनके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं। इन सभी समितियों को पूर्ति विभाग (सचिवालय) की राजभाषा समिति से ही बहुधा कार्य का निर्देश मिलता है। यह समिति हिंदी संबंधी अनेकानेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनके अनुपालन के लिए सभी अधीनस्थ कार्यालयों का मार्गदर्शन करती है।

6. शब्दावली का प्रकाशन

पूर्ति विभाग (मुख्यालय) और उसके अन्य सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए "सरकारी कामकाज शब्दावली" नाम की एक संक्षिप्त पारिभाषिक शब्दावली का 1971 में प्रकाशन किया गया था। इसमें हमारे सभी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दों तथा वाक्यांशों के हिंदी रूप दिए गए हैं। यह शब्दावली बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके बाद हाल ही में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा एक और शब्दावली का भी प्रकाशन किया गया है।

7. अनुभागों में सामान्य सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग

पूर्ति विभाग के मुख्यालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में अनेक सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से, सरकारी कामकाज में, हिंदी का यथासंभव प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाते हैं। तकनीकी प्रकार के एवं कानूनी महत्व के पत्रों के अतिरिक्त अन्य कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। सभी प्रकार के रजिस्टर हिंदी और अंग्रेजी में रखे जाते हैं। कार्यशाला के नामपट, बोर्ड और मोहरें आदि हिंदी और अंग्रेजी में हैं। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिंदी में की जाती हैं। फाइलों तथा सभी रजिस्टरों पर विषय हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाते हैं और सामान्य प्रकार का सभी प्रशासनिक कार्य हिंदी में ही किया जाता है।

□ □ □

प्रेमचंद और राष्ट्रभाषा हिंदी

—डॉ० रत्नाकर पांडेय

एम०ए०, पी-एच०डी०, डि० लिट्०

प्रेमचंद ने केवल साहित्य और समाज पर ही विचार नहीं किया, बल्कि दक्षिण भारत में अपनी हिंदी प्रचार यात्राओं पर भी जमकर लिखा और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने 27 अक्तूबर, 1934 को बंबई में आयोजित राष्ट्रभाषा सम्मेलन के अवसर पर एक लेख लिखा और 29 दिसंबर, 1934 को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के चतुर्थ दीक्षांत भाषण के समय राष्ट्रभाषा और उसकी समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए। इन दोनों भाषणों के अतिरिक्त उन्होंने दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार यात्राओं की संस्मरणात्मक झाँकी जुलाई और दिसंबर सन् 1935 के 'हंस' में लिखी। जब मनुष्य का भाषा पर अधिकार नहीं रह जाता उस समय की परिस्थितियों में प्रेमचंद ने अपने मौलिक विचारों पर विश्वास किया। उन्होंने भाषा वैज्ञानिकों के तथ्यों पर अधिक ध्यान न देकर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाया है जो पूर्व प्रचलित रूढ़ियाँ थीं और जिनसे बचने की आवश्यकता थी। महात्मा गाँधी की भाषा नीति पर बोलते हुए प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी के संदर्भ में कहा था : "हिंदी ही में बृजभाषा, बुंदेलखंडी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं, लेकिन जैसे छोटी-छोटी धाराओं के मिल जाने से एक बड़ा दरिया बन जाता है जिसमें मिलने से नदियाँ अपने को खो देती हैं उसी तरह ये प्रांतीय भाषाएँ हिंदी की मातहत हो गई हैं और आज उत्तर-भारत का एक देहाती भी हिंदी समझता है और अवसर पड़ने पर बोलता भी है लेकिन हमारे मुल्की फैलाव के साथ हमें एक ऐसी सुदृढ़ भाषा की जरूरत पड़ गई है जो सारे हिंदुस्तान में बोली और समझी जाए और जिसे हम हिंदी, गुजराती, मराठी या उर्दू न कहकर हिंदुस्तानी भाषा कह सकें। जिसे हिंदुस्तान का प्रत्येक शिक्षित-अशिक्षित आदमी उसी तरह समझे या बोले जैसे हर एक अंग्रेज, जर्मन या फ्रांसीसी, फ्रेंच, जर्मन या अंग्रेजी भाषा बोलता और समझता है। हम सबकी भाषाओं के विरोधी नहीं हैं। प्रत्येक प्रांत की भाषाएँ अलग हैं, आप उनमें जितनी उन्नति कर सकें, करें, लेकिन एक कौमी भाषा का मर्कजी सहारा लिए बगैर आपके राष्ट्र की जड़ मजबूत नहीं हो सकती।"

अपने दूसरे भाषण में प्रेमचंद ने "राष्ट्रभाषा हिंदी और उसकी समस्याएँ" विषय पर बड़े जोश के साथ भाषा की वास्तविकता को लोगों के दिल की तह में उतारने का प्रयत्न किया है। उन्होंने दक्षिण से प्रकाशित होनेवाले 'हिंदी प्रचारक' पत्र की चर्चा करते हुए अपना निष्कर्ष स्थिर किया था। दक्षिण के लोगों की मँजी हुई भाषा सफाई और प्रवाह देखते हुए लोगों को हम पर रश्क आता है और यह तब है, जब राष्ट्रभाषा प्रेम अभी दिलों के ऊपरी भाग तक ही पहुँचा है। लेकिन आज दक्षिण में व्याप्त हिंदी प्रेम दिल की तह में पहुँच गया है। प्रेमचंद के अनुसार हिंदी की कमी को पूरा करने में दक्षिण के लोग पूरा योग दे रहे थे। रफ्तार की तेजी में अपमान की बात यह थी कि शासन अंग्रेजी का प्रभुत्व लादना चाहता था। प्रेमचंद का अनुमान था कि यदि इतने नग्न रूप में सभ्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा जनता की छाती पर मूँग दलने के लिए न छोड़ दी जाती तो भाषा के प्रभुत्व को तोड़कर देश की पराधीनता की मानसिक कमजोरी को राष्ट्र की गर्दन पर से झटक कर फेंक दिया जाता। वास्तव में भाषा की पराधीनता को लेकर आज भी हिंदी प्रेमचंद की उठाई गई समस्याओं का समाधान करते हुए साहित्य के माध्यम से जीवन का अखिल भारतीय स्वरूप प्रगट करने के प्रयत्न में तल्लीन है।

राष्ट्रभाषा का आशय समझाते हुए प्रेमचंद ने हिंदी, हिंदुस्तानी व उर्दू को एक मानते हुए यह दलील दी कि "ईश्वर भी वही है जो खुदा है और राष्ट्रभाषा में दोनों को समान रूप से स्थान मिलना चाहिए। अगर हमारे देश में ऐसे लोगों की काफी तादाद निकल आए जो ईश्वर को 'गाड' कहते हैं तो राष्ट्रभाषा उनका भी स्वागत करेगी। जीवित भाषा तो जीवित देह की तरह बराबर बनती रहती है। शुद्ध हिंदी निरर्थक शब्द है। जब भारत शुद्ध होता तो उसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती। जब तक यहाँ मुसलमान, ईसाई, फारसी, अफगानी सभी जातियाँ मौजूद हैं, हमारी भाषा भी व्यापक रहेगी। अगर हिंदी भाषा प्रांतीय रहना चाहती है और केवल हिंदुओं की भाषा रहना

चाहती है तब तो वह शुद्ध बनाई जा सकती है किंतु उसका अंग-भंग करके कायाकल्प करना होगा। वह प्रौढ़ है, शिशु बनेगी यह हास्यास्पद और असंभव है।" अत्यंत विस्तार में जाकर अपने इस भाषण में प्रेमचंद ने विदेशी भाषा की नकल, राष्ट्रभाषा से आशय, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता, राष्ट्रभाषा का प्रचार और युग की साहित्यिक प्रतिभाओं के कृतित्व की स्थापना तथा राष्ट्रलिपि की समस्या पर बड़े सुलझे मन से स्वतंत्र विचारक की तरह अपना मत प्रगट किया है।

प्रेमचंद ने अनेक लिपियों का नाम लेते हुए अरबी और फ़ारसी लिपि का अंतर स्पष्ट किया है। अरबी और फ़ारसी लिपि का वही अंतर है जो नागरी और बंगला का है, बल्कि उससे भी कम। फ़ारसी लिपि के गौरव, संस्कृति और इतिहास को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने इसे एक प्रकार का 'शार्टहैंड' कहा है। मुसलमानों को नागरीलिपि प्यारी नहीं। हिंदुओं को फ़ारसी लिपि से कोई लगाव नहीं। अगर सारा देश नागरी लिपि का हो जाएगा तो एक कौमी लिपि का ईजाद होगा और संभव है उस लिपि को मुसलमान भी कबूल कर लें। राष्ट्रीय चेतना से कोई बहुत दिनों तक अलग नहीं रह सकता। क्या मुसलमानों में यह स्वाभाविक इच्छा न होगी कि उनके पत्र सारे हिंदुस्तान में पढ़े जाएँ। हम तो किसी लिपि को मिटाना नहीं चाहते, हम तो इतना ही चाहते हैं कि अंतः प्रांतीय व्यवहार नागरी लिपि में हो। मुसलमानों में राजनीतिक जागृति के साथ यह प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा।

जिस अरबी लिपि की समस्या प्रेमचंद के समय में राजनीतिक बुद्धि से हिंदी के साथ मिलाई जा रही थी उसके प्रति प्रेमचंद का अनुमान सही सिद्ध नहीं हुआ। आज उसी समस्या को, नागरी अंक को रोमन में लिखने की जिद करके राजनीतिक पुरुष न जाने कौन सा तीर मार सके? जहाँ तक प्रेमचंद की अरबी और नागरी की समझौतावादी लिपि का प्रश्न है वह एक नहीं हो सकती। उसी समय नागरीलिपि और राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्या महात्मा गाँधी भी सुलझाने में लगे थे। प्रेमचंद ने अपने भाषण में महात्मा गाँधी की हिंदुस्तानी भाषा नीति के समर्थन में ये सारी बातें कही हैं। प्रेमचंद ने दक्षिण भारतीयों के हिंदी मिशन को पूरा करने के लिए अपने आत्मविश्वास को समाज में लगाने का उपदेश दिया। अनेक दुर्गुणों और व्यावधानों का कई बार नाम गिनाते हुए प्रेमचंद ने एक राष्ट्रीय नेता की तरह दक्षिण के हिंदी प्रेमियों के साथ सलूक किया। उनके सोए हुए राष्ट्रभाषा प्रेम की आग को जागृत कर प्रेमचंद ने राष्ट्रभाषा और हिंदुस्तानी के सच्चे प्रचारक सा भाषण दिया है। भाषण का अंत करते हुए उन्होंने कहा—अगर आपका संकल्प सत्य है तो आप में से हर एक राष्ट्र का नायक हो जाएगा। जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आत्मविश्वास और श्रद्धा हो। आप अपनी बिजली से दूसरों में भी बिजली भर दें। हर एक पंथ की विजय उसके प्रचारकों के आदर्श जीवन पर ही निर्भर होती है। अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में ऊँचे से ऊँचा उद्देश्य भी निंद्य हो सकता है। मुझे विश्वास है आप अपने को अयोग्य न बनने देंगे।

भारतेंदु युग में राष्ट्रभाषा की समस्या स्थिर नहीं हुई थी। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह भाषा के प्रश्न पर दो दलों में विभक्त हो गए थे। पहले सज्जन अरबी-फ़ारसी के प्रयोग से भाषा को 'जनभाषा' बनाना चाहते थे। उस समय सरकारी कृपा से जन-जीवन में अरबी-फ़ारसी अदालत और जनता के एक वर्ग विशेष में अच्छी तरह प्रयोग में आ रही थी और दूसरी ओर कुछ लोगों ने संस्कृतनिष्ठ हिंदी का झण्डा ऊँचा उठाया था। राजा लक्ष्मणसिंह संस्कृत गर्भित हिंदी के समर्थक थे। यह मान लेने पर कि 'भाषा कुछ भी हो पर भाव उत्तम हों' साहित्य का उपकार होता ही रहता है परंतु भाषा की सामूहिक अभिव्यक्ति का सामाजिक प्रश्न जैसे का तैसा रह जाता है। भारतेंदु ने भाषा की कई समस्याओं के निराकरण का प्रयत्न किया और उनका प्रयत्न आधुनिक भाषा प्रयोगों में विकसित हुआ। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के भाषा-सिद्धांत का स्वरूप राजनीतिज्ञों के प्रपंच के कारण आज भी हमारे बीच है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में आम फ़हम भाषा ने सरल व्यावहारिक रूप प्राप्त किया, वहाँ प्रेमचंद की कृतियों के माध्यम से हिंदी में और भी अधिक व्यवस्थिति हुई। महात्मा गाँधी ने अपनी "आत्मकथा" में और जवाहरलाल नेहरू ने "विश्व इतिहास की झलक" में भी हिंदुस्तानी भाषा को सामाजिक स्वरूप देने का प्रयास किया है। ये कृतियाँ भारतेंदु नहीं, राजा शिव प्रसाद की भाषा का प्रयोग कही जा सकती हैं। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा का रूप आज भी व्यापक रूप से राष्ट्रभाषा बनकर विद्यमान है। जिस भाषा का प्रारंभ शिवप्रसाद सितारे हिंद ने किया था वह हिंदुस्तान की नहीं भारत की भाषा थी और आधुनिक हिंदी के अनेक संघर्षों के बीच उस भाषा को समर्थन मिल रहा है। आज हम भारत के प्राणी हैं हिंदुस्तान के नहीं। इसलिए भारतेंदु की भाषा ही राष्ट्रीय भाषा है। लिपि के प्रश्न पर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद नागरी के समर्थक थे।

प्रेमचंद ने फरवरी और मार्च सन् 1935 ई० के 'हंस' में दक्षिण भारत में 'हमारी हिंदी प्रचार यात्रा' नामक धारावाहिक संस्मरण दो अंकों में लिखा। मद्रास के हिंदी प्रेमियों ने उनसे हिंदी प्रचार सभा के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन पर दीक्षांत भाषण करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कुछ ही दिनों पहले बंबई में राष्ट्रभाषा

सम्मेलन के अवसर पर भाषण देते हुए अपने अनुभव और विचारों को राष्ट्रभाषा के क्षेत्र में उद्घाटित किया था। उसकी चर्चा करते हुए बंबई से उन्होंने अपने उत्तर भारतीय मित्रों को अपनी दक्षिण भारत यात्रा की सूचना दी। दक्षिण से लौटने के बाद उन्होंने एक पत्र में लिखा था, "मद्रास गया था वहाँ से मैसूर और बंगलौर भी गया। अपना यात्रा वृतांत लिख रहा हूँ। कुछ नोट तो किया नहीं, जो याद है वही लिखता हूँ। हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है। यह देखकर खुशी हुई। जो लोग राष्ट्र की और कोई सेवा नहीं कर सकते वे इसी ख्याल में मग्न हैं कि वे राष्ट्रभाषा सीख रहे हैं। मुझे वह प्रदेश बड़ा सुंदर लगा। गाने-बजाने का घर-घर प्रचार है। मोहल्ले-मोहल्ले में स्त्रियों के समाज हैं और प्रायः सभी में हिंदी की क्लासेज हैं। मैं बुद्धू की तरह माला पहन कर रह गया। बोल न सकने की कमी और जनता को न समझ सकने की कमी भी उसी समय मालूम हुई। जनता समझती है कि हिंदी का एक बड़ा लेखक है, जाने क्या-क्या गाली उगलेगा और यहाँ है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहूं? खैर ट्रिप अच्छा रहा।"

प्रेमचंद जी 27 दिसंबर सन् 1935 ई० को हिंदी ग्रंथ रत्नाकर के संचालक नाथूराम प्रेमी और हिंदी प्रचार सभा के नवयुवक कार्यकर्ता श्री आर० शंकरन् के साथ दक्षिण के स्टेशनों का दृश्य देखते हुए मद्रास पहुँचे। वे स्टेशन के होटलों में इडली, डोसा, चटनी का खट्टापन चखते हुए लंबी यात्रा करते रहे। उन्हें काका कालेलकर के साथ मद्रास में रामनाथ गोयनका के आतिथ्य में ठहराया गया : उपाधि वितरण समारोह गोखले हाल में था। परंतु छुट्टियों के कारण सभा में कम लोग आए थे फिर भी सैकड़ों मील से आए हुए हिंदी प्रतिनिधि एक मिशन बनाकर वहाँ एकत्रित हुए थे। उनमें स्त्रियों की संख्या भी कम नहीं थी। दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को एक करने के लिए आयोजित नहीं किया गया था अपितु वहाँ के हिंदी प्रेमी उस समय राष्ट्र की भावनाओं को एक राष्ट्रभाषा रूपी माला में गूँथने में तल्लीन थे। उन दिनों राजगोपालाचार्य दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के सभापति और के० नागेश्वर राव उपाध्यक्ष थे। अपनी स्थापना काल से ही हिंदी प्रचार सभा का प्रभाव आश्चर्यजनक गति से हिंदी का प्रचार करने के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था। सभा द्वारा आयोजित सन् 1930 ई० की प्राथमिक, मध्यमा और राष्ट्रभाषा तीनों परीक्षाओं में बैठनेवालों की तादाद 1700 थी। सन् 1933 ई० में यह संख्या 9060 हो गई, लेकिन सन् 1934 ई० में घटकर 4641 ही रह गई।

इस अवनति के कारणों को खोजने में हिंदी के प्रचारक तल्लीन थे। प्रेमचंद ने अपने दीक्षांत भाषण में शंका की थी कि क्या दक्षिण में हिंदी सीखने का शौक घट गया है? अधिक से प्रारंभ होकर कम की ओर लौटनेवाली गति खेद का कारण होती है। जिस समय राजनीति से अलग हटकर हिंदी के समर्थन में राष्ट्रभाषा के मंच पर राजाजी हिंदी की इस संस्था के अध्यक्ष थे उस समय से ही हिंदी की परीक्षा में बैठनेवालों की संख्या दक्षिण में घट रही थी और बाद में दक्षिण में हिंदी को उखाड़नेवालों में राजाजी प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे। सात मील लंबे मद्रास के समुद्र तट और थियोसोफिकल सोसायटी की प्रेमचंद ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। वे दक्षिण के अनेक हिंदी प्रचारकों से स्वयं भी मिले। उन्होंने मद्रास के पशु-पक्षियों और जल-जीवों के दो अजायब घरों की भी चर्चा की है—हिंदी की इस प्रचार सभा की व्यवस्था, अध्यापन तथा अन्य गुणों की चर्चा करते हुए वहाँ की सांस्कृतिक एकता का भाव भाषा और साहित्य को प्रदान करके वे पाँचवें दिन मैसूर प्रस्थान को उद्यत हुए। मद्रास से ही साथ रहकर, मार्ग में उनका पथ-प्रदर्शन मैसूर के हिंदी प्रेमी श्री हिरण्यमय ने किया। मद्रास के हिंदी प्रेमियों ने प्रेमचंद का अगाध स्वागत किया था। प्रेमचंद मैसूर के सुंदर उद्यानों की रमणीयता व स्वच्छता पर रीझ उठे। उन्होंने वहाँ के विद्युत शक्ति केंद्र, चामुँडा देवी के मंदिर, मैसूर की पुरानी राजधानी, श्रीरंगपट्टम और कृष्णराज सागर आदि की परिक्रमा करते हुए मैसूर का राजभवन देखा। प्रेमचंद ने मैसूर का चिड़ियाघर, रेशम का कारखाना और चंदन के तेल आदि उद्योगों का भी अपने स्वल्प समय में एकात्मभाव से दर्शन और अध्ययन किया। उन्होंने हिंदी प्रमियों की कार्यविधि की प्रशंसा करते हुए वहाँ की दो समाजों में भाषण किया। उन्होंने राष्ट्रभाषा परिषद मैसूर के हिंदी प्रयत्नों का प्रशंसा की और प्रांतीय भाषाओं में आए दर्शन, विज्ञान शास्त्र आदि के हजारों शब्दों की हिंदी के प्रयोग में उपेक्षा पर चिंता भी प्रकट की। यदि ये सभी तत्व राष्ट्रभाषा में प्रांतीयता की सीमा से मुक्त होकर शुरू से प्रयोग में लाए गए होते तो राष्ट्रभाषा का विकास विश्व की किसी भाषा से कम न होता।

निश्चय ही प्रेमचंद ने जिस भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया वह जन समाज की भारतीय राष्ट्रभाषा रही है, शिवप्रसाद सितारे हिंद की, शासन को खुश करने की प्रवृत्ति से ग्रसित, बनावटी भाषा नहीं। जब कथ्य होता है तो स्वाभाविक भाषा अपने आप लहरों की तरह भावों को लहराती है उसके लिए यत्न करके प्रेशर नहीं डालना पड़ता प्रेमचंद के भाषा संबंधी विचार-विश्लेषण युगानुरूप हैं। □□□

बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय में हिंदी का प्रयोग

---डॉ० सूर्यमणि पाठक,
उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई

बैंकिंग जनसंपर्क पर आधारित सेवा है और जनसंपर्क पर आधारित सेवा संबंधी कोई भी उपक्रम जनभाषा की अवहेलना नहीं कर सकता ।

बैंक ऑफ इंडिया ने हमेशा महसूस किया है कि बैंकिंग एक जनसंपर्क पर आधारित सेवा है और यह भी कि जनसंपर्क पर आधारित सेवा संबंधी कोई भी उपक्रम जनभाषा की अवहेलना नहीं कर सकता। इसलिए अपने जनसंपर्क को विस्तृत आधार देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया लोगों से उनकी अपनी भाषा में संपर्क करने में विश्वास रखता आया है। बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंक ने राजभाषा अधिनियम, 1963 से पहले ही जनसंपर्क के सभी बिंदुओं पर क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। इसी नीति के अंतर्गत जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक फार्म और शाखाओं तथा कार्यालयों के नामपट्ट आदि अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार कराए गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

राष्ट्रीयकरण के बाद राजभाषा संबंधी सरकारी नीति के कार्यान्वयन के लिए बैंक के उच्चतम स्तर पर 1974 में प्रधान कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की स्थापना की गई। बैंक में हिंदी के अधिकाधिक प्रसार के लिए क्रमशः प्रादेशिक और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया। आज बैंक में 17 राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं।

बैंक में हिंदी के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए 1974 में प्रधान कार्यालय में हिंदी कक्ष की स्थापना की गई। बैंक के कामकाज में हिंदी के विस्तार के साथ हिंदी कक्षों की संख्या में भी वृद्धि की गई जो अब 17 तक पहुँच गई है। ये हिंदी कक्ष अपने-अपने प्रदेशों और क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन को बढ़ाने में सक्रिय हैं।

अनुवाद कार्य

बैंक के लगभग सभी फार्मों, रजिस्टरों, बहियों और अन्य लेखन समग्री जैसे पत्रशीर्ष, लिफाफे, रबर स्टांप आदि का अनुवाद हो चुका है जिनमें से अधिकांश द्विभाषिक रूप में छप चुके हैं। भविष्य में बैंक की सारी स्टेशनरी को द्विभाषिक छपाई को सुनिश्चित किया जा रहा है।

बैंक के प्रधान कार्यालय से जारी होने वाले लगभग सभी परिपत्र अब द्विभाषिक रूप में जारी किए जाते हैं। बैंक के निदेशक बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तो 1969 से ही हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी की जा रही है। बैंक के कामकाज संबंधी अनुदेश/मैनुअल के 4 खंड हैं। इस अनुदेश मैनुअल के संशोधित संस्करण के प्रकाशन का काम चल रहा है। पहले खंड के संशोधित संस्करण का हिंदी पाठ तैयार हो चुका है। इसी प्रकार अन्य खंडों के हिंदी रूपांतरण का काम भी जारी है।

इसके अलावा बैंक का सारा प्रचार और विज्ञापन अंग्रेजी के साथ ही साथ हिंदी में भी किया जाता है; प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्तियाँ हिंदी में भी जारी की जाती हैं।

हिंदी में मूल कार्य

हिंदी भाषी प्रदेशों की शाखाओं और कार्यालयों में मूल रूप में हिंदी पत्राचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण; बैंकिंग संबंधी हिंदी शब्दावलियाँ और शब्दकोष, हिंदी टाइपिस्टों और टाइपराइटरों जैसी मूल भूत सुविधाएँ प्रदान करने में सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

हमारी त्रैमासिक गृह पत्रिका "दि टेलर" में एक हिंदी खंड भी रखा गया है ताकि हिंदी लेखन में रुचि रखने वाले कर्मचारियों की प्रतिभा को मुखर होने का अवसर मिल सके।

हमारे कार्यपालक और उच्चाधिकारी बैंक में कामकाज और जनसंपर्क के लिए अक्सर दौरों पर जाते हैं। ऐसे समय जब भी जनता और स्टाफ सदस्यों को संबोधित करने का अवसर आता है, विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, वे अपना भाषण हिंदी में ही देते हैं।

अब बैंक के प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों के उच्चाधिकारियों ने हिंदी में लिखे प्रस्तावों और ज्ञापनों पर हिंदी में टिप्पणियाँ लिखनी आरम्भ कर दिया है। इससे

नीचे के स्तर पर हिंदी में काम करने का हौसला बढ़ रहा है।

प्रशिक्षण

हिंदी प्रशिक्षण बैंक में हिंदी कार्यान्वियन की पहली शर्त है। इसके लिए हमने एक व्यापक प्रशिक्षण योजना तैयार की है। इसमें प्रशिक्षण को दो भागों में बाँटा गया है:

1. हिंदी भाषा और बैंकोंमुखी हिंदी का प्रशिक्षण।

2. हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण।

हिंदी भाषा के प्रशिक्षण के लिए बैंक ने अपनी कक्षाएँ चलाई हैं। जहाँ यह संभव नहीं है वहाँ कर्मचारी पत्राचार पाठ्यक्रम या अन्य प्राइवेट वर्गों में सीख कर हिंदी की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं।

बैंकोंमुखी हिंदी के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएँ चलाई जाती हैं जिनमें व्यावहारिक काम को आधार बनाकर बैंकिंग संबंधी हिंदी का अभ्यास कराया जाता है। इसके अलावा सी० ए० आई० आई० बी० की परीक्षा में भी बैंकोंमुख हिंदी का एक प्रश्नपत्र होता है।

हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना की कक्षाओं की सहायता ली जाती है। बैंक के वर्तमान टाइपिस्टों और आशुलिपिकों को प्राइवेट वर्गों में हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि सीख कर सरकार द्वारा मान्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की भी छूट है।

इन सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नक़द प्रोत्साहन राशियाँ भी दी जाती हैं।

विविध

इसके अलावा शाखाओं के साइन बोर्ड, काउंटर बोर्ड, नामपट्ट आदि को द्विभाषिक रूप में लगाने के निदेश दिए जा चुके हैं।

हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करने और हिंदी के ज्ञान को बरकरार रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्रों में हिंदी पुस्तकालय खोले गए हैं। ग्राहकों और बैंक के प्राधिकारियों को, यदि वे चाहें तो हिंदी में हस्ताक्षर करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

इस प्रकार बैंक ऑफ इंडिया में हिंदी का कार्यान्वियन बैंक के समग्र विकास कार्यक्रम का एक अंग बन गया है। आशा है समय के साथ-साथ हिंदी का प्रयोग सुचारु रूप से बढ़ता ही जाएगा। हमारी अपनी मान्यता है कि **बैंकिंग एक ऐसी आवश्यक सेवा है जो हर एक व्यक्ति के जीवन से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। इसलिए हर एक को अवसर देना चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा बैंक की सेवाओं से परिचित हो सके। बैंक में हिंदी का प्रयोग इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है और हमें विश्वास है कि एक दिन सभी को इससे लाभ होगा।** □□□□

(पृष्ठ 4 का शेष)

में कुछ और बातें भी घोषित की गईं हैं तथा राजभाषा विभाग हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए इधर कई वर्षों से काफ़ी सक्रिय रहा है जिसका पता उसकी वार्षिक रिपोर्टों से लगता है।

जहाँ तक राजभाषा हिंदी के विकास का संबंध है यह ध्यान देने की बात है कि राजभाषा या प्रशासनिक भाषा या कार्यालयीन भाषा के रूप में किसी भाषा के विकास का अर्थ होता है उस भाषा की एक ऐसी प्रयुक्ति (Register) का विकास, जो विश्व के अन्य समुन्नत देशों जैसे इंग्लैंड, अमरीका, सोवियत संघ आदि में सुविकसित कार्यालयीन भाषा (Officialese) के समान निर्वैयक्तिक पारिभाषिक शब्दों में अन्य प्रयुक्तियों से यथावश्यकता अलग, प्रयोग की आवश्यकताओं के अनुरूप, स्पष्ट, असंदिग्धार्थता से युक्त तथा लचीली हो। उसमें पारिभाषिक शब्द ऐसे होने चाहिएं जिनसे आगे चलकर आवश्यकतानुसार नए पारिभाषिक शब्द बनाए जा सकें। साथ ही कार्यालयीन भाषा में पदनाम या अन्य प्रकार के संक्षेपों (जैसे J. S.—Joint Secretary) का प्रयोग बहुत अधिक होता है। इससे बोलने तथा लिखने में समय की भी बचत होती है तथा सुविधा भी होती है। अतः समुन्नत राजभाषा के लिए यह भी अनिवार्यतः आवश्यक है कि उसमें ऐसे स्पष्ट और सरल नियम हों जिनके आधार पर सरलता से संक्षेप बनाए जा सकें। कहना न होगा कि राजभाषा हिंदी पारिभाषिक शब्दावली आदि कुछ क्षेत्रों में तो काफी विकसित हो गई है इसमें निर्वैयक्तिक प्रयोगों (जैसे 'सूचित किया जाता है, न कि मैं सूचित करता हूँ) का भी अच्छा विकास हो गया है, किंतु संक्षेप के नियम जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिस दिशा में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, और उस दिशा में विकास के लिए राजभाषा हिंदी को प्रयास करना है। □□□□

हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली : एकरूपता के संकल्प की आवश्यकता

—प्रमोद शंकर भट्ट

हिंदी अधिकारी, भारतीय नौवहन निगम लि०, बंबई

वस्तुतः भाषा के दो ही रूप प्रचलित हैं—मानक भाषा और बोलचाल की आम भाषा। इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ समानता है पर कहीं-कहीं अंतर भी है क्योंकि मानक भाषा मूलरूप से लेखन की भाषा है और शब्दावली के प्रयोग में मानक भाषा का स्वरूप अधिक उभर कर सामने आता है।

वैसे मानक भाषा भी दो स्तरों पर कार्य करती है। एक है, बोलचाल के स्तर की और दूसरी शुद्धरूप से लिखने के स्तर की। बोलचाल में मानक भाषा हमें कहीं-कहीं कुछ छूट अवश्य देती है, पर लिखने की भाषा में हमें अधिक सतर्कता और औपचारिकता का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम मानक भाषा बोलते हैं, तो अधिक सावधानी भले ही न बरतें पर लिखते समय शब्दचयन और वाक्य विन्यास पर हमारी नजर अवश्य रहती है, क्योंकि लिखने की भाषा को हम अधिक स्थाई और दायित्वपूर्ण मानते हैं।

सामान्य विषयों पर मानक भाषा में आम आदमी भले ही लिख लेता हो, पर विशिष्ट विषयों का जब प्रश्न आता है, वहाँ अभिव्यक्ति की क्षमता के लिए भाषा को विशेष प्रकार से सीखना और आत्मसात करना होता है। उसके लिए उसे भाषाओं से संपर्क करना होता है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति का बोलने और लिखने की दोनों भाषाओं पर जितना अधिक अधिकार होगा, उसका भाषाज्ञान उतना ही स्पष्ट होगा। लेकिन इससे यह तात्पर्य नहीं लगाया जा सकता कि जिस व्यक्ति को मानक हिंदी का ज्ञान है, वह बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए या उस परिवेश में बिना रहे, सरकारी कामकाज हिंदी में भी कर सकेगा।

अंग्रेजी के सामान्य ज्ञान का व्यक्ति सरकारी कामकाज अंग्रेजी में इसलिए कर सकता है, क्योंकि वह उस भाषा के संपर्क में बराबर आ रहा है। शब्दावली के वह बार-बार नजदीक आता है। उसके अनुभवी और पुराने साथी उसकी भाषा में सुधार करते रहते हैं और इसके साथ उसे कोशों की सुविधा है, वह उनकी भी सहायता लेता रहता है। नित नए-नए संपर्क, मार्गदर्शन और स्थिति की अनिवार्यता उसे उस भाषा के निकट ले आती हैं, लेकिन हिंदी के मामले में स्थिति कुछ भिन्न है। पुरानी पीढ़ी से भाषा और शैली के प्रयोग की कोई पद्धति नई पीढ़ी को प्राप्त नहीं हुई है। अब इस नई पीढ़ी पर एक जिम्मेदारी आई है कि वह सरकारी कामकाज की हिंदी की एक ऐसी भाषा तैयार करे, जो कामकाज की सभी भाषाई आवश्यकताओं को पूरा करे, जो संपर्क के सभी स्थलों और स्तरों पर सबकी समझ में आने वाली हो तथा अभिव्यक्ति की दृष्टि से सुंदर और ग्राह्य भी हो।

वैसे अब यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में कुछ कर्मठ विद्वानों के आ जाने से भाषा की इस विशिष्ट रचना की शुरुआत तो हो गई है, पर अभी कठिनाइयों का दौर खत्म नहीं हुआ है। अगर हम यह सोचने लगें कि यह भाषा अपने आप विकसित हो जाएगी या समय आने पर अपने आप बन जाएगी तो यह हमारी भूल होगी। आज जरूरत है कि हम अपनी इस सरकारी कामकाज की हिंदी भाषा को स्तरीय ढंग से विकसित करें, जिससे सभी पीढ़ियाँ उसे आसानी से आत्मसात कर सकें। इसलिए आवश्यक है कि हिंदी में सरकारी कामकाज करने की दिशा में अभिरुचि का विकास हो। हमारी शब्दावली में एकरूपता हो। हम अपनी शब्दावलियों के प्रयोग में सतर्कता बरतें और भाषा में सामान्य शैलीगत विशेषताएँ लाएँ।

भाषा अनुभवों की केवल अभिव्यक्ति ही नहीं करती, बल्कि वह उन्हें रूप भी देती है। वह भाषिक समुदाय के संपूर्ण व्यवहार को अभिव्यक्त करती है। अगर यह कहा जाय कि समुदाय की भाषा को भली प्रकार से समझने से तात्पर्य है उसे संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में आत्मसात करना, तो यह कहीं ज्यादा सही होगा। यदि हम शब्दों को उनके कोशों के अर्थ तक ही सीमित रखेंगे, तो हमें समाज से कैसे साक्षात्कार होगा। इसलिए भाषा सीखने का अर्थ मात्र उसकी व्याकरणिक रचना सीखना नहीं है। शब्दों से साधारण अर्थों की ही जानकारी नहीं होती, अपितु उस संपूर्ण परिवेश से एक विशेष पहचान होती है।

इस दृष्टि से अब यह कहा जा सकता है कि आज पूरा परिवेश बदल रहा है क्योंकि हिंदी में सरकारी कामकाज अब हर स्तर पर प्रारंभ हो गया है। शहरों से गाँवों तक में यह कार्य प्रारंभ हो गया है। बैंकों को ग्रामों में ग्रामीणों के भाषाई स्तर तक उतरना पड़ रहा है, लेकिन यहीं यह भी जरूरी है कि वे भाषा के स्तर को ऐसा बनाएँ कि वह बनावटी न लगे।

हमारे सामने एक सवाल यह भी है कि सरकारी कामकाज के लिए भाषा का कैसा स्वरूप तैयार किया जाए। वास्तव में भाषा वह होनी चाहिए जो कर्मचारियों की भाषा क्षमता और उनकी लेखन-क्षमता की समस्याओं का समाधान करे, संवाद को प्रभावशाली बनाए। इससे पहले कि हम अपने वांछित भाषा स्वरूप को निश्चित करें, कुछ और भी विचारणीय समस्याएँ हैं।

यह सर्वविदित है कि अब तक हमारा सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता रहा है और हो भी रहा है। हमारे इस. आधुनिक रूप का विकास पश्चिमी प्रभाव से हुआ है। हमें सरकारी कामकाज की एक बनी बनाई भाषा मिली। ऐसी अवस्था में भाषा का स्वरूप निश्चित था, शब्दावली भी एक प्रकार से नियत हो चुकी थी। नियमित प्रयोग करने के फलस्वरूप सरलता, अर्थ की सार्थकता, शैली की सुंदरता, स्वतंत्र मुहावरों और संक्षिप्तता का विकास हुआ और यह परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती चली आई। सामान्य कर्मचारी इसमें सरलता से काम करने के आदी हो गए। पारिभाषिक शब्दों के लिए उन्हें कहीं विचरना नहीं पड़ा और किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी। एक सुविधा मिली जिसे उन्होंने अपना लिया।

और अब जब उसी अंग्रेजी में कार्य करने में अभ्यस्त कर्मचारी को हिंदी में पत्राचार करने, सरकारी कामकाज हिंदी में करने को कहें तो उसके सामने शब्दावली की एकरूपता, वांछित अर्थध्वनि, भाषा के विशिष्ट प्रयोग और मुहावरों की स्वतंत्रता का प्रश्न उठता है और यदि ऐसी स्थिति में वह कोई त्रुटि करता है, तो वह क्षम्य है, क्योंकि उसे "रनिंग ट्रेन" से मात्र "दौड़ रही गाड़ी" का ही अर्थ मिलता है। सदैव सतर्क व्यवहार करने वाले कर्मचारी से यह उम्मीद करना कि वह अंग्रेजी भाषा की तरह हिंदी में भी बेखटके भाषा का प्रयोग करे तो उसके साथ सरासर ज्यादती होगी, क्योंकि वह एक बँधीबँधाई परंपरा में ही अब तक जी रहा है। और तभी वह कहता है कि हिंदी के पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी पर्याय देनेवाले अच्छे शब्दकोशों की कमी है और यही कारण है उनका सही आशय समझने में दिक्कत होती है।

—कि हिंदी शब्दावलियों में एक ही शब्द के कई-कई पर्याय दिए गए हैं और वहाँ नए जानकार को यह तय करना कठिन प्रतीत होता है कि किस पर्याय का किस अर्थ में प्रयोग करना ठीक होगा।

—कि कई हिंदी जानकार सहज और स्वाभाविक हिंदी नहीं लिखते हैं। उनका वाक्य विन्यास अस्वाभाविक और शैली जटिल होती है।

—कि हिंदी में एकरूपता नहीं है, विद्वत्ता के चक्कर में पड़ कर वह भ्रामक हो जाती है और अनुवादक केवल शब्दकोशों के चक्कर में ही पड़ कर रह जाता है और तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दों के आगे तो एक कभी न हल होने वाला प्रश्नचिह्न लगा हुआ है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आज हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम एक ऐसी भाषा और शब्दावली तैयार करें, जो सरकारी कामकाज से संबंधित किसी भी विषय को वांछित अर्थध्वनि दे तथा शब्दावली की समरूपता और स्पष्टता को अभिव्यक्त कर सके।

इसी संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा के स्वरूप का। यह सही है, अंग्रेजी को मानक स्वरूप मिल चुका है, इसीलिए उसे सरल और बोधगम्य बनाने का सवाल नहीं उठता, लेकिन हिंदी के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह तर्क यहाँ सरासर बेबुनियाद है कि जब अंग्रेजी में कठिन शब्दों का प्रयोग हो सकता है, तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकता। इस प्रश्न को लेकर हमें दोनों भाषाओं के बीच कोई टकराव पैदा नहीं करना है। बल्कि हमें अब हिंदी भाषा में उन क्षमताओं को खोजना है, उनका सही इस्तेमाल करना है, जो वस्तुतः उसमें निहित हैं।

इस भाषाई संक्रमणकाल में अनेक कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि एक ही कामकाज में दो भाषाओं की स्थिति में भाषाई दृष्टि से अनेक जटिलताएँ पैदा हो जाती है और उस समय तो और भी जब एक को नींव मिल चुकी है और दूसरी के लिए नींव की तलाश की जा रही है।

वैसे यहाँ यह कहना ज्यादा तर्कसंगत होगा कि हर भाषा अपने आप में एक स्वतंत्र व्यवस्था है। यदि दो भाषाओं का प्रयोग एक ही प्रकार के कामकाज के संदर्भ में होगा तो इसका तात्पर्य है, दो व्यवस्थाओं की वस्तुस्थिति को बनाए रखना। यह स्थिति तब तक संभव नहीं हो पाएगी, जब तक लेखन स्तर पर शब्दावली, वाक्य विन्यास और शैली को अलग-अलग न रखा जाए। और इसीलिए **सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के स्वरूप को निर्मित करते समय हिंदी और अंग्रेजी की भाषाई प्रकृति के अंतर को संयत होकर समझना होगा और अंग्रेजी के प्रभाव से बचना होगा।**

आज हमें कामकाज की भाषा का स्वरूप बदलना होगा, जिसमें शब्दावली का स्वरूप दिखाई दे, भाषा में सरलता हो, अर्थध्वनि में स्पष्टता हो, शैली में प्रांजलता हो और जब ये सब गण हमारी भाषा में होंगे तो हमारी भाषा में किसी भी प्रकार का बनावटीपन न होगा। इस बनावटी रूप से बचने के लिए हिंदी की संरचनात्मक प्रकृति को जानना है, अंग्रेजी की व्याकरण की पद्धति के अंतर को समझना है।

कौन नहीं जानता कि दोनों भाषाओं की रचना प्रक्रिया और प्रकृति में भिन्नता है। अंग्रेजी शब्दक्रम प्रधान भाषा है तो हिंदी विभक्ति प्रधान भाषा है। हिंदी को शब्दक्रम में लिखें तो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। ऐसी दशा में हिंदी में ही हर काम हमें सोचना होगा। अब समय आ गया है, जब हमें कथ्य की प्रामाणिकता और स्पष्टता का तो ध्यान रखना ही है, दूसरी भाषा के प्रभाव और उसकी नकल करने से भी बचना है। प्रत्येक भाषा की व्यवस्था अपने आप में इतनी

पूर्ण है कि दूसरी भाषा की बिना नकल किए अपनी बात को सही ढंग से, सहज रूप से प्रस्तुत कर सके।

अब सवाल आता है, शैली का। सरकारी कर्मचारी व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। लेखन के स्तर पर उनकी भाषा इस व्यवस्था द्वारा विकसित शैली के जितना नजदीक आएगी, उतना ही लाभ होगा। अक्सर देखा गया है, सामान्य तौर पर अंग्रेजी में लिखे पत्रों/परिपत्रों की शैली सदा एक-सी ही होती है अर्थात् व्यक्ति उस व्यवस्था के आकार में खो जाता है और प्रचलित शैली को ही स्वीकारता है, क्योंकि उसे मालूम है, यही आसानी से रच-पच जाएगी और स्वीकारी भी जाएगी, क्योंकि इसको सब सरलता से समझ लेते हैं।

सरकारी कामकाज में हिंदी के मान्य मुहावरों को अभी तक विकसित नहीं किया जा सका। व्यक्तिगत रुचियों और कुछ अंश तक भाषा के प्रयोग को लेकर कुछ विद्वानों में पूर्वाग्रह ठन गए हैं, जिसका फल यह हुआ कि एक साथ मुहावरों की बाढ़ आ गई है पर अब हमें एक संकल्प के साथ यह विचार करना है कि शब्द का सीमित अर्थ ही हमें क्यों न मिले, हमें हिंदी को सरकारी कामकाज में लाना है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे मुहावरों का निर्माण करें, जो अनगढ़ न लगें, बल्कि स्वीकार किए जाएँ।

जहाँ तक शब्दावली का प्रश्न है, भाषा विज्ञान उसे भाषा व्यवस्था का गौण अंग मानता है। भाषा में शब्द आए और गए पर भाषा का सबसे परिमार्जित अंश उसकी शब्दावली है क्योंकि व्याकरण में परिवर्तन की गति बहुत शिथिल होती है। यह सर्वग्राह्य है कि शब्द का सीधा संबंध अर्थ से होता है, पर यह संबंध इतना सूक्ष्म है कि तटस्थता से इसका विश्लेषण करना कठिन है, वैसे जहाँ तक सरकारी कामकाज में भाषा का प्रश्न है, वहाँ भाषा एक व्यवस्था का अंग है और सरकारी कामकाज के प्रयोग में आने वाली शब्दावली इस व्यवस्था में आकर फिट हो जाती है। शब्दावली यद्यपि विकल्प देती है, पर व्यवस्था में विकल्पों को स्थान नहीं है। वहाँ विकल्प से अर्थ बदल जाएगा और जो कहना चाह रहे हैं, वह विपरीतार्थ में लिया जाएगा।

भाषा के बारे में यद्यपि कुछ अस्पष्ट भ्राँतियाँ फैला दी जाती हैं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय के आधिक्य के बारे में, पर अधिकता तो शब्दों की होती है। वास्तव में उपसर्ग और प्रत्यय इतनी क्षमता वाले हैं, कि इनकी सहायता से असंख्य कथन प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इसीलिए यह कहना कि हिंदी में अर्थ व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, जो अंग्रेजी में है, भाषा की क्षमता को गलत ढंग से आँकना है।

यह सर्वथा सत्य है कि शब्दावली भाषा का सबसे अस्थिर अंग है। नई संकल्पनाओं के साथ नए शब्द आते हैं, उन्हें दूसरी भाषा से लिया जाए, या नया रूप देकर गढ़ा जाए, वे बढ़ते चले जाते हैं, भाषा को समृद्ध बनाते हैं। शब्दावली का विभिन्न प्रकार से प्रयोग भी भाषा के अलग-अलग स्तर को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। यह बात कभी कभी हमें आम बोलचाल और लेखन स्तर पर भी दिखाई पड़ती है। कई बार अर्थ एक होने पर भी शब्दावली से शब्द चयन के समय ऐसे अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, जो भाषाई न होकर सामाजिक और संस्कार लिए हुए होते हैं। इसलिए शब्दावली का चुनाव करते समय हमें विभिन्न विकल्पों की सुविधा प्राप्त नहीं है। **सरकारी कामकाज के लेखन में शब्दावली का प्रयोग करते समय हमें सभी के लिए निर्वैयक्तिक भाषा का ही प्रयोग करना होगा, लेकिन इसके साथ यहीं यह भी ध्यान रखना होगा कि भाषा में बनावटीपन न आने पाए। शब्दों का प्रयोग ऐसा किया जाए कि दायित्वों के बारे में कोई भ्राँति न हो।**

अब समय आ गया है, जब असंख्य शब्दावलियाँ प्रकाश में आ गई हैं, इस दृष्टि से शब्दों का प्रयोग करने वालों में अर्थ को लेकर एक प्रकार का समझौता होना चाहिए, फिर वह शब्द चाहे कहीं भी प्रयोग में लाया जाए, विशिष्ट अर्थ-संदर्भ के लिए उसी शब्द का प्रयोग होगा। यही भाषा की एकरूपता होगी। पारिभाषिक शब्दों के रूप में इसे मानकीकरण कहा जाता है और जब समझौते के बाद हम एक शब्दावली को स्वीकार कर लें, तो आपसी मतभेद पूर्वाग्रह और तर्कवितर्क का प्रश्न ही नहीं उठता। शब्दावली को अन्तिम रूप देने से पूर्व भले ही हम जो भी सिद्धाँत कायम करें, शब्दों को कहीं से भी जुटाएँ, पर जब शब्दावली तैयार हो जाए तो व्यक्तिगत राय या अन्य शब्दावलियों का संदर्भ शब्दावली के उद्देश्य को समाप्त न कर पाए। एक साथ कई-कई शब्दावलियों के प्रचलन से विकल्पों की संख्या बढ़ जाती है और उस समय सबसे कठिन समस्या होती है विकल्प के चयन की। विभिन्न प्रकार के विकल्पों के संप्रेषण में कठिनाई आती है और अर्थ अर्थहीन हो जाता है। आज जरूरत है कि एक उद्देश्य या विचार के लिए एक ही शब्द चुनें, फिर वह शब्द संयुक्त शब्द ही क्यों न हो।

और एक बार जब मान्य शब्दावली स्वीकार ली जाएगी, तो हम भी उस व्यवस्था और उसके अनुशासन में बँध जाएँगे। यह अनुशासन ही नए शब्द को पारिभाषिक अर्थ में रूढ़ बनाता है। बार-बार जब वह प्रयोग में आएगा तो भाषा का रूप विकसित होगा, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, उद्देश्य है।

कहा जाता है कि हमारी पारिभाषिक शब्दावली का एक विशिष्ट अंग संस्कृत के तत्सम शब्दों से लिया गया है। हिंदी के लेखन की मानक भाषा में संस्कृत से न केवल शब्द ही आए हैं, बल्कि नए रूपों को आकार देने वाले प्रत्यय भी आए हैं।

अतः हमें कथ्य की प्रामाणिकता पर बल देना है, शैली के मामले में हमारे सामने अधिक विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकारी कामकाज का लेखन कोई साहित्यिक सर्जनात्मक लेखन नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमें सीमाओं, व्यवस्थाओं, आदर्शों की इस चारदीवारी के अंदर ही ऐसे भाषा स्वरूप को आकार देना है, जो संप्रेषणीय हो, सार्थक हो, स्वीकार्य हो और बनावटी या नकली न लगे। □□

संपदा निदेशालय और राजभाषा हिंदी

—दीनानाथ असीजा
संपदा निदेशक, नई दिल्ली

परिवतन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर समय गतिशील रहती है। जहाँ यह परिवर्तन स्वत: अनायास होता है वहाँ प्रतिरोध प्रबल नहीं होता और जहाँ समझ बूझ कर योजनाबद्ध रूप से किसी परिवर्तन को लाने का प्रयास किया जाता है वहाँ प्रतिरोध भी प्रयासपूर्वक किया जाता है। मानव समाज में पुरातन व्यवस्था के समापन और नूतन की प्रतिष्ठा के बीच कुछ संक्रमण काल रहता है जिसे द्विविधा की स्थिति कहा जा सकता है। इस संक्रमण काल में नई और पुरानी व्यवस्थाएँ साथ-साथ चलती हैं। यह अवधि जितनी कम हो उतना ही श्रेयस्कर है और इसके विपरीत यह अवधि जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक कठिनाइयाँ नई व्यवस्था के मार्ग में आएँगी। संक्रमण अवधि अल्प होने की दशा में लक्ष्य शीघ्र प्राप्त हो जाता है और समस्याएँ कम उठती हैं और द्विविधा की स्थिति शीघ्र समाप्त हो जाती है। संक्रमण की अवधि दीर्घ होने पर द्विविधा की प्रवृत्ति के प्रतिगामी होने की संभावना रहती है। परिवर्तन का प्रतिरोध होता है और समस्याएँ अधिक उठती हैं। प्रतिगामी स्वर अधिक मुखर होता जाता है और समय मिल जाने के कारण प्रतिरोध पक्ष को प्रबल बनने में सहायता मिल जाती है। पराधीनता की प्रतीक अंग्रेजी भाषा के आधिपत्य को समाप्त कर हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया भी इसी दीर्घकालीन संक्रमण अवधि के चक्र में पड़कर अनेक समस्याओं से आबद्ध रही है। भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार देवनागरी में लिखित हिंदी भाषा को जनवरी, 1965 में केंद्र सरकार के राजकाज की भाषा का स्थान ले लेना चाहिए था किंतु ऐसा नहीं हो सका। हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाए रखना अनिवार्य हो गया।

भारत सरकार के कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में कार्य करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ पिछले लगभग तीस वर्षों से की जा रही हैं किन्तु इतनी लंबी अवधि के बाद हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी की तुलना में अब भी कम है। संपदा निदेशालय भी इस कथन का अपवाद नहीं है। संपदा निदेशालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विभिन्न आदेशों और योजनाओं को कार्यरूप देने का कार्य वास्तव में 1974 के मध्य से प्रारंभ हुआ जबकि इस कार्यालय में एक हिंदी अधिकारी और एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की नियुक्ति की गई। इससे पूर्व इस निदेशालय में केवल एक हिंदी सहायक था। इसी वर्ष संपदा निदेशालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की स्थापना की गई और तब से लेकर अब तक इस समिति की सत्रह बैठकें की जा चुकी हैं। इन बैठकों में इस निदेशालय में हिंदी के प्रयोग के संबंध में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की गई और इस कार्य को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के उपाय सुझाए गए। फलस्वरूप इस निदेशालय में चहुँमुखी प्रगति के प्रयास किए गए। संपदा निदेशालय का प्रमुख कार्य सरकारी कार्यालयों और सरकारी अधिकारियों को कार्यालय और रिहायशी आवास देना तथा किराए की वसूली पर नजर रखना है। अत: पहला कार्य यह किया गया कि विभिन्न टाइप के आवासों में से प्रथम चार श्रेणियों अर्थात् टाइप "ए" से "डी" तक के मकानों के लिए प्रतीक्षा सूची हिंदी में जारी करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद इन मकानों के आबंटन पत्र, बेबाकी पत्र और किराया बिल हिंदी में जारी करने की व्यवस्था की गई।

राजभाषा (संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन संपदा निदेशालय को सरकारी गजट में अधिसूचित किया जा चुका है। संपदा निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में से चार में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक होने पर उनमें से दो "क" क्षेत्र के कार्यालयों अर्थात् सहायक संपदा प्रबंधक कार्यालय, फरीदाबाद को तारीख 24-7-78 को और "ख" क्षेत्र के दो कार्यालयों अर्थात् संपदा प्रबंधक कार्यालय, बम्बई और सहायक संपदा प्रबंधक कार्यालय, नागपुर को तारीख 16-1-80 को उक्त नियमों के अधीन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

संपदा निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में सरकारी काम करने की सुविधा की दृष्टि से "कार्यालय सहायिका" की एक-एक प्रति उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त इस निदेशालय के कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्यायों का संकलन तैयार किया गया और उसकी प्रतियाँ व्यापक रूप से उपलब्ध कराई गईं। जिन कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने में कुछ कठिनाई अनुभव हुई उनको हिंदी में कार्य करने का अभ्यास कराने

के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। **हिंदी कार्यशालाओं के छः सत्र चलाए गए। इनमें से प्रत्येक सत्र की अवधि तीस दिन की थी। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों में हिंदी में काम करने के प्रति रुचि के साथ-साथ उत्साह भी बढ़ा।** कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और गुण तथा मात्रा की दृष्टि से श्रेष्ठ माने गए व्यक्तियों को नक़द राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई तथा अन्य व्यक्तियों को प्रशंसा पत्र दिए गए।

पूर्णतः हिंदी में कार्य करने का वातावरण तैयार करने की दृष्टि से संपदा निदेशालय के चार अनुभागों को सभी काम हिंदी में करने के लिए घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य दस अनुभागों में दस सीटों को समूचा कार्य हिंदी में करने के लिए नामित किया गया और इन सीटों पर हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को तैनात किया गया। यह व्यवस्था भी की गई है कि हिंदी में काम करने के लिए निश्चित की गई सीट से यदि किसी व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है तो उसके स्थान पर ऐसे व्यक्ति की तैनाती की जाए जिसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हो।

गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण और प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत इस निदेशालय द्वारा प्रवीण, प्राज्ञ आदि कक्षाओं के लिए उपयुक्त कर्मचारियों को नामित करने के अतिरिक्त हिंदी आशुलिपि तथा हिंदी टाइपिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए समुचित संख्या में कर्मचारियों को भेजा जाता रहा है। परीक्षा में पास होने तथा प्रशिक्षण के बाद संतोषप्रद रूप से अथवा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर नियमानुसार उपलब्ध वैयक्तिक वेतन और पुरस्कार राशियाँ भी संबंधित व्यक्तियों को प्रदान की जाती रही हैं।

इसके अतिरिक्त राजभाषा (संघ के प्रशासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में की गई विभिन्न व्यवस्थाओं को संपदा निदेशालय में लागू करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। द्विभाषी नामपट्ट, द्विभाषी मोहरों की व्यवस्था के साथ-साथ जिन कागजात को द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अपेक्षित है उनको तदनुरूप भेजने की व्यवस्था की जाती है। पत्र व्यवहार के मानक हिंदी प्ररूप उपलब्ध कराने के साथ-साथ फार्मों आदि के द्विभाषी मुद्रण की भी व्यवस्था की जाती है। नियम पुस्तिकाओं आदि को द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जाता है।

उपर्युक्त सभी व्यवस्थाओं के बावजूद हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है। इसके कारणों पर अनुभवों के आधार पर दृष्टिपात करने से अनेक पक्ष दिखाई पड़ते हैं। सरकारी तंत्र हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुविध प्रयास कर रहा है। किन्तु इन प्रयासों में ताल-मेल का अभाव है। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति को हिंदी शिक्षण देकर प्राज्ञ पास कराया जाता है उसे हिंदी के कार्य पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि नियमों में उसे इस बात की छूट है कि वह हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में काम कर सकता है। परिणाम यह होता है कि सरकारी प्रयासों से जो हिंदी उसने सीखी थी उसका उसे लाभ नहीं मिलता और कुछ समय बाद वह लिखना पढ़ना भी भूल जाता है। उसे केवल एक लाभ होता है, वह है एक वर्ष तक एक वेतन वृद्धि का। वस्तुतः सरकारी काम में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं होता।

इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को हिंदी आशुलिपि अथवा देवनागरी टाइपराइटिंग का प्रशिक्षण दिलवाया जाता है, उनके बारे में भी यही बात कही जा सकती है। हिंदी आशुलिपिक अथवा हिंदी टंकक के लिए कितना काम कार्यालयों में होता है यह बात सुविदित है। फिर भी हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिक को अंग्रेजी में डिक्टेशन लेना होता है और टाइपकार को अंग्रेजी टाइपिंग अथवा फाइलों का काम करना होता है। परिणाम यह होता है कि उन्हें अभ्यास नहीं रहता और एक वर्ष के बाद उन्हें हिंदी में डिक्टेशन अथवा टाइपिंग के लिए कहा जाए तो वे अपनी असमर्थता प्रगट कर देते हैं। इस प्रकार प्रशिक्षण के सरकारी प्रयास विफल होते जा रहे हैं।

विसंगतियों की शृंखला में एक बात और उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग हिंदी में आशुलिपिकों को प्रशिक्षण दिलवा रहा है जिसके लिए प्रशिक्षणार्थी को दूर-दराज केन्द्रों पर जाना पड़ता है जबकि कार्मिक विभाग का सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान अंग्रेजी आशुलिपि का प्रशिक्षण कार्यालयों में ही देने की व्यवस्था कर रहा है। हिंदी आशुलिपि के भविष्य से निराश नवयुवक कार्यालय में सुलभ अंग्रेजी आशुलिपि को अधिक महत्व देते हैं। ऐसा करने से हिंदी को आगे बढ़ाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है।

एक अन्य विचारणीय स्थिति उन नई पीढ़ी के युवकों के संबंध में है जो हिंदी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करके सरकारी सेवाओं में प्रवेश करते हैं। हिंदी के लिए समुचित वातावरण के अभाव में उन नई भर्ती के व्यक्तियों को अंग्रेजी में नोट और मसौदे लिखना सीखना पड़ता है। कालांतर में अंग्रेजी शब्दावली उनके मस्तिष्क में घर कर लेती है और उन्हें अंग्रेजी में काम करना सुगम लगता है। अंग्रेजी में कार्य-कुशलता प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें हिंदी में काम करना कठिन लगता है। इस प्रकार जिस नई पीढ़ी को हम आसानी से हिंदी में काम करने का अभ्यास प्रारंभ से ही दे सकते थे, उसे हम नहीं दे पा रहे हैं जिससे अंग्रेजी को राजभाषा बनाए रखने की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं।

अंग्रेजी का वर्चस्व सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में निरंतर बना हुआ है।

(शेष पृष्ठ 18 पर)

जनता की भाषा में जनता की सेवा : यूको बैंक का संकल्प

--जगदीश नारायण पाठक,
कार्यपालक निदेशक, यूको बैंक, कलकत्ता

भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रजातंत्रात्मक गणराज्य है। प्रजातंत्र में आम जनता का हित ही सर्वोपरि होता है, इसीलिए अन्य बातों के साथ-साथ यह जरूरी हो जाता है कि देश का राजकाज जनता की भाषा में हो। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है। यूको बैंक के कामकाज में हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की शुरुआत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

1. राजभाषा विभाग/कक्षों की स्थापना

बैंक के प्रधान कार्यालय में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई है और इसमें समुचित रूप से पर्याप्त स्टाफ कार्यरत है। बैंक के हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी मंडल कार्यालयों में भी ऐसे ही राजभाषा कक्षों की स्थापना की गई है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन

राजभाषा के सम्बन्ध में सरकार की नीति और कार्यक्रमों के प्रभावशाली और तत्काल कार्यान्वयन के लिए बैंक में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ कार्यपालक हैं। बैंक के हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी मंडल कार्यालयों में भी ऐसी समितियों का गठन किया जा चुका है।

विज्ञापनों/प्रचार सामग्री को हिंदी में जारी करना

हिंदी भाषी क्षेत्रों में रोजगार आदि के विज्ञापन अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में बैंक के विज्ञापन हिंदी में ही प्रकाशित हों। अखिल भारतीय स्तर की अथवा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए जारी की जाने वाली सभी प्रेस विज्ञप्तियों और प्रेस रिलीजें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी की जाती हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषी क्षेत्रों में जनता से सम्बद्ध प्रचार सामग्री हिंदी में भी प्रकाशित की जाती है।

संकेत-पटों, काउंटरपटों तथा अन्य भित्ति-पत्रकों (प्लैकार्ड) को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी प्रदर्शित करना

बैंक के हिंदी क्षेत्रों में स्थित सभी कार्यालयों में संकेत-पट, काउंटर-पट, अधिकारियों के नाम आदि अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी प्रदर्शित किए जाते हैं तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में ये त्रैभाषिक रूप में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाते हैं।

प्रपत्रों का द्विभाषिक रूप में प्रकाशन

ग्राहकों द्वारा सामान्यतया प्रयोग में लाए जाने वाले प्रपत्रों को द्विभाषिक रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवा लिया गया है और बैंक के हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी शाखाओं में उनका प्रयोग किया जा रहा है। बैंक के इन क्षेत्रों में स्थित सभी शाखाओं में हिंदी और अंग्रेजी में इस आशय का एक सूचना-पट्ट भी प्रमुख स्थान पर लगा दिया गया है कि हिंदी में भरे गए प्रपत्रों आदि को स्वीकार किया जाता है।

द्विभाषिक चेकों का मुद्रण तथा हिंदी में लिखे चेकों का भुगतान

चेकों को द्विभाषिक रूप में मुद्रित करा लिया गया है और शाखाओं ने इनका प्रयोग करना भी प्रारम्भ कर दिया है। हिंदी में लिखे और हस्ताक्षर किए गए चेकों को हिंदी भाषी क्षेत्रों में आसानी से स्वीकृत किया जाता है और इन क्षेत्रों की जनता को इस विषय में सूचित करने के लिए बैंक के हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक शाखा में इस आशय का एक सूचना-पट्ट भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित बैंक की कुछ शाखाओं द्वारा **बचत बैंक खाता, पास बुक और बचत बैंक खाता बही को हिंदी में** भरा जाने लगा है।

बैंक के समारोहों के लिए द्विभाषिक/त्रैभाषिक निमंत्रण पत्र छपवाना

हिंदी भाषी क्षेत्रों में बैंक की शाखा आदि खोलने के अवसर पर छपाए जाने वाले निमंत्रण पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में त्रैभाषिक रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा में भी छपवाए जाते हैं।

हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना तथा मूलपत्र हिंदी में भेजना

हिंदी में प्राप्त पत्रों को अंग्रेजी के पत्रों के समान ही तत्काल निपटाया जाता है। बैंक को हिंदी में भेजे गए सामान्य

प्रकृति के पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाता है तथा ऐसे सभी पत्रों का समुचित रिकार्ड भी रखा जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित शाखाओं को निदेश दिए गए हैं कि वे कानूनी अथवा वित्तीय प्रकृति के पत्रों को छोड़कर, सामान्य मूल पत्र हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में हिंदी में लिखें जिससे 40 प्रतिशत मूल पत्र-व्यवहार हिंदी में करने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

हिंदी शिक्षण कार्यक्रम

बैंक के कर्मचारियों के लिए कलकत्ता और बम्बई में हिंदी शिक्षण की कक्षाएँ लगाई जाती हैं। और हिंदी की मान्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले बैंक के कर्मचारियों तथा हिंदी टंकण और आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को समुचित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। बैंक की अहमदाबाद, बैंगलूर और भुवनेश्वर स्थित शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी हिंदी शिक्षण की कक्षाएँ आयोजित करने का विचार है। बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, कलकत्ता में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित कार्यक्रमों में हिंदी के प्रयोग पर भी वार्ताओं का आयोजन किया जाता है।

भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए बैंक के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए गत वर्ष बैंक के प्रधान कार्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें हिंदी परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को बैंक के अध्यक्ष महोदय ने प्रमाणपत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए।

अधीनस्थ सेवाओं/पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षाओं में हिंदी का वैकल्पिक प्रयोग

बैंक में अधीनस्थ सेवाओं/पदों पर सीधी भर्त्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दी जाती है। बैंक में लिपिक तथा सहायक खजांची के पदों के लिए सिर्फ दो विषयों–अंग्रेजी और गणित की लिखित परीक्षा ली जाती है। बैंक ने गणित के प्रश्न-पत्र का उत्तर हिंदी में भी लिखने की अनुमति प्रदान कर दी है।

रबड़ की मुहरों, पत्र-शीर्षों और लिफाफों आदि में हिंदी का प्रयोग

बैंक की शाखाओं में सामान्यतया प्रयोग में लाई जाने वाली रबड़ की मुहरों को द्विभाषिक रूप अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बनवा लिया गया है और बैंक के हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में उनका प्रयोग भी किया जा रहा है। बैंक के पत्र-शीर्षों, लिफाफों, फाइलों, फोल्डरों, डायरियों, कैलेण्डरों आदि को द्विभाषिक रूप में हिंदी और अंग्रेजी में छपवाया जाता है और बैंक की हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी शाखाओं द्वारा हिंदी भाषी क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों आदि पर हिंदी में पते भी लिखे जाते हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन

बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की सूचना भी दी जाती है।

तारपतों का हिंदी में पंजीयन

प्रधान कार्यालय का तार-पता हिंदी में "जेमयूको बैंक" पंजीकृत करा लिया गया है। इसी के साथ हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित बैंक के सभी मण्डल कार्यालयों तथा अंग्रेजी में तार-पते वाली शाखाओं को निदेश दिए गए हैं कि वे भी अपने तार-पतों के लिप्यंतरण (ट्रांसलिटरेशन), तुरंत ही हिंदी में पंजीकृत करा लें।

यांत्रिक सुविधाएँ

बैंक के हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी मण्डल कार्यालयों और प्रमुख शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय स्थित राजभाषा विभाग को हिंदी टाइपराइटर प्रदान किए गए हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों की कुछ शाखाओं में हिंदी की चैक प्रोटेक्टोग्राफ मशीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय की फ्रैंकिंग मशीनों को द्विभाषिक करा लिया गया है।

वर्दी पहननेवाले कर्मचारियों के लिए द्विभाषिक बैज

बैंक के हिंदी भाषी क्षेत्रों में अधीनस्थ पदों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दियों आदि के बैजों पर बैंक का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा होता है।

आधिकारिक पत्रादि पर हिंदी में हस्ताक्षर

बैंक के कर्मचारियों को अनुमति दी गई है कि यदि वे चाहें तो आधिकारिक पत्रादि पर इस शर्त के अधीन हिंदी में हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि पत्रादि वित्तीय स्वरूप के हों तो उन्हें उन पर केवल एक ही भाषा अर्थात् हिंदी अथवा अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने होंगे।

सामान्य आदेशों को जारी करना

स्थाई प्रकृति के सामान्य आदेशों को यथासंभव हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक साथ जारी किया जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी शाखाओं को निर्देश दिए गए हैं कि अधिसूचनाएँ अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी जारी की जाएँ तथा अधीनस्थ पदों के लिए जारी किए गए परिपत्रों/आदेशों को भी अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में जारी किया जाए।

हिंदी पुस्तकें/पत्रिकाएँ

बैंक की द्विमासिक गृह-पत्रिका "यूकोटावर" में हिंदी खण्ड जोड़ दिया गया है। प्रधान कार्यालय तथा मंडल कार्यालयों में हिंदी की सामान्य रुचि की पर्याप्त पुस्तकें खरीदी गई हैं। प्रधान कार्यालय तथा बैंक की हिंदी भाषी क्षेत्रों में

स्थित विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हिंदी की पत्रिकाएँ आदि भी मंगाई जाती हैं ।

बैंक के कार्यों में हिंदी के प्रयोग का निरीक्षण एवं अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन

प्रधान कार्यालय के निरीक्षण विभाग को निदेश दिए गए हैं कि बैंक के निरीक्षण अधिकारी हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में किए गए कार्यों का मूल्यांकन भी करें।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि यूको बैंक संविधान की भावना के अनुरूप जनता की भाषा में जनता की सेवा करने के लिए समर्पित है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूको बैंक, श्री बी० के० चटर्जी बैठक को संबोधित करते हुए

(पृष्ठ 15 का शेष)

सहायक ग्रेड परीक्षा में अंग्रेजी के दो प्रश्न पत्र, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी प्रश्न पत्र की अनिवार्यता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण सरकारी सेवाओं में प्राय: वही व्यक्ति प्रवेश पाते हैं जिनका अंग्रेजी शिक्षा का आधार मजबूत होता है। इसके विपरीत हिंदी के सुदृढ़ आधार पर सेवाओं में प्रवेश पाने वाले युवकों को निराशा हाथ लगती है और अंग्रेजी में प्रवीणता प्राप्त व्यक्ति अंग्रेजी का वर्चस्व बनाए रखने में सहायक होते रहते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय भिन्न दिशाओं में प्रयास किए जा रहे हैं। एक ओर हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए योजनाएँ चलाई जा रही हैं और दूसरी ओर अंग्रेजी के वर्चस्व को शाश्वत बनाने वाली प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस दिशा में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया में संक्रमण काल लम्बा होता जा रहा है और सरकारी कार्यालयों में हिंदी को समुचित स्थान देने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो रही है।

यदि हम सही अर्थों में हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर लाना चाहते हैं तो हमें किए जा रहे सभी प्रयासों और गतिरोधक कार्यों पर नए परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा और सभी प्रयासों को समन्वित रूप देना होगा। □ □ □

कार्यालयीन हिंदी—टिप्पणी लेखन

—ना० ज०
उप निदेशक (पश्चिम)
हि० शि० यो०, बम्बई

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिससे संघ का सरकारी कामकाज चल सके। सरकारी कामकाज में सरकार के तीनों अंग—संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका में होने वाले कामकाज आ जाते हैं। यहाँ मेरा तात्पर्य मुख्य रूप से कार्यपालिका की भाषा अर्थात् प्रशासन की भाषा कार्यालयीन हिंदी से है। भाषा-वैज्ञानिकों के अनुसार हर भाषा का एक अलग प्रकार का रजिस्टर (विशेष रूप) होता है। भाषाई प्रयोगगत विभिन्नता को रजिस्टर की संज्ञा दी जाती है। कार्यालयीन हिंदी का भी अपना अलग रजिस्टर है।

संविधान के अनुसार हिंदी को भारतीय सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित किया जाना है। इसलिए सरकारी भाषा नीति काफी लचीली रखी गई है। प्रशासन की भाषा अर्थात् कार्यालयीन हिंदी कामकाजी या प्रयोजनमूलक होने के साथ सरल सहज, सुबोध और जनता की भाषा के निकट हो—इसका ध्यान रखा गया है।

सदियों तक अंग्रेजी ही हमारे देश के प्रशासन की भाषा रही और अब भी अंग्रेजी सह-राजभाषा के रूप में सरकारी दफ्तरों में प्रयुक्त हो रही है। अतः इस समय हम द्विभाषिकता के दौर से गुजर रहे हैं। यही कारण है कि कार्यालयीन हिंदी के अनुवाद-प्रधान हो जाने के कारण और उसमें नवीन तकनीकी शब्दावली के प्रयोग होने से वह इस समय कुछ क्लिष्ट अवश्य हो गई है। इसे हम सामयिक मजबूरी ही मान सकते हैं, किन्तु अधिकाधिक प्रयोग और मौलिक लेखन के विकास के साथ साथ भाषा में आई दुरूहता और अटपटापन अपने आप दूर हो जाएँगे। कार्यालयीन हिंदी में न तो अन्विति के बारे में किसी तरह का बंधन है न किसी एक प्रकार के भाषा-रूप- संस्कृतनिष्ठ या अरबी, फारसी प्रधान उर्दू का ही आग्रह है।

वर्तमान नीति के अनुसार बिना झिझक और आसानी से सरकारी कामकाज करने के लिए आमफहम भाषा का इस्तेमाल किया जाना है। प्रचलित अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग की भी मनाही नहीं है, उन्हें देवनागरी लिपि में लिखकर काम चलाया जा सकता है।

इस प्रकार की सरकारी व्यावहारिक नीति से भाषा में जो मौलिक टिप्पण-लेखन उभर रहा है, उसके कुछ नमूने देखिए :—

1. सभी संबंधित कागज-पत्रों को फाइल के साथ पेश करें।
2. डाइरेक्टर के निदेशों को नजरंदाज नहीं किया जा सकता।
3. इस मामले को दोबारा प्रस्तुत करें।
4. कृपया पावर्ती भेजें।
5. सेवा पंजी में आवश्यक इंदराज कर दिए गए हैं।
6. उत्तर का मसौदा अनुमोदित करवाकर पत्र जारी कर दें।

वर्तमान भाषा नीति के अनुसार यद्यपि अंग्रेजी शब्दों वाले वाक्य भी मान्य हैं, तथापि भावी कर्मचारियों को तैयार करने की दृष्टि से शैक्षणिक संस्थाएँ कार्यालयीन हिंदी को सही रूप में उभारने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री का निर्माण करें तो बहुत अच्छा होगा। इस दिशा में उनके कार्यक्रमों में समन्वय की भी बड़ी आवश्यकता है। उदाहरणार्थ :—

वर्तमान वाक्य	केस को डिस्कस कर लिया, डिसीजन होने पर आपको इन्फार्म कर दिया जाएगा।
के स्थान पर	मामले पर चर्चा कर ली गई, निर्णय लिए जाने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। यह वाक्य अधिक अच्छा होगा।
इसी तरह	हेडक्वार्टर छोड़ने की परमीशन दें—के स्थान पर—मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दें, सिखाना समीचीन होगा।

उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि कार्यालयीन हिंदी अपने स्वरूप एवं प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से सामान्य बोलचाल की हिंदी से भिन्न है। इसे हिंदी का एक विशेष भाषा रूप

माना जा सकता है। इसी रूप का अध्यापन करने के लिए आवश्यक पाठ, अभ्यास तथा अन्य आवश्यक परीक्षण और मूल्यांकन सामग्री तैयार की जानी चाहिए।

कार्यालयीन हिंदी का लिखित स्वरूप टिप्पण और आलेखन में ही झलकता है। सरकारी कामकाज में टिप्पण और आलेख का विशेष महत्व है क्योंकि इसी पर सरकार का सारा तंत्र चलता है। वास्तव में यह एक कला है जिसके अध्ययन के बाद निरंतर अभ्यास के द्वारा ही इसमें कुशलता एवं दक्षता प्राप्त की जा सकती है।

सरकारी कार्यालयों में टिप्पणी लेखन :

कार्यालयों में अनेक प्रकार के पत्र आते हैं जिन्हें हम डाक या आवती कहते हैं। कार्यालयों में इनकी प्राप्ति, वितरण, अवलोकन, उन्हें मिसिल या फाइल में रखने और उनका निस्तारण या निपटान करने के लिए विशेष पद्धति सुनिश्चित कर दी गई है। इसे हम कार्यालय पद्धति कहते हैं।

डाक की प्राप्ति के बाद उनका शीघ्र निस्तारण ही कार्यालय की कार्यकुशलता का मानदंड है। पत्रों का निस्तारण करने के लिए बहुधा टिप्पणी लिखना आवश्यक होता है। बिना टिप्पणी के अधिकांश पत्रों पर कार्रवाई करना संभव नहीं होता। सरकार के प्रत्येक आदेश, निदेश, नीति और निर्णय का मूल टिप्पण में ही निहित रहता है।

टिप्पणी क्या है : किसी भी विचाराधीन पत्र को सुविधापूर्वक निपटाने के लिए जो राय या सुझाव दिया जाता है, उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी फाइल के टिप्पणी भाग में लिखी जाती है। इसका उद्देश्य मामलों को शीघ्र निपटाना होता है। **टिप्पणी में आवती या उससे संबंधित पिछले पत्रों का सार, आवती में उठाए गए प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता, उनकी व्याख्या, कार्रवाई के संबंध में सुझाव आदि लिखे जाते हैं।** टिप्पणी लिखने के बाद उस पर उचित आदेश जारी करने के लिए उसे संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आवती पर सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त करना और उसका निस्तारण करना अथवा उसका उत्तर तैयार करके उसे अधिकारी से अनुमोदित कराकर संबंधित व्यक्ति या कार्यालय आदि को उत्तर भेज देना ही टिप्पण लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है।

नेमी मामलों में प्रायः टिप्पणी नहीं लिखी जाती—जैसे अनुस्मारक भेजना, पावतियाँ प्रेषित करना, अन्य कार्यालयों/मंत्रालयों से सामान्य सूचना मँगवाना या भेजना या ऐसे मामले जिन पर अधिकारियों के स्पष्ट आदेश पहले से होते हैं अथवा जिन पर कार्रवाई पूर्व निश्चित सी होती है। कुछ आवतियाँ केवल अवलोकन या सूचनार्थ आती हैं, उन पर भी जब तक अधिकारी का लिखित आदेश या निदेश न हो, टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं होती।

टिप्पणी के प्रकार :—

सरकारी कार्यालयों में टिप्पणी के दो प्रकार स्पष्ट हैं। (1) सहायक स्तर की टिप्पणी (2) अधिकारी स्तर की टिप्पणी। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा अन्य मंत्रियों द्वारा फाइल पर या प्रस्तुत पत्र पर आदेश या निदेश के रूप में लिखी जाने वाली टिप्पणी भी होती है। इसे मिनट कहते हैं। अधिकारी स्तर पर टिप्पणी का एक और प्रकार हाशिया टिप्पणी का है। इसके भी दो प्रकार नजर आते हैं।

(क) डाक स्तर पर देखी गई आवतियों पर उनके निस्तारण के संबंध में अधिकारीगण उस पर आवश्यक हाशिया टिप्पणी लिखकर कार्यालय/अनुभाग को लौटा देते हैं। इसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं :—कृपया बात कर लें, पूर्व पत्रों सहित व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें, आज ही उत्तर भेजें, फाइल करें, कारवाई आवश्यक नहीं है आदि।

(ख) टिप्पणी की बाईं ओर हाशिए पर अधिकारी चर्चा करें, बात करें, सहमत हूँ, नियमों की व्याख्या स्पष्ट नहीं है आदि लिखकर फाइल लौटा देते हैं।

सहायक स्तर की टिप्पणी

सहायक फाइल के टिप्पणी भाग पर टिप्पणी पृष्ठ संख्या अंकित करता है। फिर विचाराधीन पत्र की पत्र संख्या लिखता है। विचाराधीन पत्र फाइल के पत्राचार भाग में रखा जाता है। विचाराधीन पत्र के संबंध में विषय का उल्लेख, उससे संबंधित अभिलेखों, मिसिलों, नियमों एवं आदेशों तथा अन्य संगत कागजपत्रों का हवाला दिया जाता है। इसमें स्थायी निदेश मिसिल (जिसमें समय पर जारी किए गए आदेश, अधिसूचनाएँ और कार्यालय ज्ञापन रखे होते हैं) भी साथ रखी जाती है। टिप्पणी में पिछली कार्रवाई का सार (यदि कोई हो), आवती में निहित प्रस्ताव की व्याख्या और कार्रवाई के संबंध में सुझाव दिए जाते हैं। टिप्पणी में दिए तथ्य ठीक हैं या नहीं इसका उल्लेख होना चाहिए। गलत तथ्यों का संकेत कर दिया जाए। सहायक टिप्पणी के नीचे बाईं ओर तारीख के साथ अपने नाम के आद्यक्षर लिखता है और अधिकारी को अंकित कर फाइल प्रस्तुत कर देता है।

अधिकारी स्तर पर टिप्पणी

अधिकारी सहायक की टिप्पणी की जाँच करता है। जहाँ आवश्यक हो अपने विचार और सुझाव के साथ टिप्पणी को परिवर्तित—परिवर्धित करता है और अपने से ऊपर के सक्षम अधिकारी के पास फाइल भेज देता है। वह भी सहायक के आद्यक्षर के नीचे अपने आद्यक्षर कर ऊपर के अधिकारी को अंकित करता है। मामले पर निर्णय लेने वाला अधिकारी अपनी टिप्पणी सहित या प्रस्तुत टिप्पणी से सहमत होने पर

(शेष पृष्ठ 28 पर)

वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख

अतिप्रशीतन (क्रायोजन) और उसकी उपलब्धियाँ

—गोपाल कृष्ण गोयल
डी-50, कविनगर, पुराना गाजियाबाद, मेरठ

शीतलता क्या है, इसे शब्दों में बतलाना कुछ कठिन काम है। इसका तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वस्तुतः शीतलता एक सापेक्ष शब्द है क्योंकि अमुक वस्तु या जगह कितनी शीतल है, इसका अनुमान सिर्फ तापक्रम देखकर ही लगाया जा सकता है। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव विश्व के सबसे ज्यादा शीत वाले प्रदेश माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ का तापक्रम 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में 50 मील से अधिक ऊपर जाने पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापक्रम मिलता है। पर क्या यही विश्व का न्यूनतम तापक्रम है ?

न्यूनतम तापक्रम प्राप्त करने के लिए विश्व के बड़े-बड़े वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कई शताब्दियों से प्रयत्न करते आ रहे थे। अंत में उन्होंने सन् 1908 में कठिन परिश्रम के पश्चात् अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। शुरू में तो इस न्यूनतम तापक्रम की उपयोगिता का किसी को कुछ पता नहीं था लेकिन आज इसने विज्ञान जगत की अनेक शाखाओं में आश्चर्यजनक क्रांति पैदा कर दी है।

अतिप्रशीतन (क्रायोजन) क्या है ?

"क्रायोजन" आधुनिक भौतिक विज्ञान की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी गैस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापक्रम प्राप्त किया जाता है तथा उसकी उपयोगिताओं के बारे में जानकारी कराई जाती है। जिन तापक्रमों पर कोई गैस द्रव बनने लगे, उन तापक्रमों को उन गैसों का "क्रायोजैनिक तापक्रम" और ऐसी गैसों को "क्रायोजैनिक गैसें" कहते हैं। ऐसा नाइट्रोजन, आक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइआक्साइड, हिलियम, आरगन, मिथेन, आदि तथा कुछ अन्य दुर्लभ गैसों के ही संबंध में होता है।

(वैज्ञानिक विषयों पर प्रस्तावित लेखमाला की पहली कड़ी —संपादक)

परम शून्य तापक्रम क्या है ?

विश्व का न्यूनतम तापक्रम ही "परम शून्य" तापक्रम कहलाता है। इससे केवल प्रयोगशालाओं में हिलियम गैस को −272 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर द्रवित करके प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रकार की चिकनी जैली का रूप अख्तियार कर लेती है। इस तापक्रम तक आते-आते किसी भी पदार्थ के परमाणुओं में किसी प्रकार की ऊर्जा, गति या शक्ति नहीं रह जाती तथा कुछ विशेष धातुओं, यौगिकों, मिश्र धातुओं और अर्द्ध चालकों में विद्युत अवरोध एकाएक शून्य हो जाता है। इस गुण को उस वस्तु की "अतिचालकता" का नाम दिया गया है। इस तापक्रम पर इस्पात भी शीशे के समान चटकने वाला पदार्थ बन जाता है।

पिछले 25 वर्षों में क्रायोजैनिक गैसों का विकास तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इनकी खपत दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़े हैं, इसीलिए इसकी जानकारी और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। अमेरिका में अरबों डालरों के उद्योग रात दिन इनका उत्पादन कर रहे हैं और इसी के बल पर वे फल-फूल रहे हैं।

सस्ते कोल्डस्टोरेज

हमारे देश की खाद्य समस्या अभी तक पूरी तरह हल नहीं हुई है। इसके कुछ कारण विद्युत, पानी और खाद की कमी तथा बढ़ती हुई आबादी बताए जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने खाद्य पदार्थों के भंडारों को गलने-सड़ने से बचा सकें, फसल के दिनों में अतिरिक्त उत्पादन को पूरे साल के लिए ठंडे गोदामों में रखकर या उसे कमी वाले इलाकों में भेजकर सुरक्षित रख सकें, तो देश की खाद्य समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है, खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति भी आ सकती है और इससे काफी विदेशी मुद्रा भी कमाई जा सकती है।

सौभाग्यवश हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहाँ भिन्न-भिन्न मौसमों में भिन्न-भिन्न फसलों के अतिरिक्त फलों और सब्जियों की भरपूर बहार रहती है। आम, सेब, संतरा, अंगूर,

केला, लीची, मटर, टमाटर आदि विदेशों में भी काफी पसंद किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश में घी, दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर, मांस, अंडा आदि का उत्पादन भी काफी होता है। लेकिन जल्दी ही नष्ट हो जाने की इनकी प्रकृति के कारण इनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता। यही कारण है कि दूर-दराज के गांवों के लाखों तालाबों, पोखरों, और झीलों का अपार मछली-भंडार यूँ ही बेकार चला जाता है। इतना ही नहीं, हमारे देश का 55,000 किलोमीटर लम्बा समुद्र तट भारत को मछलियों के उत्पादन का सबसे बड़ा केन्द्र बना सकता है, लेकिन उपयुक्त ठंडे गोदामों की व्यवस्था न होने के कारण इनके उत्पादन का 40 प्रतिशत भाग सड़-गल कर नष्ट हो जाता है। यदि देश के अंदर क्रायोजन गैसों द्वारा सस्ते, आसान और दीर्घकालिक ठंडे गोदामों की व्यवस्था विकसित की जाए तो हमारा देश बहुत जल्दी खुशहाल बन सकता है।

यद्यपि भारत में पिछले 25 वर्षों में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 48 प्रतिशत बढ़ गई है, इसका उपयोग आलू के लिए 80 प्रतिशत, मछली तथा डेरी उत्पादनों के लिए 13 प्रतिशत तथा फल, सब्जी एवं अन्य वस्तुओं के लिए सिर्फ 4 प्रतिशत होता है। फिर भी, शीघ्र ठंडा करने वाले कोल्ड स्टोरेज कहीं भी नहीं हैं। इस समस्या पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार, यदि समुद्र तट पर भिन्न-भिन्न जगहों पर 100-100 टन की क्षमता वाले 12 कोल्ड स्टोरेज बनवाए जाएँ और अत्यधिक फल वाले इलाकों में 50-50 टन की क्षमता वाले 10 कोल्ड स्टोरेज बनवाए जाएँ तो उन पर क्रमशः 29 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपए लागत आएगी। किन्तु इससे एक वर्ष में अनुमानतः 175 करोड़ की आय हो सकती है। इस तरह सिर्फ 5.5 महीनों में पूरी कीमत निकल सकती है। इस परियोजना के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न स्तर के 80 हजार बुद्धिजीवियों को रोजगार मिलेगा और 50 हजार टन फल विदेशों को भेजे जा सकेंगे।

मानव जाति को बहुत पहले से ही यह ज्ञात था कि शीतलता खाद्य वस्तुओं के जीवनकाल को बढ़ा देती है। यह रीति बहुत पुरानी है। आजकल खाने की वस्तुएँ द्रव नाइट्रोजन के छिड़काव द्वारा जमाई जाती है। इससे इनमें ताजेपन के गुण बने रहते हैं तथा पौष्टिक पदार्थ, जैसे प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और अन्य खनिज और लवण भी नष्ट नहीं हो पाते। स्वाद, रंग, रूप आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। शीघ्र ठंडा करने वाली विधि से तो मांस के अंदर के तन्तु भी नष्ट नहीं होते, जबकि धीरे-धीरे ठंडा करने की विधि से मांस में यह खराबी आ जाती है। विदेशों में इस रीति के विकास में करीब 30 साल लगे। प्रायः अब वहाँ जमा हुआ मांस ही अधिकतर बिकता है।

विद्युत उत्पादन

क्रायोजैनिक तापक्रम पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस गुण के कारण विद्युत उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गई है और विद्युत उत्पादन क्षेत्र का नक्शा ही बदल गया है। विदेशों में इस गुण की सहायता से बड़े-बड़े विद्युत्तीय चुम्बकों, विद्युत घरों, ट्रांस-फार्मरों, जेनरेटरों, मोटरों आदि का निर्माण हो चुका है। वहाँ तो अब आणविक विद्युत घर भी कम लाभकारी समझे जाने लगे हैं। वास्तव में इस सुविधा का असली लाभ तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ उठाएँगी, जब कि दुनियाँ से पैट्रोल या अन्य ईंधन इस प्रकार उड़ जाएँगे जैसे आजकल मिट्टी के तेल के लैम्प तथा मिट्टी के बने दीप। उस समय तक विद्युत उत्पादन सस्ता, आसान तथा भारी मात्रा में उपलब्ध होने लगेगा। इस समय कुछ ही विकसित देशों ने इस विधि को अपनाया है। फिलहाल इस प्रकार के विद्युत उत्पादन के स्रोतों का उपयोग सिर्फ अंतरिक्ष उड़ानों, राकेटों, जेट और लड़ाकू विमानों में किया जा रहा है जहाँ कम वजन वाले और टूट-फूट रहित यंत्रों से विश्वासपूर्वक उचित तथा निरंतर विद्युत की जरूरत रहती है। इस विधि की कुछ विशेषताएँ नीचे दी जा रही हैं :—

घूमने वाला तथा घिसने वाला कोई भी पुर्जा न होने के कारण टूट-फूट बिल्कुल नहीं होती और न तांबे या लोहे के माध्यम से किसी प्रकार का विद्युत का क्षय होता है। आशा है, कम आकार, कम वजन, कम पेचीदगी और कम पुर्जों वाली यह विधि शीघ्र ही भविष्य में सारे विश्व में अपना ली जाएगी, विशेषकर जहाँ ज्यादा एम्पियर वाली विद्युत धारा की जरूरत पड़ती है।

विकिरण द्वारा कोई विद्युत व्यर्थ नहीं जाती। अतः उच्च वोल्टेज की विद्युत को उत्पादन केन्द्र से उपभोक्ता केन्द्र तक पहुँचाने में यह विधि आदर्श विधि है।

कम कच्चे माल से बनने वाले मोटर, ट्रांसफार्मर और जेनरेटर सस्ते होने के साथ-साथ काम करने में भी विद्युत की कम खपत करेंगे। सिर्फ एक बार उन्हें चालू करने के लिए ही विद्युत चाहिए बाकी विद्युत खर्च तो ठंडा रखने की मशीनों पर ही होता है।

विद्युतीय रेल

उपर्युक्त गुणों को आधार मानकर जापान ने विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली रेल का निर्माण किया है जिसकी गति लगभग 200 मील प्रति घंटा है। यह जमीन से 3-5 इंच ऊँची झूलती हुई ट्यूबनुमा गुफा में बिना किसी घर्षण, टूटफूट, शोर, दुर्घटना, डर और धुएँ के फिसलती हुई दौड़ती है। यह गाड़ी इस्पात की पटरी से क्रायोजैनिक तापक्रम द्वारा बनाए गए विद्युत चुम्बकीय आकर्षण द्वारा लकटती रहती है। ये चुम्बक रेलगाड़ी और पटरी दोनों में ही लगे होते हैं।

जब विद्युत स्थानांतरण का कार्य क्रायोजन तापक्रमों पर होने लगेगा तो बड़े-बड़े शहरों का रूप ही बदल जाएगा। तब शहर के अंदर जगह-जगह खड़े विद्युत के खम्बे तथा उन

पर लटके बेशुमार काले, गंदे ताँबे के तारों की जरूरत नहीं होगी। इससे नगर तो साफ-सुथरे लगेंगे ही, बड़ी मात्रा में ताँबे, विद्युत, मेहनत तथा धन की भी बचत होगी।

भारत में विद्युत की कमी ने देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर डाला है जबकि अमेरिका में विद्युत की खपत की अपेक्षा भारत में विद्युत की खपत का अनुपात 1000 : 1 मात्र है। यदि अकेले बम्बई शहर की विद्युत्त सप्लाई में 10 प्रतिशत की कटौती कर दें तो पूरे दिन में 70 लाख रुपयों का नुकसान हो जाता है। देश की रोजमर्रा की जरूरत के मुताबिक विद्युत का उत्पादन तो होना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ का विद्युत उत्पादन 50 प्रतिशत नदियों से, 39.2 प्रतिशत कोयले से, 9.9 प्रतिशत अणुशक्ति से तथा .9 प्रतिशत डीजल इंजनों द्वारा होता है। ये सभी साधन अब पुराने, मँहगे एवं कम क्षमता वाले हो गए हैं और प्राकृतिक साधनों, जैसे वर्षा, कोयला, तेल, आदि पर निर्भर करते हैं। अतः यदि, क्रायोजैनिक गैसों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जाए तो देश की यह समस्या आसानी से सुलझ सकती है।

बड़े उद्योगों में योगदान

भारत में क्रायोजैनिक तकनीक की बड़ी जरूरत है क्योंकि रासायनिक खाद तथा इस्पात जैसे बड़े उद्योगों में इसकी बहुत उपयोगिता हो सकती है। पर हमने अभी इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया है। वर्तमान तकनीकों तथा कुछ पुराने यंत्रों से इतना उत्पादन नहीं होता, जो देश की जरूरतों को पूरा कर सके। जितना धन आज हम इन मशीनरी की टूटफूट और कलपुर्जों के बदलने में पाँच वर्षों के अंदर विदेशियों को दे देते ह उसके आधे धन से हम अपना द्रवीकरण प्लांट लगा सकते हैं और पाँच साल के अंदर पूरा खर्चा निकाल कर लाभ भी दिखा सकते हैं।

रासायनिक खाद

कृषि प्रधान देश होते हुए भी खाद की कमी के कारण हमारे देश में फसल की औसत उपज 10 किलोग्राम हेक्टर है जबकि नीदरलैंड में 4,000 किलोग्राम/हेक्टर, आस्ट्रेलिया में 2010 किलोग्राम/हेक्टर और अमेरिका में 2040 किलोग्राम/हेक्टर है। भारत सरकार शीघ्र ही ऐसे 26 खाद के कारखाने खोलने का विचार कर रही है जिनमें हवा से नाइट्रोजन बनाने, द्रवित करने तथा स्टोर करने के यंत्रों और तकनीक की जरूरत पड़ेगी। यदि हमारे ही देश में क्रायोजन विधि को पूरी तरह विकसित किया जाए तथा नए-नए तरीके ढूँढ़ निकाले जाएँ तो देश को विदेशी मुद्रा की काफी बचत होगी और हम आत्मनिर्भर भी हो जाएँगे।

इस्पात उद्योग

इस्पात उद्योग किसी भी देश के उद्योगों में रीढ़ की हड्डी के समान समझा जाता है। इस दिशा में हमने काफी प्रगति की है। फिर भी अच्छे किस्म का इस्पात हम अभी भी नहीं बना पाते। देश की जरूरत काफी हद तक आयातित इस्पात से पूरी की जाती है। लेकिन आधुनिक रीति का प्रयोग करने से कम विद्युत और कम मेहनत का प्रयोग करके भी सस्ता और अच्छा इस्पात तैयार किया जा सकता है। इससे उत्पादन क्षमता भी कहीं अधिक हो सकती है। आज इस प्रक्रिया पर विश्व की पूरी आक्सीजन के उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग खर्च किया जा रहा है इसके लिए 99.5 प्रतिशत आक्सीजन चाहिए। इस विधि की विशेषता यह है कि इससे पुराने, टूटे-फूटे बेकार लोहे की कतरनों का भी इस्पात बन जाता है। यही कारण है कि अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी इस्पात बनाने वाली भट्टी की क्षमता 325 टन की है।

क्रायोजन विधि के प्रयोग से जस्ता, ताँबा, एल्यूमिनियम, सीसा आदि धातुओं से गंधक की अशुद्धि दूर करने के लिए आक्सीजन का प्रयोग बड़ा सस्ता और आसान बैठता है। कुछ धातुओं की पाउडर मैटलर्जी, मैटल एनिरिंग, तथा मैटल वर्क्स आदि ऐसे उद्योग हैं जिनमें क्रायोजैनिक गैसों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से उत्पादन में अधिक स्थायित्व तथा कठोरपन आ जाते हैं इसीलिए जैसे द्रव नाइट्रोजन तापक्रम पर बनाए गए इस्पात के हैक्सा ब्लेड और तेज गति के ड्रिल ज्यादा दिन चलते हैं। स्टैनलैस स्टील तथा लोहे के पाइप बनाने में भी कम तापक्रमों की उपयोगिता है। रेलवे, मिलिटरी तथा विमान और जलयान बनाने वाली संस्थाओं की बड़ी-बड़ी वर्कशापों में भिन्न-भिन्न धातुओं की कटाई, ढलाई, छिलाई तथा वैल्डिंग में द्रव गैसों का ही प्रयोग होता है। विशेषकर उच्च गति से उड़ने वाले अंतरिक्षयान, लड़ाकू जैट, राकेट और मिसाइल आदि के पुर्जों की मजबूती, कार्यक्षमता, शुद्ध प्रदर्शन तथा स्थिरता आदि के टेस्ट कम तापक्रमों में रखकर ही किए जाते हैं।

रासायनिक उद्योग

आज के बहुप्रयुक्त रासायनिक पदार्थों जैसे मिथोनोल, ऐसेटिलीन, अमोनिया तथा बिनाइल-क्लोराइड की उत्पादन प्रक्रिया क्रायोजैनिक गैसों के प्रयोग से बहुत आसान और सस्ती बन गई है। कृत्रिम फैब्रिका की चमक, शू पालिस की पैकिंग, कैमरा फिल्म का निर्माण, वनस्पति घी का शुद्धिकरण, तथा बीयर में उत्तमता लाने के लिए भी कम तापक्रमों का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार, प्राकृतिक गैसों का स्टोर और विश्लेषण, मिट्टी के तेल की खोज, सीमेंट उत्पादन में वृद्धि, कुकिंग गैस का वितरण आदि कार्य भी क्रायोजन विधि के प्रयोग से ज्यादा आसान, त्वरित और सस्ते हो गए हैं।

इलैक्ट्रॉनिक उद्योग

जब से क्रायोजैनिक तापक्रमों का उपयोग लैसर, कम्प्यूटर, माइक्रोवेव एम्प्लीफायर, जरमेनियम ट्रांसमीटर तथा कुछ विशेष रेडियो ट्यूब आदि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में होने लगा है तब से यंत्र सस्ते, छोटे, सुंदर तथा अधिक क्षमता वाले

बनने लगे हैं। इन यंत्रों के पुर्जे कम तापक्रमों पर ही काम करते हैं। इन पेचीदा और संवेदनशील यंत्रों ने इलैक्ट्रानिक इंजीनियरों के कार्य को बड़ा हल्का कर दिया है। इनका उपयोग अधिकतर अंतरिक्ष की उड़ान संबंधी कार्यक्रमों में किया जाता है।

अंतरिक्ष उड़ानों के कारण क्रायोजैनिक गैसों की खपत अब पहले से कई गुना बढ़ गई है। द्रव आक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण ईंधन के रूप में, द्रव नाइट्रोजन टेस्ट चेम्बर को ठंडा रखने तथा निष्क्रिय वातावरण बनाए रखने में तथा हिलियम अंतरिक्ष संचार व्यवस्था में काम आने वाले ट्रांसमीटर, रेडियो, कम्प्यूटर, आदि यंत्रों में कम तापक्रम स्थिर रखने में काम आती हैं। इन्हीं से माइक्रोवेव संचार व्यवस्था भी चलती है। कृत्रिम उपग्रह द्वारा टेलीविजन प्रोग्रामों का समुद्र पारीय प्रसारण करने वाले तथा उन्हें ग्रहण करने वाले यंत्रों में भी हिलियम तापक्रम की ही आवश्यकता पड़ती है।

अन्य उपयोग

क्रायोजैनिक गैसों के अन्य उपयोगों में तथा चिकित्सा के क्षेत्र में इसके उपयोग और लाभ की सीमाएँ लगभग असीमित ही हैं। इनमें से प्रमुख नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(1) आक्सीजन तो अस्पतालों में मरीजों को निरन्तर सप्लाई की ही जाती है यदि इस द्रव को गैस के रूप में स्टोर किया जाए तो 8 5 प्रतिशत जगह बचती है क्योंकि द्रव और गैस के आयतन में 1: 800 का अनुपात होता है।

(2) प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही रक्त संचय करने तथा उन्हें स्टोर करने के केन्द्र बने हुए थे जिनमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर सिर्फ 21 दिनों तक रक्त सुरक्षित रखा जा सकता था। लेकिन अब रक्त के लालकणों को ग्लाइलोल के साथ मिलाकर—80 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर रखने से रक्त कई महीनों तक ज्यों का त्यों बना रहता है, द्रव नाइट्रोजन द्वारा रक्त को तेजी से ठंडा करने की विधि ज्यादा सुविधाजनक सिद्ध हुई है जो फौजी अस्पतालों के लिए ज्यादा लाभकारी है। इस विधि के कारण अमेरिका में रक्त संचयन एक बहुत अच्छा व्यवसाय बन गया है।

(3) 'क्रायोसर्जरी" तो आज के सर्जनों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। मनुष्य के शरीर के दिल, यकृत, गुर्दे, फेफड़े तथा नेत्र आदि नाजुक अंगों की ग्राफ्टिंग के लिए द्रव नाइट्रोजन तापक्रम पर सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रक्त रहित दिमाग की सर्जरी, लेसर द्वारा आँख की पुतली का आपरेशन तथा ट्यूमर और कैंसर जैसे कुछ विशेष और पेचीदे आपरेशनों में भी क्रायोसर्जरी का ही उपयोग किया जाता है।

(4) अच्छी नसल के मवेशियों के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान के लिए द्रव नाइट्रोजन तापक्रम पर सुरक्षित रखना अमेरिका में एक आम व्यवसाय हो गया है। कुछ किस्मों में—65 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम कार्बनडाइआक्साइड द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। अमेरिका में तो मानव जाति पर भी ये प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि बुद्धिमान तन्दुरुस्त, सुन्दर और मनपसन्द संतान मिल सके।

(5) कुछ दवाइयाँ और इन्जेक्शन सिर्फ क्रायोजैनिक तापक्रम पर ही बन सकते हैं। उनके गुणों का टेस्ट, उन्हें काफी दिनों तक स्टोर करने पर तथा उनका निर्माण काफी कम तापक्रमों पर ही संभव होता है। कम तापक्रमों पर स्टोर करने से ही उनके जीवनकाल में भी वृद्धि होती है।

सामरिक उपयोग

असाधारण परिस्थितियों तथा बहुत कम तापक्रमों में काम करने वाले उच्चगति के लड़ाकू विमान, राकेट और मिसाइल आदि के कलपुर्जे भी कठोरतम धातु तथा प्रत्येक स्थिति में एक जैसी ही कार्य क्षमता दिखाने वाले होने चाहिए। कम तापक्रमों पर ऐसे पुर्जे बनाते समय कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं जिससे उनमें स्वयं ही अपेक्षित गुण आ जाते हैं। उदाहरण के लिए विमानों के टायरों में यदि हिलियम गैस भर दी जाए तो वजन की काफी बचत हो सकती है। इसी प्रकार अणुबम, हाइड्रोजन बम, डाइनामाइट आदि कुछ न्यूक्लियर अस्त्र-शस्त्रों तथा विस्फोटक पदार्थों में द्रव आक्सीजन का प्रयोग करने से आकार कम और क्षमता अधिक हो जाती है। ऊँचे पहाड़ों तथा गहरे समुद्रों में काम करने वाले सैनिकों अथवा विमानों और पनडुब्बियों में भी क्रायोजैनिक गैसों की जरूरत पड़ती है जिनमें आक्सीजन के साथ हिलियम गैस भी मिलाई जाती है।

लेसर युक्त रेडार जो शत्रुओं के प्रक्षेपास्त्रों (मिसाइलों) को दूर से ही छेद करके जला देते हैं तथा मेसर युक्त रेडार जो समुद्री जहाजों का किसी भी टक्कर वाली दुर्घटना से बचाव करते हैं, कम तापक्रमों पर ही काम करते हैं।

इन्फ्रारेड डिटेक्टर एक ऐसा यंत्र है जो शत्रुओं की फौज का पता लगाने में मदद करता है और युद्ध के मैदानों में गुप्त रोशनी के श्रोत का काम करता है। इस प्रकार अब सामरिक महत्व के लगभग सभी क्षेत्रों में क्रायोजैनिक्स का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग बचाव और आक्रमण, दोनों ही के लिए किया जाता है।

आज के औद्योगिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित लगभग प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह कृषि हो अथवा कोई भारी उद्योग क्रायोजैनिक्स के बढ़ते हुए उपयोग ने एक

क्रांतिकारी स्थिति पैदा कर दी है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अभी भी इस क्षेत्र की सभी संभावनाओं का पता लगाया जा चुका है या जो संभावनाएँ सामने आ चुकी हैं उनका पूरे विश्व के स्तर पर विस्तृत उपयोग किया जा सका है।

भारत में क्रायोजैनिक गैसों का भविष्य

भारत विश्व के बड़े देशों में से एक है। तथापि, इतने बड़े देश में हिलियम के सिर्फ 4 तथा द्रव नाइट्रोजन और वायु को द्रवित करने के लिए केवल 12 छोटे और पुराने यंत्रों वाले संस्थान हैं जहाँ क्रायोजन पर कुछ कार्य हो रहा है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में दो छोटे-छोटे ग्रुप अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। अन्यत्र कहीं भी इसके शिक्षण अथवा ट्रेनिंग की उचित व्यवस्था नहीं है।

भारत के उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ द्रव गैसें विदेश से आयात की जाती हैं। देश में जो भी उत्पादन होता है वह पुराने, छोटे और कम क्षमता वाले संयंत्रों द्वारा होता है। यद्यपि खाद के कारखानों से कार्बन डाइआक्साइड काफी मात्रा में मिल सकती है लेकिन स्टोर करने की सुविधा न होने के कारण यूँ ही व्यर्थ हो जाती है, जबकि 1 टन ठोस कार्बन डाइआक्साइड 15 टन साधारण बर्फ के बराबर होती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन और आक्सीजन भी स्टोरेज साधनों के बिना बेकार जा रही हैं। दुर्लभ गैसों की तकनीक बड़ी पेचीदा और मँहगी होती है और क्योंकि भारत में इस क्षेत्र को अब तक अधिक महत्व नहीं दिया गया इसलिए यहाँ इसका विकास नहीं के बराबर है जिसके कारण हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

आने वाली पीढ़ी क्रायोजन की उपयोगिताओं का पूरा-पूरा लाभ उठा सके इसके लिए हमें अभी से इस तरफ ध्यान देना होगा, नहीं तो हम बहुत पिछड़ जाएँगे। देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए क्रायोजन एक वरदान साबित हो सकती है। यह विधि मानव जीवन के क्रियाकलापों को एक नई दिशा देने में पूरी तरह सक्षम है। एक विकासमान देश होने के नाते हम और अधिक समय तक इससे विमुख नहीं रह सकते। □ □ □ □ □

नव साक्षरों के लिए अनुवर्ती साहित्य

--जीवन नायक

भारत में 2 अक्तूबर 1978 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत अच्छी हुई, किन्तु अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि नव-साक्षरों को पर्याप्त पठन सामग्री न मिले तो प्रौढ़ शिक्षा के सभी कार्यक्रम व्यावहारिक दृष्टि से व्यय साध्य और नैतिक दृष्टि से अनुचित सिद्ध होंगे। पढ़ने की कला को बनाए रखने के लिए नव-साक्षर को पठन-सामग्री चाहिए। यदि उसे उपयुक्त पुस्तकें मिलें तो वह निरन्तर बढ़ सकता है। प्रति वर्ष विश्व के विभिन्न देशों में, प्रौढ़ शिक्षा के विविध कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाखों-करोड़ों व्यक्तियों को अक्षर-ज्ञान कराया जाता है किन्तु उनमें से अधिकांश अगला वर्ष समाप्त होते-होते पुनः अशिक्षितों की कोटि में आ जाते हैं। यदि नव-साक्षर प्रौढ़ों को ऐसी पुस्तकें मिल जाएँ जिनमें वर्णित तथ्यों को वे समझ सकें और जो उनके अपने जीवन के अनुभवों और स्थितियों से सम्बद्ध हों तो वे उन पुस्तकों को पढ़ते हुए मात्र आनंदित ही नहीं होंगे बल्कि उन्हें इस बात का संतोष भी होगा कि उन्हें एक दिशा मिल गई है और वे अपने आसपास घटित होने वाले उपयोगी कार्य-व्यापार में भाग ले रहे हैं।

प्रायः सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए अनेक तकनीकी सेवाओं की आवश्यकता होती है जैसे पाठ्यचर्या का विकास, उपयुक्त अध्ययन और अध्यापन सामग्री का नियोजन, कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण और अध्यापन में सहायक विविध उपकरणों का मूल्यांकन। ये सेवाएँ संसाधन सहायता के नाम से जानी जाती हैं और आशा की जाती है कि ये सीखने वालों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। साथ ही, विभिन्न एजंसियों द्वारा विविध परिस्थितियों में आयोजित कार्यक्रमों में कारगर सिद्ध होने के लिए इनमें पर्याप्त लचीलापन भी होगा।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संसाधन विकास का महत्व और भी अधिक है क्योंकि इसका प्रभाव कार्यक्रम की गुणवत्ता पर पड़ता है। प्रौढ़-शिक्षा कार्यकर्ताओं की कुशलता पर तो इसका असर होता ही है--सीखने वालों के उत्साह को बनाए रखने के लिए भी इससे मदद मिलती है।

आज प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए समस्त भारतीय भाषाओं और लगभग 17 प्रमुख जनजातीय भाषाओं में संतोष जनक सामग्री उपलब्ध है। प्रत्येक जनजातीय भाषा की सामग्री क्षेत्रीय भाषा की लिपि में तैयार की गई है।

परियोजनाओं को संचालित करने वाली अनेक एजेंसियों ने, क्षेत्र के विकास कार्यक्रम और सीखने वालों की समस्याओं का ध्यान रखते हुए, अपनी-अपनी अध्ययन सामग्री तैयार करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। तथापि, यदि यह सामग्री वैज्ञानिक ढंग से विकसित पाठ्यचर्या पर आधारित न हो और उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया विकास-क्रम का ही अंग

न हो तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा न कर पाएगी। यह भी ठीक न होगा कि सारा ज़ोर मुद्रित सामग्री तैयार करने में ही लगा दिया जाए और रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म स्लाइड्स आदि सहायक अध्ययन साधनों की पूरी तरह अवहेलना की जाए।

व्यक्ति के साक्षर हो जाने पर इस बात की खोज करना जरूरी हो जाता है कि वह अपनी सद्यः प्राप्त योग्यता का उपयोग किस तरह कर रहा है; उसे कैसी पठन-सामग्री चाहिए; उसके लिए प्रकाशित किए गए साहित्य को वह समझ पा रहा है अथवा नहीं; उससे उसे कोई लाभ हो रहा है या नहीं और क्या वह साहित्य उसके अपने समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुकूल है। प्रौढ़ शिक्षा के इन विभिन्न पक्षों पर विचार करने के लिए विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली और वहाँ प्रचलित साक्षरता आन्दोलन का अध्ययन और निरीक्षण भी अत्यंत आवश्यक है।

नव साक्षरों के लिए निर्मित पठन सामग्री को सामान्यतः तीन वर्गों में रखा जा सकता है—प्रवेशिका, सहायक पुस्तकें और अनुवर्ती पठन सामग्री। अक्षर ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों के लिए निर्मित साहित्य के अन्तर्गत सरल भाषा में लिखी ऐसी पुस्तकें आती हैं जो पाठकों की पढ़ने और लिखने की योग्यता का विकास करें, उनका मनोविनोद करें, उनके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएँ और उन्हें विविध प्रकार की जानकारी दें। पहली अवस्था में प्रयोग की जाने वाली सहायक पाठ्य सामग्री का स्तर अक्षर ज्ञान देने वाली पुस्तकों से कुछ ऊँचा होना चाहिए। यह कार्य स्थानीय अध्यापक को सौंप देना अधिक लाभदायक होगा ताकि वह किसी समुदाय अथवा वर्ग विशेष की आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा पद्धति या प्रणाली निर्धारित कर सके। वह जिस नए विषय की शिक्षा दे रहा है उससे सम्बद्ध समाचार पत्रों, चलचित्रों, पुस्तकों और रेडियो कार्यक्रमों का सहारा लेकर अपनी पद्धति में सुधार लाने और अनुवर्ती पठन सामग्री के अनुकूल उसे ढालने के लिए भी उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन क्षेत्रों का समय-समय पर दौरा करने वाले माध्यमिक स्तर के शिक्षा अधिकारी, स्थानीय भाषा का ज्ञान रखने वाले वयोवृद्ध आदि उसे सहायता और सम्मति दे सकते हैं। निम्नलिखित व्यापक मानदण्डों का ध्यान भी उसे रखना चाहिए :—

(i) पुस्तकों की विषयवस्तु लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़ी होनी चाहिए।

(ii) पठन सामग्री छोटे-छोटे स्वतंत्र खण्डों में विभाजित होनी चाहिए।

(iii) पुस्तकों में व्यक्त विचार बहुत सरल होने चाहिए। जहाँ तक हो सके, विचारों के बोझ को कम से कम रखना श्रेयस्कर होगा।

(iv) अक्षर ज्ञान कराते समय प्रयुक्त शब्दों में 50 प्रतिशत प्रचलित शब्द और जोड़े जाने चाहिए। क्षेत्र विशेष में प्रचलित शब्दों का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा।

(v) वाक्य छोटे होने चाहिए। सामान्यतः एक वाक्य में अधिक से अधिक आठ शब्द रखना अच्छा होगा।

(vi) समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग कम से कम किया जाए। एक पृष्ठ में ऐसे शब्दों की बहुतायत नहीं होनी चाहिए।

(vii) पठन सामग्री 16 पाइंट जैसी होनी चाहिए। छपा हुआ नमूना दिखाकर इस संबंध में जानकारी दे देना बहुत जरूरी है।

(viii) पठन सामग्री पृष्ठ के लगभग आधे भाग में आ जानी चाहिए। शेष स्थान प्रभावकारी रेखाचित्रों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

(ix) शीर्षक सरल और आकर्षक होने चाहिए।

स्थानीय अध्यापक अपने आसपास के केन्द्रों से सम्बद्ध चित्रकार, लिपिक और साइक्लोस्टाइल मशीन चलाने वाले ऐसे व्यक्ति की सहायत ले सकता है जिसके पास साइक्लोस्टाइल मशीन हो। अनौपचारिक अथवा सामान्य परीक्षण पद्धति के सहारे ही स्थानीय अध्यापक सर्वोपयुक्त शिक्षण पद्धति और पाठन सामग्री का निर्धारण कर सकता है।

दूसरी अवस्था में ऐसी सहायक पठन सामग्री का प्रयोग होना चाहिए जो विभिन्न केन्द्रों में 2 सप्ताह या उससे अधिक अवधि के लिए आयोजित साहित्यिक कार्यशालाओं में तैयार की गई हो। इन कार्यशालाओं में भाग लेने वालों को नव-साक्षरों के लिए लेखन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें पाठकों की दृष्टि से पठन सामग्री की अनुकूलता की जाँच करने का ढंग भी बताया जाना चाहिए। इस अवस्था के योग्य पठन सामग्री के निर्माण की दिशा में लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा सकती हैं और देश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित श्रेष्ठ और उपयुक्त पुस्तकों को पुरस्कृत किया जा सकता है। पुरस्कृत कृतियों को बड़ी संख्या में खरीदकर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में उनके वितरण का प्रबन्ध किया जा सकता है।

तीसरी अवस्था में प्रयोग की जाने वाली पठन सामग्री अर्थात् अनुवर्ती पठन सामग्री के अन्तर्गत सरल भाषा में लिखी गई उन पुस्तकों को लिया जा सकता है जो मनोरंजक हों, ज्ञान-विज्ञान से सम्बद्ध हों और तरह-तरह की जानकारी दे सकें। इस अवस्था में पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ अन्य साधनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। चलचित्र, रेकार्ड, चार्ट तथा इसी तरह के अन्य साधन जो पठन सामग्री की तरह काम दे सकते हों।

जब शिक्षार्थी आवश्यक सामग्री का चयन करने और इस बात का निर्णय करने की स्थिति में पहुँच जाते हैं कि

वह सामग्री उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होगी अथवा नहीं तब समाज की माँग को ध्यान में रखकर व्यवस्थित ढंग से तैयार की गई पठन सामग्री विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यदि शिक्षार्थी को लगे कि यह सामग्री उस पर जबरदस्ती लादी जा रही है तो वह कदापि यह अनुभव नहीं करेगा कि उससे उसे किसी प्रकार का लाभ हो रहा है।

नियमित शोध आदि से पठन सामग्री के निर्माण में उतनी सहायता नहीं मिलती जितनी किन्हीं विशेष पहलुओं का गहन अध्ययन करके लेखक की क्षमता को बढ़ाने में मिलती है। वह विषय को आवश्यकता के अनुसार अधिक सरल बना सकता है; उसके कलात्मक पक्ष का ध्यान रख सकता है, पठन सामग्री को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकता है और उसे अपने आप में पूर्ण बना सकता है ताकि शिक्षार्थी नए-नए अनुभवों को प्राप्त करने पर उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन या परिवर्द्धन की आवश्यकता महसूस न करे।

पठन सामग्री का निर्माण आज ऐसा व्यापार है जिसके लिए पर्याप्त पूँजी चाहिए। इसीलिए लोग बाजार की माँग का बराबर ध्यान रखते हैं। लेखकों का चयन भी काफी हद तक इसी स्थिति पर निर्भर रहता है। पठन सामग्री का निर्माण करने वाले स्वयंमेव उसके प्रकाशन और बिक्री का दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होते। प्रकाशक प्रायः ऐसे लेखक को चुनना या अपनाना चाहते हैं जिसका बाजार पर नियंत्रण हो और जो इस तरह की सामग्री की खरीद बड़ी मात्रा में करता हो या उसके व्यापक उपयोग में उसका हाथ हो। लेखन के क्षेत्र में लापरवाही या असावधानी से काम नहीं चलता। नव साक्षरों के लिए लिखना तो और भी कठिन होता है। पठन सामग्री से इस बात का आभास मिलना चाहिए कि उसके लेखक में ज्ञान के प्रसारण की पूर्णक्षमता है और कालान्तर में वह समाज में सांगोपाग परिवर्तन ला सकता है।

व्यक्ति जब अपने निजी अनुभव से सीखने लगता है तब पठन सामग्री का चयन और प्रस्तुति उसकी माँग पर अवलंबित हो जाती है। प्रायः सभी देशों में शिक्षार्थियों की माँग के मूल्यांकन के प्रयास किए गए हैं।

प्रश्न उठ सकता है कि साक्षर की पहचान क्या है? ऐसे व्यक्ति को साक्षर कहा जा सकता है जो परीक्षण के लिए तैयार किए गए किसी ऐसे अवतरण का 90 प्रतिशत अंश पढ़ और समझ सकता है जो उसकी परिचित शब्दावली के आधार पर तैयार किया गया हो। हम यही मानकर चलें कि नव-साक्षर व्यक्ति परीक्षण के लिए तैयार किए गए किसी अवतरण का 90 प्रतिशत अंश सही ढंग से पढ़ सकता है और पढ़े हुए का आधा अंश समझ सकता है।

कक्षा में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तकों में सामान्यतः प्रयुक्त और किसी पाठ विशेष में कम से कम पाँच बार दोहराए गए शब्दों के सहारे परीक्षण के लिए अनुच्छेद तैयार किया जा सकता है। यदि इस शब्दावली के सहारे किसी विशिष्ट विचारधारा को अभिव्यक्त करना संभव न हो तो कुछ और नए शब्द चुने जा सकते हैं। सामान्यतः 300 शब्दों की कहानी की रचना के लिए 25 नए शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। नए शिक्षार्थी के लिए शब्दों का इतना भार आदर्श माना जाता है। अनुच्छेदों की उपयुक्तता की परख उन विद्यार्थियों के बीच की जा सकती है जो चार वर्ष तक स्कूलों में शिक्षा पा चुके हों। किसी समर्थ अधिकारी से हाल ही में साक्षरता का प्रमाण-पत्र प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों के नव-साक्षरों में से कुछ व्यक्तियों को भी इस जाँच के लिए चुना जा सकता है। इस प्रकार परीक्षण के लिए तैयार किया गया अनुच्छेद नव-साक्षरों के अक्षर ज्ञान को मापने का उपयुक्त साधन बन सकता है।

पठन सामग्री विषयक नव-साक्षरों की रुचि का पता लगाने के लिए ऐसे कार्डों की सहायता ली जा सकती है जिन पर कल्पित पुस्तकों के नाम लिखे हों। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कार्ड पर, पहले से तैयार की गई विषयों की सूची में वे विषय अवश्य प्रस्तुत किए जाएँ जो प्रमुख हों। पुस्तकों के शीर्षक ऐसे न हों कि पाठक उसके पक्ष या विपक्ष में पहले से ही कोई निर्णय ले लें। पुस्तकों की संख्या, प्रकार और उनकी विशिष्टता के निर्धारण के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ली जानी चाहिए।

प्रश्नकर्त्ता को चाहिए कि वह कार्डों को किसी क्रम से लगाकर प्रत्यर्थी को दे और उससे कहे कि वह ध्यान से देखकर उनमें से ऐसे कार्डों को अलग कर दे जिन पर उसकी रुचि के अनुकूल पुस्तकों के नाम लिखे हों। प्रत्येक प्रत्यर्थी यदि ऐसे दस कार्ड चुन सके तो बहुत अच्छा होगा। यदि कोई प्रत्यर्थी इससे अधिक कार्ड चुनना चाहे तो उससे कहा जाए कि वह अपनी रुचि के अनुकूल उन्हें प्रथम और द्वितीय कोटि में वर्गीकृत कर दे। नव साक्षरों की पठन संबंधी रुचि जानने के लिए भी व्यक्तियों का चुनाव उपर्युक्त पद्धति से किया जा सकता है।

विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित अनुवर्ती पठन-सामग्री को एकत्र कर लिया जाए। नव-साक्षरों के लिए प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ और समाचार पत्र (यदि प्रकाशित होते हों तो) भी एकत्रित कर लिए जाएँ। पत्र-पत्रिकाएँ प्रौढ़ों की पढ़ने की रुचि को बनाए रखने का अत्यन्त सबल माध्यम हैं। उनमें नए समाचार और विचार होते हैं। नव-साक्षरों को स्वयं कुछ लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वह अपनी ही रचना को पढ़ कर आनन्द ले सके। नमूने के तौर पर, प्रकाशित पुस्तकों में से दस प्रतिशत पुस्तकों को चुना जाएँ। इनमें प्रसिद्ध पत्रिकाओं की एक-एक प्रति भी सम्मिलित की जा सकती हैं। इन

पुस्तकों को पहल प्रकाशन संस्था के आधार पर और बाद में विषयानुसार वर्गीकृत कर लिया जाए जैसे—कृषि, स्वास्थ्य, धर्म, जीवनी-साहित्य, समाज-विज्ञान, सामान्य ज्ञान, मनोरंजन और खाली समय में किए जाने वाले व्यवसाय आदि। फिर प्रत्येक वर्ग में से 10 प्रतिशत पुस्तकों को नमूने के तौर पर चुना जा सकता है। पूर्व कथित विधि से चुने गए नव-साक्षरों की सहायता से यह जाना जा सकता है कि ये पुस्तकें उनके लिए उपयुक्त हैं अथवा नहीं। प्रत्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर नमूने की पुस्तकों की विषय-वस्तु का विश्लेषण निम्नलिखित दृष्टियों से किया जा सकता है। जैसे—विषय का चयन, विषय-प्रतिपादन, तथ्यों की प्रामाणिकता, भाषा, मुद्रण की अशुद्धियाँ और पाठ्य सामग्री के कठिन होने के कारण।

किसी भी प्रकार के अध्ययन अथवा अन्वेषण के लिए नव-साक्षरों का चयन करते समय सम्पूर्ण क्षेत्र को उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण—इन चार बड़े मण्डलों में विभाजित करना सुविधाजनक होगा। आगे चलकर प्रत्येक मण्डल को चार-चार प्रदेशों में और फिर प्रत्येक प्रदेश को, भाषा और संस्कृति की दृष्टि से समान, चार-चार खण्डों में उपविभाजित करने के बाद प्रत्येक खंड में से कुछ व्यक्तियों को प्रस्तावित अध्ययन के लिए चुना जा सकता है।

विभिन्न देशों में सम्पूर्ण जन समुदाय को शिक्षित करने का प्रयास जिस विशाल पैमाने पर हो रहा है वह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना है। दुर्भाग्यवश पुस्तकों का प्रकाशन इस प्रभावशाली शिक्षा आन्दोलन के साथ-साथ नहीं बढ़ पाया। प्रकाशक प्रायः सुशिक्षित और सुसम्पन्न मुठ्ठी भर लोगों तक आसानी से पहुँच जाते हैं और महँगे दामों पर पुस्तकें बेचने का सरल काम बड़ी रुचि से करते हैं। प्रकाशकों को दोष देना ठीक नहीं है। ऐसी व्यवस्था के लिए ज्यादा लागत चाहिए। आवश्यकतानुसार पूँजी उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो भी विकासशील देशों के राष्ट्रीय लक्ष्यों से परिचित हो जाने के बाद पुस्तक-व्यवसाय की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में शिक्षा का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है। अब ऐसे प्रकाशकों की आवश्यकता है जो हिम्मती और कल्पनाशील हों।

स्थानीय अध्यापकों की सहायता से तैयार की गई पठन-सामग्री के वितरण में सामान्यतः कोई कठिनाई नहीं होगी। साहित्यिक कार्य-शिविरों में तैयार की गई पठन सामग्री को और पुरस्कृत कृतियों की प्रतियों को सबसे पहले प्रादेशिक केन्द्रों में भेजा जा सकता है। वहाँ से उन्हें उन स्थानों को ले जाया जा सकता है जहाँ उनके प्रयोक्ता अधिक संख्या में हों। अनुवर्ती पठन सामग्री का वितरण सामान्य पुस्तक विक्रेता भी कर सकते हैं। छोटे ट्रकों या स्कूटरों में वे पुस्तकों को केन्द्रीय भंडारों से सैकड़ों बिक्री केन्द्रों तक ले जा सकते हैं। पुस्तकों के प्रदर्शन के लिए वे अपने साथ प्लास्टिक या तार के रैक आदि ले जा सकते हैं जिनमें पुस्तकों को ठीक तरह से सजाकर रखा जा सके। □□□

(पृष्ठ 20 का शेष)

अपने हस्ताक्षर दाईं ओर करके फाइल लौटा देता है। अधिकारियों से प्राप्त सभी मौखिक आदेश टिप्पणी भाग में टिप्पणी के रूप में लिख कर रखे जाते हैं।

अशासनिक पत्राचार पर टिप्पणियाँ:

कभी-कभी प्रशासी मंत्रालय या वित्त मंत्रालय से सूचना, सम्मति, सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, तब फाइल या अलग से मात्र अशासनिक टिप्पणी भेजी जाती है। तथ्यों का क्रमिक सार भी कभी-कभी तैयार कर टिप्पणी के रूप में भेजते हैं।

टिप्पणी लेखन के बारे में सामान्य अनुदेश:

1. टिप्पणी स्वतः पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए।
2. टिप्पणी की भाषा सरल हो, उसमें रवानगी हो, वाक्य छोटे और स्पष्ट हों, तकनीकी शब्द वही हों जो प्रचलित हैं।
3. मानक शब्दावली का प्रयोग किया जाए।
4. सहायक स्तर की टिप्पणी पर डाकेटिंग की जानी चाहिए।
5. टिप्पणी संक्षिप्त और विषय-संगत हो और क्रमबद्ध हो।
6. उसमें वास्तविक मुद्दों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
7. तथ्यों का क्रमिक सार यदि टिप्पणी भाग में मौजूद हो, तो उसे दोहराने की जरूरत नहीं, मात्र हवाला दिया जाए।
8. आवती-टिप्पणी आदि में भूलों का संकेत विनीत और संयत भाषा में किया जाए।
9. किसी की आलोचना करनी हो, तो जो विचार रखे जाएँ वे निष्पक्ष, शिष्ट और संतुलित हों।
10. एक ही मंत्रालय के अधिकारियों के बीच टिप्पणी नहीं लिखी जानी चाहिए। मौखिक चर्चा या टेलीफोन पर बातचीत करने के उपरांत मामले को तय कर निर्णय को टिप्पण भाग में लिख लेना चाहिए।
11. यदि विचाराधीन आवती में एक से अधिक मुद्दे उठाए गए हों, तो हर मुद्दे पर अलग-अलग टिप्पणी लिखी जानी चाहिए और यदि उनके विषय अलग हों तो अन्य फाइल भी खोलनी चाहिए। □□

राजभाषा संबंधी समितियां :

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नवीं बैठक के प्रमुख निर्णय :

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नवीं बैठक सचिव, राजभाषा विभाग, एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार श्री जयनारायण तिवारी, की अध्यक्षता में 18 जुलाई, 1980, को नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के समिति कक्ष में सम्पन्न हुई ।

2. समिति के सचिव ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्रवाई आरम्भ की ।

3. सदस्यों ने समिति की पिछली बैठक की इस सिफारिश को दुहराते हुए अनुरोध किया कि केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हर छह महीने में एक बार अवश्य बुलाई जानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में ऐसा करने का आश्वासन दिया ।

4. कार्यसूची की विभिन्न मदों पर विस्तार से चर्चा हुई और मुख्य-मुख्य विषयों के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :—

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिंदी अधिकारियों के समुचित संख्या में अलग पद होने चाहिए और अनुवादकों के अलग यथेष्ट पद होने चाहिए जिससे वे अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से निभा सकें :

हिन्दी अनुवादकों के कर्त्तव्यों के संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 5-4-80 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13018/1/80-रा० भा० (ग), के विषय में बैठक में सविस्तार चर्चा हुई और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए । कुछ का मत था कि उक्त अनुदेश के अनुसार अनुवादकों से केवल अनुवाद का काम लेना सरकार के हित में नहीं होगा क्योंकि इससे कार्यान्वयन संबंधी कार्य में कठिनाई पैदा हो जाएगी । अधिकांश हिंदी अधिकारियों को कोई सचिवालयीन सहायता उपलब्ध नहीं होती जिससे उनके लिए अनुवादकों की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है । यह भी संभव है कि अनुवाद कार्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने पर अनुवादक खाली रहें और वे कार्यान्वयन संबंधी कार्य भी न करें । कुछ अन्य सदस्यों का मत था कि अनुवादकों से कार्यान्वयन संबंधी कार्य के कुशल निष्पादन की अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि उन्हें कार्यालय पद्धति का अच्छा अनुभव नहीं होता । उनका मत था कि कार्यान्वयन संबंधी कार्य में हिंदी अधिकारियों की सहायता के लिए हिंदी सहायक के अलग पद होने चाहिए जिन्हें केंद्रीय सचिवालय सेवा के हिंदी जानने वाले कर्मचारियों से भरा जाए । कुछ अन्य वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि हिंदी की प्रगति के लिए अनुवाद कार्य की अपेक्षा कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । अतः कार्यान्वयन संबंधी कार्य के अलग मानदण्ड निर्धारित करके विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में इस कार्य के लिए अलग से उपयुक्त स्तर के पद सृजित किए जाने चाहिए । अधिकांश लोगों का मत था कि यद्यपि मंत्रालयों/विभागों आदि में अनुवाद का बहुत काफी काम है और वर्तमान स्टाफ उसे निपटा सकने के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी अनुवादकों, विशेषकर वरिष्ठ अनुवादकों के कार्य में लचीलापन रहना चाहिए ताकि उन्हें विविध अनुभव प्राप्त हो सकें । चूँकि वरिष्ठ अनुवादक आगे चलकर हिंदी अधिकारी पद के लिए उम्मीदवार होंगे अतः उनसे कार्यान्वयन संबंधी कार्य लेने के लिए मंत्रालयों/विभागों के हिंदी अधिकारियों को छूट होनी चाहिए ।

राजभाषा विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए यह बताया गया कि उक्त अनुदेश समिति की पिछली बैठक की सिफारिश के आधार पर ही जारी किए गए थे । उस समय विभिन्न मंत्रालयों ने यह मत व्यक्त किया था कि अनुवादकों का अनुभव और स्तर कार्यान्वयन संबंधी कार्य के महत्व को देखते हुए पर्याप्त नहीं होता अतः यह कार्य उच्चतर स्तर के अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए । यह भी कहा गया था कि अनुवादकों से कार्यान्वयन का काम लिए जाने से अनुवाद का काम पिछड़ रहा है और अक्सर कानूनी अनिवार्यता का भी निर्वाह नहीं हो पाता ।

चर्चा के बाद अनुवादकों के कर्त्तव्यों से संबंधित राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन पर पुनः विचार किए जाने का निर्णय हुआ ।

(2) समिति ने यह भी सिफारिश की कि राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के

कार्यान्वयन के लिए स्वतन्त्र व्यवस्था करने और इसके लिए आवश्यक पदों को रोक से मुक्त रखे जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

(3) सामान्य तौर पर यह महसूस किया गया कि अनुवाद कार्य के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं वे बहुत ज्यादा हैं। इन पर पुनः विचार करके तकनीकी और गैर तकनीकी काम के लिए पृथक-पृथक मापदंड बनाए जाने चाहिए।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा बनाए गए अनुवादकों के पैनल में नामांकित व्यक्तियों से काम कराने का पारिश्रमिक तय कर देना चाहिए जिससे अनुवाद करने में सुविधा हो:

सदस्यों का मत था कि सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए मानदेय/पारिश्रमिक की जो दरें निर्धारित की जाएँ उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि अनुवाद की जाने वाली सामग्री की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित की जानी चाहिए।

आशुलिपि एवं टंकण के केंद्रों की संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए:

सदस्यों को राजभाषा विभाग के छह नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर हुई प्रगति से अवगत कराया गया। सदस्यों को यह भी बताया गया कि जहाँ हिंदी शिक्षण योजना के अधीन केंद्र उपलब्ध नहीं हैं या जहाँ ये केंद्र बहुत दूर हैं वहाँ विभागाध्यक्ष अपनी ओर से मानदेय देकर विभागीय व्यवस्था कर सकते हैं।

नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, और बड़ौदा में शीघ्र नए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की सिफारिश की गई।

यांत्रिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए किए गए उपाय:

(1) पिन प्वाइंट टाइपराइटरों के निर्माण के बारे में सदस्यों को अब तक हुई प्रगति की जानकारी देते हुए यह बताया गया कि इस विषय पर और विस्तार से विचार करने के लिए शीघ्र ही राजभाषा विभाग द्वारा पूर्ति विभाग, औद्योगिक विकास विभाग और विभिन्न फर्मों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जा रही है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध भी किया गया कि वे अपने यहाँ इनकी माँग का सही अंदाजा लगाकर राजभाषा विभाग को सूचित करें। कुछ सदस्यों का मत था कि जब देवनागरी पिन प्वाइंट टाइपराइटर बनकर तैयार हो जाएगा तभी उसकी उपयोगिता और माँग का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में माँग स्वतः उत्पन्न हो जाएगी।

(2) देवनागरी टेलीप्रिन्टर के बारे में संचार मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि इनका निर्माण हो रहा है और अब चार महीने से अधिक पुराने आर्डर बाकी नहीं हैं। समिति ने सिफारिश की कि संचार मंत्रालय देवनागरी टेलेक्स के विकास के लिए भी उचित कार्रवाई करें। उपयुक्त समझा जाए तो इस कार्य के लिए टी० आर० सी० या आई० टी० आई० से उपयुक्त योजना बनाने के लिए कहा जा सकता है।

(3) बिजली से चलने वाले टाइपराइटरों के निर्माण के बारे में समिति को सूचित किया गया है कि मेसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स संशोधित डिजाइन तैयार कर रहे हैं यद्यपि वर्तमान डिजाइन केवल रोमन लिपि का ही है, जैसे ही संशोधित डिजाइन तैयार हो जाएगी अंग्रेजी के साथ-साथ देवनागरी मशीनें बनाने पर भी विचार किया जाएगा। सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि देवनागरी टाइपराइटर के बारे में भी साथ-साथ प्रगति की जाए ताकि बिजली से चलने वाले रोमन टाइपराइटरों के उत्पादन के साथ ही देवनागरी टाइपराइटर का निर्माण शुरू किया जा सके।

(4) देवनागरी कम्प्यूटर, केल्कुलेटर, आदि अन्य मशीनों के बारे में भी राजभाषा विभाग को प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। कैल्कुलेटरों के तो केवल शीर्षक ही बदलने पर्याप्त होंगे।

(5) सामान्य देवनागरी टाइपराइटरों के बारे में कुछ सदस्यों ने बताया कि उनके कुंजीपटल में अभी भी एकरूपता नहीं है। गोदरेज कंपनी के नए टाइपराइटर में बहुत कठिनाई होती है। रेमिंगटन कंपनी के टाइपराइटर मिल नहीं रहे हैं। इनके बारे में जाँच की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के वर्तमान प्रोफार्मा को सरल और व्यावहारिक बनाना:

(1) सदस्यों ने प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए प्रस्तावित संशोधित प्रोफार्मा का सामान्य रूप से स्वागत किया। उनका मत था कि यह अधिक व्यावहारिक भी होगा और सार्थक भी। कुछ सदस्यों ने आंशिक संशोधन के लिए कुछ सुझाव भी दिए। इस प्रश्न पर भी विचार किया गया कि प्रगति रिपोर्ट तिमाही ही रहे या इसकी अवधि बढ़ाई जाए। चर्चा के बाद यह तय हुआ कि मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियाँ और राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की हर तिमाही में होने वाली बैठकों में प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जानी अपेक्षित है। अतः इन्हें तिमाही आधार पर ही तैयार किया जाना चाहिए।

(2) हिंदी में लिखे गए अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित आवती पत्रों के लिए एक पृथक डायरी रजिस्टर रखा जाना चाहिए तथा जारी किए गए पत्रों के लिए प्रत्येक कार्यालय/अनुभाग/डैस्क/एकक में प्रेषण रजिस्टर नियमित रूप से भरे जाने के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए समिति ने सिफारिश की कि इन रजिस्टरों को ठीक से और एकरूपता से रखे

जा सकने की दृष्टि से कार्यालय पद्धति में आवश्यक उपबंध जोड़े जाएँ।

(3) राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कुछ कामों के लिए हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य है। इन प्रावधानों का किस हद तक अनुपालन किया जा रहा है इसकी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए समिति ने सिफारिश की कि कार्यालय पद्धति में वार्षिक निरीक्षण के प्रोफोर्मा में प्रस्ताव के अनुसार आवश्यक संशोधन कराए जाएँ।

मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्यालयों द्वारा हिंदी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में भेजने के लिए कारगर उपाय करना:

तथा

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन जारी किए जाने वाले कागजात को हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में जारी करने के लिए उपयुक्त उपाय करना:

समिति ने जाँच बिन्दुओं (चैक प्वाइंट) संबंधी व्यवस्था को कारगर रूप से लागू किए जाने के सुझावों का अनुमोदन किया।

मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक लेख/पुस्तकें लिखने पर पुरस्कार देने की योजना:

सदस्यों का बताया गया कि कई मंत्रालय मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए पुरस्कार देते हैं। समिति ने इस बात का अनुमोदन किया कि इस प्रयास को और व्यापक रूप से सभी मंत्रालयों में अपनाया जाए, ताकि लेखक हिंदी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित हों। स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, आदि ने बताया कि वे भी इस आशय के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं।

हिंदी में प्राप्त पत्रों को नेमी तौर पर हिंदी अधिकारी/हिंदी अनुभाग को न भेजा जाना: यथा संभव संबंधित अनुभाग द्वारा सीधे कार्रवाई करना:

समिति को बताया गया कि अधिकांश कार्यालयों में ऐसे पत्रों पर अपेक्षित कार्रवाई संबंधित अनुभाग द्वारा ही की जाती है। सिफारिश की गई कि अन्य कार्यालय भी यह सुनिश्चय करें कि हिंदी में प्राप्त पत्र विषय से संबंधित अधिकारी को सीधे कार्रवाई करने के लिए भेजे जाएँ।

वित्त मंत्रालय के एस० आई० यू० को निरीक्षण के समय कर्मचारियों द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए गए कार्य को ध्यान में रखना चाहिए:

समिति ने सिफारिश की कि इस बारे में वित्त मंत्रालय को लिखा जाए कि स्टाफ की आवश्यकता का अध्ययन करते समय एस० आई० यू० का दृष्टिकोण हिंदी कार्य के प्रति उदार हो, क्योंकि उसमें अंग्रेजी कार्य से अधिक समय लगता है।

सरकारी कम्पनियों निगमों में आशुलिपिकों/टाइपिस्टों की भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प दिया जाना:

तथा

केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं एवं सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी माध्यम से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाना:

(क) सदस्यों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया कि संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के लिए ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं की भाँति केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों और अन्य केंद्रीय कार्यालयों द्वारा भर्ती के लिए ली जाने वाली आशुलिपि/टाइपिंग परीक्षा में हिंदी माध्यम का विकल्प दिया जाए।

यह भी सिफारिश की गई कि जो टाइपिस्ट और आशुलिपिक दोनों भाषाओं में काम करते हैं, उन्हें उपयुक्त आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए। हिंदी में कार्य करने के के संबंध में जो नक़द पुरस्कार योजना बनाई जा रही है उसके समकक्ष एक अलग योजना टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों के लिए भी शीघ्र ही बनाई जानी चाहिए।

सदस्यों का यह भी मत था कि हिंदी टाइपिस्टों और हिंदी आशुलिपिकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को अधिक से अधिक काम हिंदी में करने होते हैं। इसलिए चयन करते समय एक निश्चित प्रतिशत में हिंदी आशुलिपिको को लिया जाना चाहिए। यही बात हिंदी टाइपिस्टों की भर्ती करते समय भी लागू होनी चाहिए।

(ख) बैठक में सर्वसम्मति से इस बात का अनुमोदन किया गया कि अधीनस्थ कार्यालयों की भर्ती परीक्षाओं और सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में हिंदी माध्यम से परीक्षा देने का जो विकल्प फिलहाल हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित है उसे तुरन्त अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाए। इससे अहिंदी-भाषी अभ्यर्थियों/कर्मचारियों को कोई असुविधा नहीं होगी क्योंकि जो हिंदी माध्यम से परीक्षा देना चाहेंगे वही उसका लाभ उठाएँगे।

बैंकों और वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा हिंदी में चेक जारी करने की शुरूआत की जाए तथा देवनागरी के पिन प्वांइट टाइपराइटर खरीदने के लिए माँग भेजी जाए:

समिति ने यह सिफारिश की कि सभी विभागों के आय एवं लेखा प्रभाग वेतन आदि के चेक हिंदी में बनाएँ। राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी करने पर विचार किया जाए। यह भी सिफारिश की गई कि बकों आदि जिन केन्द्रीय कार्यालयों में रोमन लिपि के पिन प्वाइंट टाइपराइटरों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें देवनागरी लिपि के पिन प्वाइंट टाइपराइटरों के लिए तुरंत अपनी अनुमानित माँग भेजनी चाहिए और इस बारे में संबंधित मंत्रालयों/विभागों आदि को पुनः लिख देना चाहिए।

मंत्रालयों/विभागों तथा उनके दिल्ली-स्थित अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का अध्ययन करना :

समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि हर मंत्रालय/विभाग वर्ष में एक बार नियमित रूप से अपने सभी कार्यालयों का राजभाषा प्रगति संबंधी निरीक्षण करें तथा इन निरीक्षणों में राजभाषा विभाग को भी सम्मिलित किया करें।

सरकारी पत्रिकाएँ हिंदी में प्रकाशित करना और उनके लिए उपयुक्त स्टाफ़ की व्यवस्था करना :

जो मंत्रालय/विभाग अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं, वे अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी की भी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करें और जो वेतनमान तथा पद अंग्रेजी पत्रिका के लिए हैं, वही वेतनमान तथा पद हिंदी पत्रिका के लिए भी रखे जाएँ। हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन पर नजर रखने के लिए समिति ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रस्तावित प्रोफामा में निम्नलिखित प्रश्नावली जोड़ने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया :—

(क) क्या मंत्रालय/विभाग की तरफ से कोई पत्र/पत्रिका प्रकाशित की जा रही है।

(ख) क्या अंग्रेजी की सभी पत्र-पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण अथवा उनके समकक्ष अन्य हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जा रही हैं?

(ग) यदि नहीं तो उन्हें कब तक प्रकाशित करने का प्रस्ताव है?

(घ) क्या अंग्रेजी और हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय स्टाफ की संख्या और वेतनमान आदि में एकरूपता है। यदि नहीं तो इनमें एकरूपता स्थापित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

हिंदी टाइपिस्टों की स्थिति :

कुछ विभागों ने बताया कि कुछ हिंदी टाइपिस्टों की पदोन्नति अन्य अंग्रेजी टाइपिस्टों या लिपिकों की भाँति नहीं हो रही है और इस संबंध में कार्मिक और प्राशासनिक सुधार विभाग का एक आदेश भी दिखाया गया जिसके अनुसार हिंदी टाइपिस्टों की पिछली सर्विस शायद पदोन्नति के लिए नहीं मानी गई थी। समिति का मत था कि इस संबंध में शीघ्र ही विचार होना चाहिए और ऐसे आदेश दिए जाने चाहिए कि हिंदी टाइपिस्टों को भी उसी स्तर पर रखा जाए जिस स्तर पर अंग्रेजी टाइपिस्ट हैं और उन्हें उसी प्रकार पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिए। □ □ □

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के छठवें अधिवेशन के कुछ निर्णय :

डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का कार्य ठीक गति से चल रहा है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, संयुक्त राष्ट्र की संधियाँ, राजनीतिक और सिविल अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का भी हिंदी अनुवाद होना चाहिए।

उन्होंने यह कहा कि अधीनस्थ विधायन का भी प्रकाशन होना चाहिए। नियमों के उपलब्ध न होने से न्याय के प्रशासन में अड़चन होती है। डॉ० सिंघवी यह चाहते थे कि संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ शीघ्र प्रकाशित किया जाए। उन्होंने यह कहा कि पत्रिकाओं के प्रकाशन में जो देरी हो रही है उसे दूर करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएँ। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह हिंदी में विधि की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे। पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के बाद गौरव-ग्रंथों के अनुवाद का कार्य हाथ में लिया जाए।

श्री विष्णुदत्त शर्मा ने सुझाव दिया कि और अधिक प्रदर्शनियाँ लगाई जानी चाहिए तथा जहाँ प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं वहाँ राज्य सरकार, न्यायपालिका और वकीलों के सहयोग से गोष्ठी/परिसंवाद का आयोजन भी किया जाना चाहिए। पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन में विलम्ब के बारे में उन्होंने यह कहा कि सरकारी कामकाज में जो

देर होती है उसे समाप्त करने के लिए यह अच्छा होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें पूँजी देकर एक निगम बनाएँ। उन्होंने सरकार से यह अनुरोध किया कि वे अपने प्रकाशनों की कीमत कम करे। विधि साहित्य समाचार का प्रकाशन बंद किए जाने पर उन्होंने दुःख प्रकट किया और सरकार से अनुरोध किया कि उसे फिर से प्रकाशित किया जाए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि हिंदी में विधि की पुस्तकें लिखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि अनेक वर्षों से यह देखा जा रहा है कि पत्रिकाएँ एक वर्ष से भी अधिक की देरी से निकल रही हैं जिसके कारण वकीलों के लिए उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में श्री चतुर्वेदी चाहते थे कि एक विषद् योजना तैयार की जाए और समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उसे कार्यान्वित किया जाए। उन्होंने सरकार से यह अनुरोध किया कि अधीनस्थ विधायन को हिंदी में शीघ्र प्रकाशित किया जाए। श्री चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि प्रदर्शनियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन स्थानों को चुना जाए जहाँ माँग अधिक होने की संभावना है और उपयोग करने वालों को खरीदने की सुविधाएँ दी जाएँ। इस बारे में सदस्यों से भी परामर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने इस सुझाव का समर्थन किया कि प्रदर्शनियों के साथ-साथ गोष्ठियाँ भी की जाएँ।

डॉ० वेणी शंकर झा यह चाहते थे कि विभाग इस बात का अनुमान लगाए कि कितना काम बाकी है और यह देखे कि उसमें क्या बाधाएँ आ रहीं हैं फिर उन बाधाओं को दूर करने के लिए योजना बनाई जाए। उन्होंने श्री चतुर्वेदी से सहमति प्रकट करते हुए यह कहा कि अगर निर्णय पत्रिका देर से प्रकाशित होती है तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। उन्होंने अध्यक्ष से यह अनुरोध किया कि वे विधायी विभाग के छपाई के काम के लिए अलग से व्यवस्था कराएँ।

पुरस्कार योजना में अधिक लेखकों को आकर्षित करना :

इस दिशा में अभी प्रयास किए जाने हैं। यह सुझाव दिया गया कि ऐसे लेखकों को विशेष पुरस्कार दिया जाए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है।

तत्रिकाओं के प्रकाशन में विलम्ब :

प्रधान सम्पादक ने समिति को यह आश्वासन दिया कि आगामी बैठक तक ऐसी पत्रिकाएँ जो अभी आठ महीने पीछे हैं, केवल चार महीने पीछे रह जाएँगी। मंत्री जी ने यह निदेश दिया कि जब तक पत्रिकाएँ समय से प्रकाशित नहीं होती हैं तब तक मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब :

समिति को यह सूचित किया गया कि छपाई के लिए निविदाएँ मँगाई गई थीं किन्तु बाद में प्रेसों ने काम स्वीकार नहीं किया। नए सिरे से बातचीत और प्रयत्न जारी हैं। सदस्य यह चाहते थे कि इस बारे में अगली बैठक तक कुछ कार्य अवश्य हो जाए।

डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने यह कहा कि यदि छपाई का काम दिल्ली में होता है तो यह सर्वोत्तम होगा किन्तु यदि दिल्ली में प्राइवेट प्रेसों से काम कराना संभव नहीं हो रहा है तो बाहर से कराने में संकोच नहीं होना चाहिए। यदि बाहर से कराने में अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो कर्मचारियों के नए पदों की मंजूरी दी जानी चाहिए।

विद्यार्थियों, बार काउंसिलों, और पुस्तकालयों को विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर पचास प्रतिशप की रियायत का दिया जाना :

समिति को यह सूचित किया गया कि वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि पुस्तकों की कीमत विद्यार्थियों की पहुँच के भीतर होनी चाहिए। डॉ० सिंघवी ने यह कहा कि यदि श्री शिवदयाल द्वारा लिखी गई मध्य प्रदेश भू-विधि नाम की पुस्तक जल्दी नहीं बेची गई तो विधि में परिवर्तन के कारण वह पुरानी हो जाएगी। आर्थिक दृष्टि से यह अच्छा होगा कि इस पुस्तक को आधे दाम पर बेचा जाए नहीं तो आगे चलकर इसे तौल कर बेचना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे स्वयं वित्त मंत्रालय से बात करेंगे।

कम्पनी कार्य विभाग के विशेष सचिव डॉ० अरुण घोष ने उन तथ्यों पर प्रकाश डाला जिनकी वजह से उनका विभाग पूरी तरह से राजभाषा नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है। डॉ० सिंघवी ने यह कहा कि आवश्यक साहित्य को क्रमिक रूप से तैयार करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। चतुर्वेदी जी ने यह कहा कि 50 मानक प्ररूप तैयार करके प्रकाशित कर दिए जाएँ। उन्हें आवश्यकतानुसार अनुकूलित करके प्रयोग किया जा सकेगा। डॉ० झा ने कहा कि भाषा प्रयोग से बनती है शब्दावली तैयार करने से नहीं; हमें प्रयोग आरम्भ कर देना चाहिए। □ □ □

हिंदी के बढ़ते चरण :

महालेखाकार, नागालैंड और कोहिमा के कार्यालय में हिंदी

—आनन्द शंकर

राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ उप-महालेखाकार

आज से तीन वर्ष पूर्व इस कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था। प्रारंभ में इस कार्यालय में हिंदी के प्रयोग की व्यावहारिकता तथा कार्यपरिधि कम होने के कारण समिति के समक्ष चर्चा का कोई विषय नहीं था, किंतु हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी प्रयास जारी रहे। आजकल समिति की सदस्य संख्या पाँच है तथा राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में हर तिमाही में समिति की बैठक होती है जिसका कार्यवृत्त प्रधान कार्यालय एवम् राजभाषा विभाग को भेजा जाता है।

इस कार्यालय में राजभाषा संबंधी विभिन्न आदेशों/अनुदेशों का यथा संभव पालन करने के लिए एक हिंदी कक्ष खोला गया है। इस कक्ष के कार्यभार संभालने हेतु प्रधान कार्यालय द्वारा हिंदी लेखापरीक्षक के एक अस्थायी पद की मंजरी प्राप्त हो चुकी है। हिंदी कक्ष की देख-रेख में कुछ हिंदी साहित्य भी खरीदा गया है, "धर्मयुग" तथा "खेल-खिलाड़ी" नामक पत्रिकाओं की खरीद की जाती है। कार्यालय के अनुवाद कार्य हिंदी कक्ष द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की देख-रेख में सिविल एकाउंट्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब की मदद से 7 अप्रैल 1980 को वार्षिक कविता पाठ के अवसर पर प्रथम बार हिंदी कविता पाठ का आयोजन किया गया जिसमें सात व्यक्तियों के कविता-पाठ काफी सराहनीय थे। प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्लब के सांस्कृतिक उत्सव के अवसर पर महालेखाकार ने प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार से सम्मानित किया।

कर्मचारी चयन आयोग, कलकत्ता द्वारा इस कार्यालय में एक हिंदी टंकण की नियुक्ति की गई है। एक हिंदी टंकण मशीन भी खरीदी गई है जिससे हिंदी कार्य को काफी बल मिला है। हिंदी टंकण के मार्गदर्शन में 1 अप्रैल, 1980 से तीन अन्य लिपिकों के लिए अंशकालिक हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ये तीनों लिपिक कार्यालय काल में ही प्रतिदिन आधे घंटे का प्रशिक्षण लेते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति का काफी दिनों से विचार था कि इस कार्यालय में कोहिमा केंद्र के सभी केंद्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को मिलाकर एक अंशकालिक हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए। किन्तु कुछ तकनीकी असुविधाओं के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। अंत में उक्त कार्य में समिति को सफलता मिली और 12 मई 1980 को इस कार्यालय में अंशकालिक हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। विचार था कि प्रारंभ में 15 प्रशिक्षार्थियों से कक्षा शुरू कराई जाए जिसमें 5 प्रशिक्षार्थी कोहिमा स्थित अन्य केंद्रीय कार्यालयों से आमंत्रित किए जाएँगे। किंतु कुछ कारणों से इस कार्यालय से 9 तथा एस० आई० बी० कोहिमा के केवल एक प्रशिक्षार्थी को ही मिलाकर कुल दस प्रशिक्षार्थियों से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इन प्रशिक्षार्थियों की हिंदी भाषा में रुचि सराहनीय है। □ □ □

भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में हिंदी—एक झाँकी

—प्रेम दयाल गुप्त

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारत गोल्ड माइंस, कर्नाटक

भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड का सृजन भारत सरकार के विभागीय उपक्रम कोलार गोल्ड माइनिंग अण्डरटेकिंग को पहली अप्रैल 1972 से सरकारी कम्पनी में परिवर्तित करके किया गया। राजभाषा नियम, 1976 के पारित होने पर हिंदी के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया। सितम्बर 1976 में महाप्रबन्धक/अभिकर्त्ता की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। उद्यम के एक अधिकारी को राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त किया

गया। इस थोड़े से समय में हिंदी के प्रसार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन : 1 सितम्बर 1976 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया महाप्रबंधक/अभिकर्ता को समिति का अध्यक्ष नामजद किया गया। खनन इंजीनियरी तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्यता इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि कम-से-कम समिति के आधे सदस्य उच्च पदों पर आसीन अहिंदी भाषी हों। समिति की बैठक हर तिमाही में होती है। यह सुधार के लिए योजना बनाती है, प्रगति की समीक्षा करती है और प्रबंध को सुझाव देती है।

कर्मचारियों का हिंदी में प्रशिक्षण : भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन पुरस्कारों को कम्पनी देती है। कार्यविधि में प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया है और आवश्यक पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं। प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में 55 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 70 प्रतिशत प्राप्तांक पर क्रमशः 100/-, 200/- और 300/- का नकद पुरस्कार स्वीकृत है। प्राज्ञ परीक्षार्थियों को एक माह के वेतनवृद्धि के बराबर एक वर्ष के लिए वैयक्तिक वेतन भी दिया जाता है। जून 1978 की प्रवीण परीक्षा में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होने वाले 2 परीक्षार्थियों को 100-100 रुपए के और जून 1979 की प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होने वाले दो-दो परीक्षार्थियों को 100-100 रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए। 15 प्राज्ञ परीक्षार्थी अपने एक माह के वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इस मद पर पूर्ण व्यय 4,780/- हुआ।

हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों और उन व्यक्तियों की जिन्हें प्रशिक्षण देना है, स्थिति निम्न है :—

	अधिकारी.	अन्य कर्मचारी	
	प्रवीण तक कार्यसाधक ज्ञान	प्राज्ञ तक कार्यसाधक ज्ञान	प्राज्ञ तक कार्यसाधक ज्ञान
1. कुल संख्या	116	135	585
2. कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता रखने वालों की संख्या	56	26+9	2+61
3. कितनों को प्रशिक्षित करना है	60	100	558
4. उपर्युक्त में से कितनों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और परीक्षाफल की प्रतीक्षा है	4	10	19

हमारे प्रशिक्षण के आकड़े निम्न हैं :—

	प्रबोध			प्रवीण			प्राप्त		
वर्ष	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या	उत्तीर्ण होने वालों की संख्या	प्रतिशत	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या	उत्तीर्ण होने वालों की संख्या	प्रतिशत	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या	उत्तीर्ण होने वालों की संख्या	प्रतिशत
जून 78	54	47	87	19	19	100	—	—	—
जून 79	85	45	53	43	38	88	21	16	76
जून 80	57	—	—	50	—	—	32	—	—

इस समय 40 व्यक्ति प्रबोध, 50 व्यक्ति प्रवीण और 50 व्यक्ति प्राज्ञ में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रकार कुल 836 व्यक्तियों में से 108 व्यक्तियों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, 140 व्यक्ति प्रशिक्षण ले रहे हैं और 33 व्यक्ति जो प्रशिक्षित हो चुके हैं, परीक्षाफल की प्रतीक्षा में हैं।

राजभाषा नियम के नियम 11 के अंतर्गत प्रगति : कम्पनी के लेटर-हेड, लिफाफे, नामपट्ट तथा सूचनापट्ट द्विभाषी बना लिए गए हैं। कम्पनी के सभी वाहनों पर कम्पनी का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है। सामान्य मुद्राएँ द्विभाषी बना ली गई हैं। पर्याप्त संख्या में रबर-स्टाम्प हिंदी में बना लिए गए हैं। एक हिंदी टाइपराइटर खरीद लिया गया है और एक टाइपिस्ट की नियुक्ति कर ली गई है।

पत्र-व्यवहार : हिंदी में आए सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाता है। पत्र-व्यवहार और कार्यालय टिप्पणियों का विवरण निम्न है :—

वर्ष	हिंदी में उत्तर दिए गए पत्रों की संख्या	हिंदी में लिखे गए मूल पत्रों की संख्या	कार्यालय टिप्पणी
1977-78	30	34	32
1978-79	45	48	48
1979-80	61	58	115

अनुवाद : कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जाता है। 1977 से पूर्व इसे बाह्य अभिकरण

द्वारा कराया जाता था। हिंदी की प्रगति पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को द्विभाषिक रूप में समर्पित की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।

हिंदी के प्रसार के लिए अन्य कार्यकलाप :

(1) 18 जून 1980 को, जून 1980 के प्रबोध और प्रवीण के प्रमाणपत्रों के वितरण के लिए एक रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक/अभिकर्त्ता तथा अन्य दो व्यक्ति जिन्होंने परीक्षाएँ पास की थीं, भाषण दिए। प्रमाणपत्र प्राप्त-कर्त्ताओं के ग्रुप-फोटो तथा बी० जी० एम० एल० में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत फोटो लिए गए और उन्हें समाचार-बुलेटिन में प्रकाशित किया गया। इससे दूसरे लोग प्रशिक्षण पाने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय बाल-वर्ष और राजभाषा वर्ष मनाने के लिए 23 नवम्बर 1979 को एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सम्पूर्ण कार्यक्रम हिंदी में था और कोलार गोल्ड फील्ड में अपने ढंग का अनूठा था। इस कार्यक्रम में 50 बच्चों ने भाग लिया।

(3) सभी कार्यालयों को हिंदी शब्दकोष, कार्यालय सहायिका तथा केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् द्वारा भेजी गई शब्दावलियाँ दे दी गई हैं। द्विमासिक पत्रिका "हिंदी परिचय", साप्ताहिक "धर्मयुग" और दैनिक "नवभारत टाइम्स" खरीदे और वितरित किए जाते हैं।

(4) हिंदी में रुचि पैदा करने के लिए फील्ड पब्लिसिटी आफ़ीसर बंगलौर के सहयोग से हिंदी में डाकुमेण्टरी फिल्में दिखाई गईं।

(5) उन व्यक्तियों को जो विभिन्न हिंदी परीक्षाएँ पास करते हैं, जो हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं और हिंदी परीक्षाओं में विशेष योग्यताएँ प्राप्त करते हैं, उन्हें नकद पुरस्कार दिए जाते हैं और उन लोगों के फोटो जो उद्यम में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, कम्पनी के समाचार-बुलेटिन में छापे जाते हैं।

(6) प्रत्येक छः महीनों में दो हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अब तक 5 हिंदी निबंध प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं।

(7) कार्यकलाप में बृद्धि लाने के लिए और भी अधिक रुचि पैदा करने के लिए जुलाई 1980 में अनुवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेताओं को गणतंत्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर नक़द पुरस्कार बाँटे गए।

हमारी कम्पनी ने, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित है, हिंदी के प्रसार और प्रशिक्षण में काफी प्रगति की है और उसमें और भी सुधार के लिए लगातार ध्यान दिया जा रहा है। □ □ □ □

हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में हिंदी की प्रगति

—आर० के० चतुर्वेदी
सहायक हिंदी अधिकारी

हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड एक औषधीय (फार्मोस्यूटिकल) उपक्रम है और इसका मुख्य कार्यालय पिम्परी, पुणे, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार यह "ख" क्षेत्र के राज्य में है। इस उपक्रम के क्षेत्रीय विपणन कार्यालय मद्रास, बंगलौर, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ एवं नई दिल्ली में हैं।

यह उपक्रम "ख" क्षेत्र में स्थित होने के कारण स्थानीय मराठी भाषा को अंगीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के लिए सहज स्वीकार्य परिवेश बना रहा है। इस प्रकार उपक्रम में राजभाषा हिंदी की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने हेतु, उपक्रम के संगठनात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, प्रयास किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप, प्रबंध और कर्मचारियों के सहयोग से, हिंदी एक नए मोड़ की ओर अग्रसर हो रही है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

राजभाषा कार्यान्वयन समिति :

प्रारंभिक कदम के रूप में जनवरी 1978 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष, महाप्रबंधक, वित्त और प्रशासन हैं। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों का समावेश किया गया है और यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में तथा अधिकारी संघ के प्रतिनिधि के रूप में एक एक सदस्य का भी समावेश किया गया है। इस समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में होती है और समिति में हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने के साथ-साथ, हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उपाय भी सुझाए जाते हैं। इस समिति के विचार-विमर्श तथा निर्णयों के परिणाम-स्वरूप, कम्पनी में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग में काफी सहायता मिली है।

हिंदी अनुभाग का गठन:

हिंदी संबंधी आदेशों का सही ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन विभाग में हिंदी अनुभाग का गठन किया गया है। इस अनुभाग में सहायक हिंदी अधिकारी के अलावा एक हिंदी आशुलिपिक एवं एक हिंदी टंकक की नियुक्ति की गई है। हिंदी की प्रगति की देखरेख के लिए, चैक प्वाइंटस् की स्थापना की गई है तथा हिंदी के कार्य में समन्वय लाने के लिए विभागीय प्रतिनिधियों का नामांकन किया गया है। हिंदी अनुभाग प्रशासन विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र प्रकोष्ठ के रूप में काम करता है और राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने की दिशा में सुदृढ़ प्रयास करता है।

कर्मचारियों का हिंदी में प्रशिक्षण :

इस संस्थान में लगभग 70 प्रतिशत कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। जिन कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान नहीं है उनका एक रोस्टर तैयार किया गया है और उपक्रम के अंदर ही उन्हें हिंदी में प्रशिक्षित करने के लिए सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। इस सेवाकालीन शिक्षण के अधीन, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की तीनों कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। यह हार्दिक प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 1979 में हुई हिंदी की परीक्षाओं का परीक्षाफल शत प्रतिशत रहा है। 13 कर्मचारियों ने हिंदी की निर्धारित परीक्षाएँ पास की हैं। इस शिक्षण योजना का तीसरा सत्र जुलाई 1980 से आरंभ किया गया और इसमें 49 कर्मचारियों का नामांकन किया गया जो इस समय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। इस शिक्षण के अधीन परीक्षा में बैठने वाले कर्मचारियों का परीक्षा शुल्क, उपक्रम स्वयं वहन करता है। हिंदी टाइपलेखन के प्रशिक्षण हेतु, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए, 9 आशुलिपिकों एवं टंकलेखकों की सूची रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी गई है।

प्रोत्साहन योजना :

कर्मचारियों की हिंदी में अभिरुचि पैदा करने के लिए केंद्रीय सरकार की प्रोत्साहन योजना के आधार पर एक आकर्षक प्रोत्साहन योजना बनाई गई है, जिसमें निर्धारित परीक्षा पास करने पर कर्मचारियों को एक इनक्रीमेंट के बराबर 12 माह के लिए वैयक्तिक भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। इस योजना को अब और अधिक उदार बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो अधिकारी केवल विशेषक अंक (क्वालिफाइंग पास मार्क्स) प्राप्त कर; निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उन्हें भी 12 माह के लिए व्यैक्तिक भत्ता दिया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, कर्मचारियों के लिए, हिंदी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहने हेतु, एक प्रोत्साहन योजना और बनाई गई है जिसके अधीन **यदि प्रशिक्षणार्थी निर्धारित परीक्षा की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति रखते हुए उत्तीर्ण होता है तो वह 100 रु० नक़द पुरस्कार पाने का हक़दार होता है।**

यह योजना कर्मचारियों को कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहने की दृष्टि से बनाई गई है जो अपने आप में अद्वितीय है। इसके फलस्वरूप इस वर्ष कक्षाओं में उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है।

हिंदी में पत्र-व्यवहार के लिए नक़द पुरस्कार योजना :

इस आशा के साथ कि कर्मचारियों में हिंदी के प्रति अधिक अभिरुचि पैदा हो और कर्मचारी अपने टिप्पण और आलेखन में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, एक नकद पुरस्कार योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो कर्मचारी वर्ष भर में निर्धारित मात्रा से अधिक हिंदी के शब्द लिखेगा वह इस योजना का पात्र समझा जाएगा। इस योजना के अधीन 100 रु० के 2 पुरस्कार, 50 रु० के 3 पुरस्कार तथा 25 रु० की दर से 10 सांत्वना पुरस्कार प्रतियोगियों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो मूल्यांकन समिति के निर्णय के आधार पर दिए जाएँगे।

हिंदी अनुवाद कार्य :

कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले फार्म जैसे पेशगी का फार्म, छात्रवृत्ति का फार्म, आवेदन पत्र का फार्म आदि हिंदी में अनुदित कर द्विभाषिक रूप में जारी किए गए हैं। कुछ अन्य फार्मों को शीघ्र ही हिंदी में अनुवाद कर जारी किया जा रहा है। उपक्रम का पत्र शीर्ष हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापा गया है। लिफाफों और फाइल कवरों को द्विभाषिक रूप में छापने हेतु आर्डर भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त कम्पनी में अधिकांश परिपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। कम्पनी का स्थाई आदेश भी हिंदी में अनूदित किया गया है और इसे प्रिंट करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा उपक्रम का "सुरक्षा बुलेटिन" भी हिंदी में अनूदित हो गया है और शीघ्र ही प्रकाशित किया जाने वाला है। "एच० ए० न्यूज" गृह पत्रिका में भी अंग्रेजी के साथ-साथ कुछ पृष्ठ हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है।

सहायक और संदर्भ साहित्य :

इस उपक्रम का कार्यस्वरूप तथा प्रकार एवं कार्यप्रणाली अन्य विभागों और मंत्रालयों से काफी भिन्न है। इसलिए यहाँ के कामकाज में हिंदी के प्रयोग की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कम्पनी के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने में सहायता करने की दृष्टि से विशिष्ट संदर्भ के रूप

में प्रशासन शब्दावली को साइक्लोस्टाइल कर सभी विभागों में वितरित किया गया है। इसके अलावा "कार्यालय सहायिका" नामक हिंदी पुस्तक की प्रतियाँ भी विभागों में वितरित की गई हैं।

राजभाषा वर्ष के उपलक्ष्य में कर्मचारियों और उनके परिवारों को हिंदी पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ पढ़ने हेतु उनकी खरीद के लिए कम्पनी की कालोनी में स्थित मनोरंजन क्लब को आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय बालवर्ष के उपलक्ष्य में उपक्रम की कालोनी में रहने वाले बच्चों के लिए काफी संख्या में हिंदी बाल-साहित्य खरीद कर बाल-पुस्तकालय को दिया गया।

रबड़ की मोहरें एवं नामपट्ट :

विभिन्न विभागों से संबंधित अत्यधिक उपयोग में आने वाली कुल 72 रबर मोहरों को द्विभाषिक रूप में बनवाया गया है। अधिकारियों एवं विभागों के नामपट्ट भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाए गए हैं। अभी तक कुल 114 द्विभाषिक नामपट्ट एवं साइनबोर्ड तैयार किए जा चुके हैं। इसके अलावा कम्पनी के मुख्य द्वार पर बाहरी आगंतुकों के मार्ग-दर्शन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सूचना पट्ट बनाए गए हैं।

दवाइयों के पैकटों पर हिंदी में विवरण :

यह निर्णय लिया जा चुका है कि दवाइयों के बड़े पैकटों पर दवाई का नाम एवं विवरण द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाएँ। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई है और शीघ्र ही कंपनी के उत्पादों के पैकटों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उल्लेख किया जाएगा।

कम्पनी के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग :

हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाता है तथा प्रैस रिलीजें एवं विज्ञापनों आदि को भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यथासंभव जारी किया जाता है। उपक्रम के प्रशिक्षण केंद्र में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कुछ एक प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से दिए जाते हैं। कर्मचारियों की सर्विस-बुकों एवं निजी फाइलों के ऊपरी पृष्ठ पर कर्मचारी का नाम, पदनाम आदि हिंदी में भी लिखा जाता है। "क" और "ख" क्षेत्रों को भेजे जाने वाले चैकों को हिंदी में तैयार करने के संबंध में शीघ्र ही कदम उठाए जा रहे हैं। इस समय उपक्रम में 4 हिंदी के टाइपराइटर हैं और हिंदी की प्रगति को देखते हुए, इनकी आवश्यकता पड़ने पर और खरीद की जाएगी। हिंदी की तिमाही और छमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जाती हैं।

बैंक ऑफ इंडिया, अहमदाबाद में हिंदी की प्रगति

----एन० सी० नवीन

भारत सरकार ने राजभाषा के प्रयोग संबंधी कार्य को प्रभावशाली रूप देने के लिए, मंत्रालयों के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक संस्थानों में भी हिंदी संबंधी आदेशों को कार्यान्वित करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 बनने के पश्चात् लागू किए गए।

इससे पहले ऐसी धारणा बनी हुई थी कि बैंकों में हिंदी का कार्यान्वयन असंभव नहीं लेकिन कठिन अवश्य है। यह बात तब निराधार हो गई जब राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हिंदी में भी कार्य करना प्रारम्भ कर दिया तथा भारत सरकार ने बैंकों को हिंदी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में स्वतंत्र कर दिया। बैंकों ने भारत सरकार की प्रोत्साहन-नीति के समानान्तर ही प्रोत्साहन नीति बनाई।

भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कर्मचारियों को एक अग्रिम वेतन वृद्धि प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में दी जाती है लेकिन बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग से प्रोत्साहन योजना तैयार की जो सभी राष्ट्रीकृत बैंकों में लागू है। हिंदी में उच्च परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 250/- रु० तथा हिंदी टंकण और आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 500/- रु० प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में भुगतान करने की योजना बनाई गई। इसी हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के गुजरात क्षेत्र में जून, 1980 तक लगभग 80 व्यक्तियों को इस प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है जबकि गुजरात अहिंदी भाषी क्षेत्र है और 'ख' क्षेत्र में स्थित है।

बैंक आफ इंडिया के गुजरात क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जून, 1979 से मई, 1980 तक हिंदी की तीन कार्यशालाएँ चलाई गईं जिनमें लगभग 60 अधिकारियों को हिंदी में टिप्पण और प्रारूप लेखन का अभ्यास कराया गया। ये कार्यशालाएँ गुजरात क्षेत्र के तीन स्थानों पर चलाई गईं। पहली कार्यशाला अहमदाबाद में लगाई गई, दूसरी बड़ौदा में तथा तीसरी राजकोट में। इस प्रकार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में बैंक आफ इंडिया सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। प्रधान कार्यालय से प्रायः अधिकतर सामान्य आदेश और परिपत्र द्विभाषिक रूप में ही जारी किए जाते हैं। यहाँ तक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक पत्र-व्यवहार भी हिंदी में ही किया जाए। यद्यपि यहाँ गुजराती भाषा-भाषी व्यक्तियों से हमारा कार्य रहता है, फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कि सामान्य पत्राचार भी यथासंभव हिंदी में ही किया जाए।

□ □ □

स मा चा र :

एक संसद प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि :

केंद्रीय सरकार के नीचे लिखे 20 मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियाँ गठित की गई हैं :—

(1) रेल मंत्रालय (2) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (3) निर्माण, आवास, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (4) वित्त मंत्रालय (5) इस्पात और खान मंत्रालय (6) विदेश मंत्रालय (केंद्रीय हिंदी समिति की उप समिति) (7) ऊर्जा मंत्रालय (8) गृह मंत्रालय (9) उद्योग मंत्रालय (10) वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय (11) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (12) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (13) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (14) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (15) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (16) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (17) डाक तार विभाग (18) रक्षा मंत्रालय (19) श्रम मंत्रालय (20) पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में ये समितियाँ लगभग 15 वर्षों से गठित और पुनर्गठित की जाती रही हैं। इन समितियों का काम संबंधित मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में परामर्श देना है और वे केवल सिफारिशें ही करती हैं। इन सिफारिशों पर विचार करके संबंधित मंत्रालय स्वयं यथोचित कार्रवाई करते हैं। सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों से यह कहा है कि वे इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से हर तीन महीने में एक बार अवश्य बुलाएँ।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि :

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976, के नियम 8(I) में यह व्यवस्था है कि कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।

सरकार की यह सुविचारित नीति है कि संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। तथापि इस उद्देश्य की पूर्ति समुचित प्रोत्साहन के माध्यम से स्वेच्छा द्वारा ही किए जाने का निर्णय है। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(1) संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में आवश्यक समन्वय करने के लिए एक पृथक राजभाषा विभाग का गठन किया गया है।

(2) केंद्रीय सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी, हिंदी आशुलिपि और हिंदी टाइपिंग का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए राजभाषा विभाग के अधीन हिंदी शिक्षण योजना के माध्यम से आवश्यक व्यवस्था की गई है। इस योजना के अधीन देश भर में लगभग 150 प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाते हैं।

(3) हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएँ प्रोत्साहन और नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

(4) केंद्रीय सरकार की सेवा में भर्त्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं में, वैकल्पिक माध्यम के रूप में, हिंदी के प्रयोग की अनुमति दी गई है।

(5) केंद्रीय सरकार के सरकारी कामकाज़ में हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर प्रगति लाने के लिए हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है और सभी मंत्रालयों/विभागों से उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है।

(6) हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में सरकार को आवश्यक सलाह और दिशा निर्देश देने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक केंद्रीय हिंदी समिति और विभिन्न मंत्रालयों में उनके मंत्रियों की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की गई हैं।

(7) अपने दिन-प्रतिदिन के काम में हिंदी का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में एक नकद पुरस्कार योजना लागू की गई है।

(8) सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए समय-समय पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

(9) सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की सुविधा की दृष्टि से कर्मचारियों को हिंदी में आवश्यक संदर्भ साहित्य उपलब्ध कराया जाता है।

महालेखाकार, आंध्र प्रदेश के कार्यालय में हिंदी समारोह :

हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए महालेखाकार आंध्र प्रदेश (द्वितीय) के कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में महालेखाकार प्रथम और द्वितीय के कार्यालयों के स्टाफ के लिए 28-4-1980 को हिंदी में "टिप्पण और प्रारूपण" तथा "निबंध" प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। 19-6-1980 को महालेखाकार श्री सौंदरराजन की अध्यक्षता में हिंदी में वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विषय था : "भारत की विभिन्न भाषाएँ—अभिशाप या वरदान ?" प्रमुख अतिथि के रूप में प्रोफेसर श्रीराम शर्मा (हिंदी विभाग, उ० वि०) पधारे थे। डॉ० रामकुमार खंडेलवाल, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, तथा श्री बी० एस० मिश्र, सहायक निदेशक, हिंदी शि० यो०, हैदराबाद, को आमंत्रित किया गया था।

हिंदी में दिए गए अपने स्वागत भाषण के दौरान महालेखाकार महोदय ने कहा कि भारत में कोई चीज किसी पर थोपी नहीं जाती। धर्म, पंथ, रोज़गार, रहने का स्थान, खान-पान आदि की तरह भाषा का भी स्वातंत्र्य है। लेकिन हर स्वातंत्र्य के कुछ नियम भी होते हैं, उसी तरह भारतीय संविधान के नियम भी हैं जिनके अनुसार हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है, और भारतीय होने के नाते हर कर्मचारी का यह फर्ज है कि वह संविधान का आदर करे और राजभाषा हिंदी का आदर करे।

श्री नरहरदेव ने प्रमुख अतिथि तथा आमंत्रितों का परिचय दिया। परिचय के उपरांत उप-महालेखाकार श्री जे० एम० आर० माराक ने पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित किए तथा निम्न विजेताओं को डॉ० खंडेलवाल जी के करकमलों द्वारा पुरस्कार दिए गए :

1. **टिप्पण और प्रारूपण प्रतियोगिता**

श्री के० चि० आठवले	प्रथम पुरस्कार
श्री मोहन चौसालकर	द्वितीय पुरस्कार

2. **निबंध लेखन प्रतियोगिता**

भानुदास भोगे	प्रथम पुरस्कार
श्री जी० डी० वी० अप्पाराव	द्वितीय पुरस्कार
श्री शिवशंकर	विशेष पुरस्कार

3. **वक्तृत्व प्रतियोगिता**

श्री गो० वि० बोड़कर	प्रथम पुरस्कार
श्री कस्तूरचंद मा० जावक	द्वितीय पुरस्कार

इसके बाद प्रोफेसर शर्मा जी ने अपने विचार प्रकट किए। आपने कहा कि, वर्तमान स्थिति को स्वीकारते हुए हमें चाहिए कि भाषाओं के आधार पर वैमनस्य निर्माण करने वाले, स्वार्थी लोगों के बहकावे में न आकर, भारतवर्ष की सामासिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए हमें भाषा के मामले में आत्म-निर्भर होना चाहिए। भाषा के नाम पर आपसी झगड़े लगाकर एक विदेशी भाषा हमारी भाषाओं की छवि धूमिल बना रही है। कहीं ऐसा न हो कि हम आपसी झगड़ों में व्यस्त रहते-रहते भाषा के बारे में पूरी तरह से गुलाम बन बैठें।

प्रमुख अतिथि के भाषण के बाद श्री बी० एस० मिश्र, सहायक निदेशक हिंदी शिक्षण योजना तथा डॉ० खंडेलवालजी ने अपने विचार प्रकट किए। अंत में वाणिज्यिक निरीक्षण प्रभाग के वरिष्ठ उप-महालेखाकार श्री राजेश्वर प्रसाद ने धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया।

डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हिंदी :

डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में राजभाषा-कार्यान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत 21-6-1980 को हिंदी टाइप प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। इसका उद्घाटन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ० पु० वि० मजूमदार ने किया। इस अवसर पर विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों सहित अनेक कर्मचारी-अधिकारी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं हिंदी अधिकारी ने इस प्रशिक्षण की आवश्यकता, उपयोगिता और इसकी व्यवस्था आदि के संबंध में प्रकाश डाला। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रतिनिधि श्री बहादुर सिंह बोरा ने प्रशिक्षार्थियों के व्यक्तिगत रूप से परीक्षा में बैठने के संबंध में हिंदी टाइप सीखने पर मिलने वाले लाभों की चर्चा की।

चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने अपने संक्षिप्त उद्घाटन-भाषण में इस कार्यक्रम के आरम्भ होने पर संतोष व्यक्त किया एवं प्रशिक्षार्थियों को सफलता का आशीर्वाद देते हुए यह कामना की कि वे हिंदी टाइप अच्छी तरह सीखकर अपने-अपने अनुभागों में हिंदी टाइप का काम जल्दी ही सँभालेंगे।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, की सेंट्रल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक :

बी० एच० ई० एल० की दिल्ली स्थित यूनिटों हेतु केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तारीख 12-5-80 को हुई। मनोनीत अध्यक्ष श्री सुरेश द्विवेदी, कार्मिक प्रबंधक ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यतः गत बैठक की कार्रवाई की पुष्टि के पश्चात् त्रैमासिक रिपोर्टों, द्विभाषिक फार्मों, नामपट्टों, हिंदी संबंधी स्टाफ की नियुक्ति, हिंदी कक्षाओं और कार्यशालाओं के आयोजन आदि विषयों पर विचार किया गया।

उपस्थिति रजिस्टर हिंदी में रखने के संबंध में अधिकांश सदस्यों ने बताया कि उनके यहाँ यह काम हो रहा है जहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ इस कार्य की समीक्षा के लिए बनाई गई उपसमिति से निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया। उप समिति बनाने का आदेश जारी करने का निश्चय भी किया गया।

यह निश्चय किया गया कि सभी प्रकार के सांविधिक फार्म एकत्र करके केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से इनके तत्काल अनुवाद कराने की व्यवस्था की जाए। सभी यूनिटें हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करें तथा अपने यहाँ से कमचारियों को हिंदी कक्षाओं में भेजें। यह भी निश्चय किया गया कि एक प्रोफोर्मा तैयार किया जाए जिससे पता लग सके कि कौन कर्मचारी कक्षाओं में जा रहा है, कौन नहीं। यह निश्चय किया गया कि अलग-अलग भवनों में हिंदी का ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की कार्यशालाएँ 12 से 15 की संख्या में लगाई जाएँ। ये कार्यशालाएँ 5 दिन की होंगी तथा एक-एक घंटे चलेंगी।

इसी तरह 19-7-80 की बैठक में विभिन्न यूनिटों के पुस्तकालयों द्वारा खरीद के लिए हिंदी पुस्तकों की एक प्रारंभिक समेकित सूची तैयार करने का निश्चय किया गया जिसके आधार पर सभी यूनिटें अपने यहाँ हिंदी पुस्तकें मँगाएँगी।

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, विशाखापट्टणम् में हिंदी का शिक्षण :

निगम के इस मंडलीय कार्यालय में कर्मचारियों को हिंदी का शिक्षण देने के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत "प्रबोध" की कक्षा आरंभ की गई जिसमें 25 प्रशिक्षार्थियों को नामित किया गया। इस अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता मंडलीय कार्यालय के महाप्रबंधक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री के० पी० राव ने की। संयुक्त प्रभागीय प्रबंधक (प्रशासन) श्री एन० सी० जोशी तथा हिंदी प्राध्यापक श्री पी० एस० राठौर, श्रीमती विशालाक्षी और श्रीमती पी० सत्यवती इसमें उपस्थित थे।

श्री राव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सरकार की भाषा-नीति के अनुसार मंडली कार्यालय में ये कक्षाएँ प्रारंभ की जा रही हैं ताकि कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर सकें। आगे उन्होंने कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें और अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करें।

हिंदी प्राध्यापक श्री राठोर ने अंग्रेजी और हिंदी के कई शब्दों का विश्लेषण करते हुए उदाहरणपूर्वक समझाया कि किस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी की तुलना में सीखने में सरल और सुबोध है। श्री वे० शेष गिरिराव, कार्यालय प्रबंधक (हिंदी) ने सरकार की भाषा-नीति संबंधी मुख्य आदेशों, और प्रशिक्षण से संबंधित मुख्यालय के आदेशों की जानकारी दी।

महालेखाकार, केरल, तिरुअनंतपुरम् के कार्यालय में "हिंदी दिवस"

यह कार्यक्रम 10 जुलाई 1980 को श्री डी० शिवराम-कृष्णन, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। श्री जी० वी० कामत, लेखा अधिकारी (प्रशासन) ने सभी का स्वागत किया। सर्वश्री पी० के० अप्पुकुट्टन और सय्यद अजीसान साहब, लेखापरीक्षक ने भाषण दिए। अपने भाषण में श्री पी० के० अप्पुकुट्टन ने हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की। श्री अजीसान साहब ने सरकारी काम के लिए हिंदी का प्रयोग करने का तरीका, इस संबंध में अनुभव होने वाली कठिनाइयाँ, उनका सामना करने के उपाय और सरकारी काम में हिंदी का प्रयोग करने की दिशा में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं आदि पर प्रकाश डाला। अपने भाषण में वरिष्ठ उपमहा-लेखाकार (प्रशासन) ने श्री अप्पुकुट्टन और श्री अजीसान के भाषणों का विश्लेषण करते हुए उनके सुझावों का स्वागत किया। समारोह में उपस्थित हुए सभी लोगों से उन्होंने अपील की कि वे अपने सरकारी काम में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। इस अवसर पर हिंदी शिक्षण योजना के अधीन परीक्षाओं में विजयी हुए कर्मचारियों को वरिष्ठ उप महालेखाकार ने प्रमाण पत्र वितरित किए।

हिंदी कार्यशाला का आयोजन :

नागर विमानन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बम्बई में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन 19-5-80 से 28-5-80 तक होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सेंटौर होटल बंबई एयरपोर्ट में किया गया।

दिनांक 19-5-80 को कार्यशाला का विधिवत् उद्घाटन हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और फिल्म लेखक श्री कमलेश्वर ने किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सुपरिचित लेखक और भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य राजभाषा अधिकारी डॉ० शंकर शेष ने की। अपने भाषण में जहाँ श्री कमलेश्वर ने हिंदी की सामासिक प्रकृति की चर्चा की वहीं डॉ० शेष ने उसके सभी प्रकार के सरकारी कामकाज में सक्षम होने का उल्लेख किया। क्षेत्रीय निदेशक श्री सुखमय मजुमदार के अचानक दौरे पर दिल्ली चले जाने के कारण नियंत्रक (वैमानिक निरीक्षण) श्री एम० एम० चावला ने अतिथियों का स्वागत किया और डॉ० वीरेन्द्र सक्सेना, हिंदी अधिकारी ने सभी अभ्यागतों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर महानिदेशक, नागर विमानन कार्यालय, नई दिल्ली के विशेष रूप से आमंत्रित हिंदी अधिकारी श्री कृष्ण कुमार शर्मा भी उपस्थित थे। उन्होंने नागर विमानन विभाग में राजभाषा संबंधी कार्य की प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया।

बाद में दिनांक 20-5-80 से 28-5-80 तक कुल मिलाकर 18 घंटे राजभाषा कार्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर सुयोग्य अधिकारियों द्वारा व्याख्यान आयोजित किए गए और भाग लेने वालों से अभ्यास कराए गए। व्याख्यान देने वालों में महानिदेशक नागर विमानन कार्यालय, नई दिल्ली के श्री कृष्ण कुमार शर्मा, सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालय, बम्बई के डॉ० नवल किशोर शर्मा, आकाशवाणी कार्यालय बम्बई के श्री निरंकार नारायण सक्सेना, एअर इंडिया कार्यालय

हिंदी कार्यशाला के उद्घाटन का दृश्य

बम्बई की कु० प्रमिला भटनागर और क्षेत्रीय निदेशक नागर विमानन कार्यालय बम्बई के डॉ० वीरेन्द्र सक्सेना आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुल मिलाकर कार्यशाला में नागर विमानन विभाग बम्बई के लगभग 17 अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से लाभान्वित हुए।

आयकर विभाग लखनऊ की ओर से राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए किए गए उपाय :

लखनऊ के आयकर आयुक्त श्री धरनी धर की अध्यक्षता में नगर राजभाषा समिति की एक विशाल बैठक 14 जुलाई को हुई जिसमें राजभाषा विभाग के सचिव श्री जयनारायण तिवारी ने मुख्य अतिथि के रूप में सभी केन्द्रीय कार्यालयों, बैंकों, उद्यमों एवं निगमों के प्रधान अधिकारियों को हिंदी के कार्यान्वयन के विविध पक्षों पर संबोधित किया एवं राजभाषा नीति के अंतर्गत हिंदी का राजकाज में प्रयोग बढ़ाने के लिए सदस्यों से विचार विमर्श किया।

बैठक के दूसरे चरण में हिंदी प्रसार को बल देने के आशय से सभी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि श्री जयनारायण तिवारी, ने आयकर विभाग के उन कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रशंसापत्र वितरित किए, जिन्हें विभाग ने वर्ष 1979-80 में सरकारी लिखा-पढ़ी में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग करने के लिए पुरस्कृत एवं प्रशंसित किया था।

बैठक के तीसरे चरण में इस समारोह के अवसर पर एक रोचक कवि सम्मेलन किया गया जिसमें स्थानीय गीतकार एवं कवियों ने अत्यन्त भाव पूर्ण एवं सुन्दर कविताएँ पढ़ीं। हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए आयकर विभाग ने अपने बरेली एवं मुरादाबाद रेंज के मुख्यालयों के कर्मचारियों को नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए हिंदी कार्यशालाएँ चलाईं।

एच०एम०टी० में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन :

14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने के क्रम में एच० एम० टी० सामूहिक प्रधान कार्यालय, बंगलौर की ओर से एक हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था "सिनेमा के गुण एवं दोष" और उसके लिए निम्नलिखित नगद पुरस्कार रखे गए थे :—

1. प्रथम पुरस्कार	100/-	रुपए
2. द्वितीय पुरस्कार	75/-	,,
3. तृतीय पुरस्कार	50/-	,,
4. पाँच सांत्वना पुरस्कार	प्रत्येक 25/-	,,

सेंटौर होटल, बम्बई में आयोजित हिंदी कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी

उक्त हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता में कंपनी के अधिकांश कर्मचारियों ने भाग लेकर अपने विचार हिंदी में व्यक्त किए। 15 सितम्बर 1980 को कंपनी में हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजिन भी किया गया था जिसके अंतर्गत हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता के समस्त सफल प्रतियोगिओं तथा हिंदी प्रबोध, प्रवीण परीक्षाओं में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण समस्त कर्मचारियों को नक़द पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त हिंदी प्रबोध, प्रवीण परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले समस्त कर्मचारियों को उनके संदर्भ हेतु हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोशों का एक-एक सेट कंपनी को ओर से उन्हें मुफ्त में दिया गया। इस प्रकार के समस्त पुरस्कारों का वितरण श्री बी० रामचंद्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एच० एम० टी० लिमिटेड, द्वारा किया गया।

हिंदी दिवस के अवसर पर कंपनी के अंतर्गत हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति से संबंधित "हिंदी प्रदर्शनी" का आयोजन भी किया गया था जिसके अंतर्गत कंपनी की ओर से आम जनता के सूचनार्थ हिंदी में प्रकाशित किए गए उत्पादन पत्रक, विज्ञापनों, मैनुअलों, कीमत सूची, लीफलेटों इत्यादि को इस उद्देश्य से प्रदर्शित किया गया था कि अधिकांश कर्मचारी हिंदी के प्रति जागरूक हो सकें।

हिंदी-अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कंपनी के अन्य यूनिटों में भी हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी लेख, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर कर्मचारियों को नक़द पुरस्कार, और पुस्तकें प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।

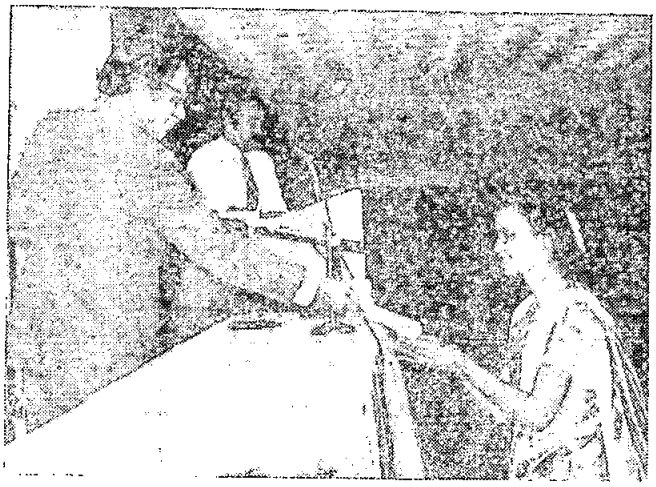

हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता सुश्री एफ० बदरुज्जमा को पुरस्कार देते हुए श्री बी० रामचंद्र

पुरस्कार वितरण समारोह :

महालेखाकार, जम्मू और काश्मीर, श्रीनगर के कार्यालय में दिनांक 5-1-1980 को राजभाषा वर्ष समारोह समिति ने राजभाषा वर्ष का समापन समारोह, कालेज आफ एजूकेशन, श्रीनगर के आडिटोरियम में आयोजित किया। इस समारोह की अध्यक्षता रेडियो कश्मीर, श्रीनगर के निदेशक श्री के० के० नैयर ने की। दूर दर्शन केन्द्र श्रीनगर, डाक-तार विभाग, गीत और नाट्य प्रभाग आदि ने समारोह में भाग लिया और कार्यालय के मनोरंजन क्लब के साथ एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। श्री नयर ने वाद-विवाद तथा निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार में पुस्तकें प्रदान कीं। इसके अतिरिक्त श्री सुभाष प्रेमी सुमन, श्री भारत भूषण तथा श्री बालकृष्ण संयासी को राजभाषा वर्ष के दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए शील्डें प्रदान की गईं।

संगठन और प्रबंध सेवा निदेशालय (आयकर) में हिंदी कार्यशाला का आयोजन :

इस निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौदहवीं तिमाही बैठक के निर्णय के अनुपालन में अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देने के लिए चौथी हिन्दी कार्यशाला निदेशालय के मुख्यालय में तारीख 15-9-80 से 20-9-80 तक चलाई गई जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रत्येक दिन निर्धारित विषय पर भाषण के साथ-साथ व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया जिसका उद्घाटन निदेशालय के निदेशक, श्री अविनाश चन्द्र जैन, ने किया। इसमें श्री राजमणि तिवारी, संपादक, "राजभाषा भारती", राजभाषा विभाग श्री श्याम चन्द्र प्रसाद, हिंदी अधिकारी, निरीक्षण निदेशालय (गवेषणा, सांख्यिकी और प्रकाशन), श्री पूर्णानन्द जोशी, हिंदी अधिकारी, राजस्व-विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री ओम प्रकाश वर्मा, हिंदी अधिकारी, आकाशवाणी आदि ने मार्गदर्शन किया। कार्यशाला समापन समारोह श्री गोविन्द मिश्र, राजभाषा अधिकारी द्वारा सम्पन्न किया गया। कार्यशाला की समाप्ति पर हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

14 सितम्बर, 1980—हिंदी दिवस समारोह :

14 सितंबर को देश के विभिन्न भागों में हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा कि अंग्रेजी भारतीय भाषाओं की दुश्मन है क्योंकि वह उनके विकास में आड़े आ रही है। उन्होंने कहा कि तमिल, कन्नड़ और मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को अपने विकास के लिए अंग्रेजी के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। हिंदी उनके विकास में कत्तई बाधक नहीं है। वह तो मेलजोल और सौहार्द की भाषा है। उसे लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने होंगे।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय एकता और समस्त भारतीय भाषाओं के हित में यह आवश्यक है कि राष्ट्र भाषा के प्रश्न को राजनीति से अलग रखा जाए। वास्तव में हिंदी का किसी भी भारतीय भाषा से झगड़ा नहीं है। हिंदी का झगड़ा तो केवल अंग्रेजी से है।

(15-9-80 के दैनिक आज से साभार)

राष्ट्रीयता का प्रतीक—हिंदी :

पूर्वोत्तर रेलवे हिंदी समिति लखनऊ के तत्वाधान में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन अशोक मार्ग स्थित मंडल कार्यालय में 15-9-80 को किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के भूतपूर्व महामंत्री श्री रामेश्वर दयाल दूबे ने कहा कि भाषा का प्रश्न राष्ट्र की संकल्पना के साथ जुड़ा हुआ है। भाषा की समस्या तभी पैदा होती है जब एक देश, एक राष्ट्र के चित्र तथा उसकी कल्पना का अभाव होता है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी भारतीयता तथा राष्ट्र के प्रति अनुराग का प्रतीक है। इसे जनमानस की ममता से जोड़ने की आवश्यकता है। भूतपूर्व न्यायाधीश एवं राजभाषा विधायी आयोग के सदस्य डॉ० मोती बाबू ने कहा कि अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में लिखने की प्रवृत्ति से हिंदी मात्र अनुवाद की भाषा बनी रहेगी। विषय के अनुकूल भाषा को बनाने के लिए मौलिक चिंतन की आवश्यकता है। श्री गंगा प्रसाद मिश्र का मत था कि गुलामी की मनोवृत्ति से छुटकारा पाकर हिंदी के प्रयोग की दिशा में स्वतः स्फूर्त भावना विकसित करनी होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के भूतपूर्व मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री कृष्ण मोहन मल्ल ने मत व्यक्त किया कि सरकारी कामों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है। श्री शिव सिंह 'सरोज' ने कहा कि उन्नत भाषा के पीछे विचार की शक्ति होनी चाहिए। हिंदी के पीछे एक विचार है एक दर्शन है। श्री मुकुल चन्द पाण्डे ने हिंदी दिवस को राजभाषा दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया।

इसके पूव मंडल रेल, प्रबंधक श्री एल० एम० भास्कर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने पर बल दिया। कार्यक्रम का आरम्भ कु० प्रीतिसेन गुप्ता तथा कु० गीता घोष द्वारा महाकवि निराला रचित सरस्वती बंदना से हुआ। राष्ट्रभाषा बंदना श्री रवि सारस्वत ने की। मंडल राजभाषा अधिकारी श्री ए० के० दास ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक हिंदी अधिकारी श्री कामता प्रसाद अवस्थी और संयोजन हिंदी अधीक्षक श्री जगपति शरण निगम ने किया।

हिंदी "मेरी भाषा" के स्थान पर "हमारी भाषा" बने :

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय, एसिक भवन, लोअर परेल, बम्बई-13 में हिंदी दिवस का आयोजन हुआ। प्रथम चरण में, 14 सितम्बर को अवकाश होने के कारण, 15 सितंबर को "एसिक भवन" लोअर परेल और "एसिक बिल्डिंग" कोलाबा में प्रातः दस बजे से सभी कर्मचारियों को हिंदी दिवस का बिल्ला लगाया गया। सभी से सरकारी काम-काज हिंदी में ही करने का आग्रह किया गया। द्वितीय चरण में, 16 सितम्बर 80 को दिन में दो बजे से क्षेत्रीय निदेशक श्री विश्वनाथ कोल की अध्यक्षता में लोअर परेल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय प्रांगण में एक साहित्यिक/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कु० चित्रा मुर्डेश्वर, कु० मंगला नायक, कु० प्रमोदिनी अमृते, और कु० अलका मोरजकर के स्वर में "हमको मन की शक्ति देना" वंदना—गीत से हुआ। प्रमुख अतिथि के रूप में हिंदी/मराठी रंगमंच की प्रख्यात कलाकार श्रीमती सुलभा देशपांडे और साप्ताहिक ब्लिट्ज (हिंदी) के संपादक श्री नंदकिशोर नौटियाल उपस्थित थे।

श्रीमती सुलभा देशपांडे ने हिंदी को एक सक्षम भाषा बताते हुए कहा कि हमारा देश विविधता भरा एवं बहुभाषी देश है। फिर भी समस्त भाषाओं में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी क्षेत्रीय भाषाओं में समन्वय स्थापित करती है, चाहे वह मराठी या बंगाली या किसी अन्य स्टाइल से उच्चारित हिंदी हो। हिंदी से विदेशों में काम नहीं चल सकता इस तथ्य का निराकरण करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सोवियत संघ की यात्रा के दौरान हिंदी ने ही उनकी भाषा समस्या को सुलझाया। हिंदी के कारण उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हिंदी किसी स्थान या वर्ग विशेष की भाषा नहीं है यह तो समस्त भारत की भाषा है। हिंदी को "मेरी भाषा" की जगह "हमारी भाषा" बनाने पर उन्होंने बल दिया।

दिल्ली

केनरा बैंक ने अपने दिल्ली अंचल कार्यालय में यूनियन बैंक आफ इंडिया के साथ मिलकर 17 से 20 नवम्बर, 1980 को तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में दोनों बैंकों की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों से लगभग 40 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार श्री जयनारायण तिवारी ने किया। दोनों बैंकों के तथा बैंकिंग प्रभाग के निदेशक सर्वश्री श्री अशोक नारायण एवं वी० के० ढल्ल भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। केनरा बैंक के संयुक्त महाप्रबंधक श्री बी० रत्नाकर ने अध्यक्ष महोदय, अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि बैंक व्यापारिक संस्था है और हमारा सबसे ज्यादा वास्ता जनता से पड़ता है अतः बेहतर है कि जनता से जनता की भाषा में व्यवहार किया जाए। सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में और अपना व्यापार बढ़ाने, उत्तम ग्राहक सेवा देने के लिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसके लिए अधिकारियों को, क्योंकि हमारे अधिकांश अधिकारी गण दक्षिण भारत से आते हैं, कार्यात्मक हिंदी का ज्ञान देने के लिए इन कार्यशालाओं का बहुत महत्व है और इनकी बहुत आवश्यकता है।

श्री तिवारी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी का प्रयोग करने की तथा शुरू में उसमें होने वाली दिक्कतों से न घबराने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हिंदी लिखने में जो दिक्कतें आती हैं कुछ समय निरंतर प्रयोग के बाद वे अपने आप दूर होती जाती हैं। आगे श्री तिवारी ने अनुवाद का सहारा लेने की बजाय मूल रूप से हिंदी में लिखने की प्रेरणा दी क्योंकि अनुवादित भाषा में उस भाषा की वह ताजगी व रवानी नहीं आ पाती जो कि उसी भाषा में मूल रूप से लिखने में खुद-ब-खुद आती है।

केनरा बैंक में हिंदी कार्यशाला का समारंभ करते राजभाषा सचिव श्री जयनारायण तिवारी।

आदेश-अनुदेश

संख्या ई० 12018/1/79-रा० भा० (ई)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 22 सितम्बर 1980

कार्यालय ज्ञापन

विषय : प्रवीण, प्राज्ञ, एवं हिंदी टंकण और आशुलिपि परीक्षाओं से संबंधित काम का शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अपने हाथ में लेना

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह निर्णय किया गया है कि प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण तथा आशुलिपि की परीक्षाएँ जो अभी तक दिल्ली प्रशासन, के शिक्षा निदेशालय द्वारा ली जाती रहीं, अब से आगे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना द्वारा ली जाएँगी। इस प्रयोजन से हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली में 1-10-1980 से एक परीक्षा विंग स्थापित किया जा रहा है। अनुरोध है कि भविष्य में हिंदी शिक्षण योजना के अधीन उक्त परीक्षाओं और प्रबोध परीक्षा से संबंधित सभी पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते पर किया जाए :—

उप-निदेशक, (परीक्षा),
हिंदी शिक्षण योजना,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
10वीं मंजिल, मयूर भवन,
कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001।

2. मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि वे उक्त सूचना अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों आदि के ध्यान में लाएँ।

जी० पी० चड्ढा,
उप सचिव,
भारत सरकार

सं० सी-34011/1/80-वी० सी०

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 1980

विषय : आचरण नियमों का सख्ती से पालन करने संबंधी अनुदेश।

यह देखा गया है कि अखिल भारतीय सेवाएँ (आचरण) नियम, 1968 के नियम 18 और केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1964 के नियम 20 में दिए गए उपबंधों के बावजूद, कुछ कर्मचारी, सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों के बारे में अपने हित-साधन के लिए मंत्रियों, संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों के नेताओं, आदि से सम्पर्क करते रहे हैं। इसे एक गंभीर बात समझा गया है। इसलिए, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि यह उनके हित में है कि वे, सेवा संबंधी मामलों में अपने हित-साधन के लिए, वरिष्ठ प्राधिकारियों पर कोई राजनीतिक अथवा बाहरी दबाव न डलवाएँ। स्पष्ट है कि जो व्यक्ति उक्त आचरण नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के दोषी पाए जाएँगे, उनके खिलाफ नियमों के अधीन कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

ए० के० वर्मा,
उप सचिव,
भारत सरकार

पाठकों के पत्र

"राजभाषा भारती" के कुछ अंक देखे। इस पत्रिका से निश्चय ही पाठकों को इस बात की अच्छी जानकारी मिलती है कि अपनी राजभाषा हिंदी के संबंध में भारत सरकार, राज्यों की सरकारों और उनकी संस्थाओं तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से हिन्दी के प्रसार, प्रचार तथा प्रशिक्षण के संबंध में क्या प्रगति हो रही है। इस विषय में क्या और होना चाहिए इस पर भी पत्रिका में छपे विचारों एवं द्वारा सुझावों काफी प्रकाश पड़ता है।

मैं ऐसा मानता रहा हूँ और आज भी मानता हूँ कि राजभाषा हिन्दी का स्वरूप विस्तृत होना चाहिए, साहित्यिक और प्रान्तीय हिंदी की तरह सीमित नहीं। इसके व्याकरण में ढील मिलनी चाहिए। उर्दू के सादे शब्दों को हिन्दी के शब्द मानना चाहिए (केवल उर्दू की लिपि भिन्न है)। भारत की सभी भाषाओं के साधारण और प्रचलित शब्दों को हिंदी के शब्द बना लेना चाहिए। यही सिद्धांत भारत में प्रचलित अंग्रेजी के शब्दों के साथ होना चाहिए, पर उन शब्दों को देवनागरी में लिखना चाहिए।

परमेश्वरदीन शुक्ल,
भूतपूर्व संयुक्त शिक्षा सलाहकार
नई दिल्ली।

"राजभाषा भारती" हिंदी की प्रगति एवं प्रसार संबंधी सूचनाओं की बहुमूल्य मंजूषा है। आपके सद्प्रयास के प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए निवेदन है कि इस पत्र में आप विदेशों में हिन्दी की लोकप्रियता एवं अध्ययन-अध्यापन संबंधी सूचनाओं का आकलन भी प्रकाशित करें। इस प्रकार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी की प्रगति एवं सर्वप्रियता की आख्या एक ही पत्र के माध्यम से जनमानस तक पहुँच सकेगी।

ओम प्रकाश श्रीवास्तव,
हर्षचन्द्र इंटर कालेज, बरहज, जनपद-देवरिया

"राजभाषा भारती" का जनवरी-मार्च, 80 अंक देखा। "हिंदी के बढ़ते चरण" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित सामग्री हिन्दी के विकास कार्य की प्रगति की अच्छी जानकारी देती है। द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के बारे में प्रकाशित लेख से मुझ जैसे लोग, जो इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सके, लाभान्वित हुए होंगे। वैज्ञानिक एवं तकनीकी के क्षेत्र में हिन्दी विषय पर डा० शिवगोपाल मिश्र की रचना प्रकाशित करके आपने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। वस्तुतः शैक्षिक क्षेत्र में हिन्दी के विकास का मार्ग विज्ञान और तकनीकी जगत पर ही निर्भर है। आशा है इस समस्या पर आप आगे भी रचनाएँ प्रकाशित करते रहेंगे। राजभाषा भारती' का हर अंक हिंदी जगत के लिए संग्रहणीय और विचारणीय है।

रमेश दत्त शर्मा, संपादक "खेती"
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली।

"राजभाषा भारती" के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत जानकारी पाकर एक आह्लादपूर्ण संतोष का सृजन हुआ। निश्चित रूप से सरकार का यह प्रस्ताव साधुवाद का अधिकारी है। पत्रिका का कलेवर साफ-सुथरा एवं त्रुटिहीन है। हिन्दी-कार्यान्वयन से सम्बद्ध अधिकारियों के लिए उक्त पत्रिका समुचित दिशा-निर्देश करती है—ऐसा मेरा विश्वास है। प्रत्येक हिंदी-प्रेमी के लिए इसके अंक संग्रहणीय हैं।

देवेन्द्रनाथ त्रिवेदी,
राजभाषा अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
बख्तावर, नरीमन पाइन्ट, बम्बई।

आपके विभाग से प्रकाशित "राजभाषा भारती" पत्रिका प्राप्त हुई। सरकारी उपक्रमों के हिंदी विभागों/कक्षों के लिए उक्त पत्रिका वास्तव में उपयोगी और मार्गनिदेशक साबित होगी।

सूर्यमणि पाठक, उप महाप्रबंधक (विकास और कार्मिक)
बैंक आफ इंडिया, एक्सप्रैस टावर्स, नरीमन पाइंट, बम्बई

"राजभाषा भारती" का अंक प्राप्त हुआ। इस पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए राजभाषा विभाग का प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। पत्रिका में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, कंपनियों, निगमों आदि में हिंदी के प्रयोग, प्रसार एवं विकास से संबंधित अप्रतिम सूचना दी जाती है। अन्य सामग्री के साथ-साथ जहाँ "समाचार" शीर्षक से देश के विभिन्न भागों में आयोजित हिन्दी संबंधी कार्यकलापों की जानकारी प्राप्त होती है वहीं "हिन्दी कहाँ और कितनी" में दिए गए आंकड़ों से हिंदी के प्रयोग की स्थिति का आभास होता है।

आनन्द प्रकाश,
हिन्दी सहायक, कर्मचारी राज्य बीमा
निगम, हिन्दी अनुभाग, जयपुर।

अब तक राजभाषा भारती के नौ अंक मिल चुके हैं और हर अंक उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता नज़र आता है। मैं राजभाषा की सेवा को देश की सेवा समझता हूँ। मुझे खुशी है कि "राजभाषा भारती" का हर एक अंक मेरी कसौटी पर पूरा उतरता है।

नजीर बनारसी, पाण्डे हवेली, वाराणसी

राजभाषा भारती की अब तक प्रकाशित सभी प्रतियाँ समय-समय पर इस कार्यालय में प्राप्त होती रही हैं। वास्तव में, ऐसी पत्रिका की नितांत आवश्यकता अनुभव की जा रही थी जोकि सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में हो रही प्रगति को प्रकाश में ला सके।

नवीनतम अंक (अप्रैल-जून 1980) में हिन्दी सलाहकार द्वारा अनुवादकों को दिए गए सुझाव सराहनीय हैं। आगामी अंकों में भी 'अनुवाद' संबंधी विभिन्न पहलुओं पर लेख-प्रलेख वांछनीय है। मानक शब्द-कोशों के प्रकाशन के बाद से अंग्रेजी में अनेकों नवीन शब्द प्रचलन में आए हैं और आते रहे हैं। परन्तु इनके हिंदी पर्याय आसानी से उपलब्ध नहीं है। अगर संभव हो, तो आप प्रत्येक अंक में किसी एक विषय-विशेष से संबंधित नवीनतम शब्दों को सूची अंग्रेजी तथा उनके हिंदी पर्यायों सहित प्रकाशित करने की व्यवस्था पर विचार करें।

बलराज शर्मा, हिंदी अधिकारी,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, 4, चौरंगी लेन, कलकत्ता।

राजभाषा भारती के दो अंक मिले। पत्रिका का स्तर ऊँचा और गंभीर है। जिस उद्देश्य से यह पत्रिका प्रकाशित की जा रही है, उसकी पूर्ति इसके पठन-पाठन एवं प्रचार से हो सकती है। भारत सरकार के प्रत्येक विभाग में हिंदी का काम दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है या घट रहा है—इसका पाठक को भलीभाँति ज्ञान कराया जा सकता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों को राजभाषा के प्रति जवाबदेही जताने की है। अहिन्दीभाषी राज्यों को अपने काम तथा हिन्दी के प्रयोग से आकर्षित करना है और अपनी ओर खींचना है। हिंदी भारत की सभी भाषाओं में अधिक बोली, समझी, लिखी ही नहीं-जाती बल्कि अधिक सहज और सरल है। इस बात को क्रियात्मक रूप से सिद्ध कर दिखाना है। इसका उदाहरण और उद्धरण इस पत्रिका के माध्यम से प्रचारित किया जा सकता है।

अहिन्दीभाषी राज्यों पर हिन्दी को कभी थोपने का सवाल ही नहीं है। उनका अंग्रेजी से पिंड छुड़ाना है। उनको राज भाषा के विकास में सहयोगी बनाना है। हमारा काम अथवा उद्देश्य राजनीति से पीड़ित एवं प्रेरित न बन कर रचनात्मक हो तभी भारत की सभी समस्याएँ हल हो सकती हैं। भाषा का सवाल भी हमारी एक महती समस्या है इसे सहज और रचनात्मक रूप से हल करना है।

वाल्मीकि चौधरी, भूतपूर्व संसद सदस्य 156, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।

राजभाषा भारती का नवाँ अंक पढ़ने को मिला। पत्रिका से विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी संस्थानों में हिन्दी के बढ़ते प्रयोग के विषय में विश्वस्त जानकारी प्राप्त होती है। डॉ० विश्वदेव शर्मा का लेख "बैंकों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग" अत्यन्त महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। निस्संदेह हिंदी जानने वाला आम आदमी जो अपने अंग्रेजी-अज्ञान के कारण बैंक में जाने से बचने के उपाय सोचता है, बिना किसी हिचक के बैंक में जाएगा। बैंकों में हिंदी का प्रयोग आम आदमी के बीच बैंकिंग आदत को अपनाने में सहायक सिद्ध होगा।

बैंक कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए सभी बैंक अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी को एक विषय रूप में पढ़ाने लगे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ बैंकर्स द्वारा बैंकोन्मुख हिन्दी प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करने पर अपने कर्मचारियों को समुचित आर्थिक प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं मसलन कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र में जोकि विशाल और फैला हुआ है कम से कम लिपिक वर्ग की भरती तथा लिपिक वर्ग से पदोन्नति के लिए हिन्दी माध्यम से परीक्षाएँ लेना आरंभ कर दी जाए और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स द्वारा ली जाने वाली कम से कम सी० ए० आई० आई० बी० की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी माध्यम से देने की छूट दी जाए।

रंजन उपाध्याय, 1211/21-बी, चण्डीगढ़।

हर्ष का विषय है कि यह पत्रिका न केवल कलेवर की दृष्टि से स्तुत्य है अपितु इसमें संग्रहीत की जाने वाली सामग्री भी सुन्दर बन पड़ी है। जहां माननीय रेल मंत्री पं० कमलापति त्रिपाठी के लेख द्वारा रेलों में हुई हिन्दी की प्रगति की झलक मिलती है वहाँ विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव ने भारतीय मनीषा, चिन्तनधारा और अपने गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति की एकसूत्रता के विषय में प्रकाश डालते हुए भाषा को विचारों की संवाहिका माना है और हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान पर जोर दिया है। भाषा की सरलता, सहजता और सुबोधगम्यता के विषय में संसद-सदस्य श्री योगेन्द्र शर्मा एवं राजभाषा विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री कृपा नारायण के लेख पठनीय हैं। सरकारी प्रकाशनों तथा उसके वितरण की समस्याओं पर डॉ० श्याम सिंह शशि का लेख सामयिक और विचारोत्तेजक है।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार के लिए पिछले 17 वर्षों से प्रयत्न हो रहा है और ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि सरकार यह प्रयास ईमानदारी से नहीं कर रही है। फिर भी ऐसे क्या कारण हैं कि इतने लम्बे समय में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है? अतः अच्छा हो, यदि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के मूर्धन्य विद्वानों को राजभाषा हिन्दी की प्रगति के विषय में कोई विषय देकर उनसे लेख आमंत्रित किए जाएँ। संभव है कि विभिन्न भाषाओं के विद्वानों के विचारों के मंथन के फलस्वरूप जो अमृत कलश

प्राप्त होगा उससे न केवल राजभाषा हिंदी अपितु भारत की सभी समकालीन भाषाओं को जीवंतता तथा अमरत्व की प्राप्ति होगी।

बृजलाल भादू, अवर सचिव,
इलेक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली

"राजभाषा भारती" की प्रतियों को नियमित रूप से भेजे जाने के लिए शुक्रिया। राजभाषा भारती को जब कभी भी देखने का अवसर मिला इसमें प्रकाशित सामग्री द्वारा हिंदी को अधिक विकसित करने में आपका प्रयत्न वरदान सिद्ध हुआ है। न केवल लेख ही रुचिकर हैं उसके साथ-साथ कर्मचारीगण हिंदी के विकास से संबंधित जारी किए गए आदेशों/निदेशों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि एक उत्साहवर्द्धक बात है।

लेखों का चयन जिस खूबी के साथ किया जाता है वह भी सराहनीय है। तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण अपने आप में अद्वितीय है जिससे न केवल कर्मचारी की ज्ञानवृद्धि ही होती है अपितु हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए भी कर्मचारी-गण उत्साहित होते हैं।

अमरीक सिंह, हिन्दी अधिकारी,
दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०,
55 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली

राजभाषा भारती का अप्रैल-जून 1980 का अंक प्राप्त हुआ। विषय चयन एवं साज-सज्जा स्पृहणीय है। संसद सदस्य श्री योगेन्द्र शर्मा का 'संघ की राजभाषा की भाषा' लेख पठनीय है। उनका यह कहना सर्वथा उचित है कि हिन्दी को अधिक क्लिष्ट न बनाकर उसे व्यावहारिक बनाया जाए तभी उसे विशाल भारत की जनता हृदय से स्वीकार करेगी। राजभाषा के नाते हिन्दी का यह दायित्व है कि वह यथासंभव प्रादेशिक भाषाओं के भी शब्दों को आत्मसात कर पुण्यतोया भागीरथी की तरह भारत के जन-मन को संतुष्ट करें।

श्री कृपानारायण (भू०पू० सचिव, राजभाषा विभाग) ने अपने लेख 'अनुवाद की भाषा और हिन्दी का स्वरूप' में ठीक ही कहा है कि सारे संसार में वे ही भाषाएँ आगे बढ़ी हैं जिनमें और भाषाओं को पचाने की शक्ति है, औरों के शब्द लेने की शक्ति है तथा औरों को साथ लेकर चलने का साहस है।

वास्तव में राजभाषा भारती हिंदी के मर्मज्ञ विद्वानों के लेख प्रकाशित कर हिन्दी के संबंध में भ्रान्त धारणाओं का निराकरण करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। आशा है इस पत्रिका द्वारा हिंदी का स्वरूप निखरेगा और उसके विकास में सहायता मिलेगी।

जयवंशी झा शास्त्री, वरिष्ठ पत्रकार,
सदस्य रेलवे हिंदी सलाहकार समिति,
सी 10/आई, रेलवे कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली-24

क, ख, ग क्षेत्रों के लिए वर्ष 80-81 का (हिंदी) कार्यक्रम प्रकाशित करके आपने अन्य क्षेत्रों के लोगों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी का लेख विवरणात्मक तो है ही; पर खेद इस बात का है कि तमिलनाडु में स्नातकोत्तर (हिन्दी) अध्ययन की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने जहाँ मद्रास विश्वविद्यालय का नाम लिया है, वहाँ दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के उच्च शिक्षा और शोध संस्थान का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा, जबकि सन् 1964 से लेकर आज तक करीब 120 लोग एम० ए० और 12 लोग पी एच० डी० की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान के कार्यकलापों में भी प्रो० रेड्डी का पर्याप्त योगदान रहा है।

कलैवाणन्, हिंदी अधिकारी,
कृ० पु० वि० निगम, अहमदाबाद।

मैं 'राजभाषा भारती' की नियमित पाठिका हूँ। अब तक इसके नौ अंक निकले हैं जिन सभी का मैंने गहराई से अध्ययन किया है। पहले अंक से लेकर नवें अंक तक इसके स्तर में जो सुधार हुआ है उसके लिये सम्पादक गण निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इस बार बैंकों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग, अनुवाद की भाषा और हिन्दी का स्वरूप तथा संघ की राजभाषा की भाषा जैसे लेखों को समाविष्ट कर पत्रिका के इस अंक को और अधिक रोचक और उपयोगी बना दिया गया है जिससे यह पत्रिका इस बार "टीचिंग विद डिलाइट" पर खरी उतरी है।

राजकुमारी, वरिष्ठ अनुवादिका
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।

इस बार राजभाषा भारती का अंक (9) मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत हिंदी अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक व प्रेरणाप्रद है। विशेषकर राजभाषा विभाग के तत्कालीन सचिव, श्री कृपा नारायणजी का केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में दिया गया भाषण बहुत ही उपयोगी है। उन्होंने जो मार्ग दर्शन दिया है वह भारत सरकार के कार्यालयों व अन्य उपक्रमों में लगे हिन्दी अधिकारियों, अनुवादकों आदि के लिए मार्गदर्शी हैं। इस अंक में प्रो० जो० सुन्दर रेड्डी, अध्यक्ष, हिंदी, विभाग, आँध्र विश्वविद्यालय के लेख में जो सुझाव हैं वह बहुत ही लाभप्रद है। साथ ही संसद सदस्य श्री योगेन्द्र शर्मा जी ने जो कठिनाई अपने लेख में व्यक्त की है वह बिल्कुल उचित हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए अन्यथा हिंदी का प्रयोग कितने वर्षों तक बढ़ाते जाएँ स्थिति ज्योंकी त्यों रहेगी।

गोरखनाथ, हिंदी अधिकारी
पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

कार्यालयीन हिंदी की जानकारी बढ़ाइए :

इस अंक से हम प्रशासनिक शब्दावली तथा कार्यालयीन हिन्दी के कुछ शब्द और वाक्यांश प्रकाशित कर रहे हैं जिससे कार्यालयों में हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में सहायता मिल सकेगी अधिकतर प्रयोग में आने वाले वाक्य अथवा वाक्यांशों के 60 नमूने नीचे प्रस्तुत हैं —

Sl. No. Notes in English	Hindi equivalents
1. Draft for approval.	अनुमोदन के लिए मसौदा।
2. For early orders.	शीघ्र आदेश के लिए।
3. For perusal.	अवलोकन के लिए/देखने के लिए।
4. For Favour of orders.	आदेश के लिए।
5. For favourable action.	अनुकूल कार्रवाई के लिए।
6. For signature.	हस्ताक्षर के लिए।
7. For onward transmission.	आगे भेजने के लिए।
8. For perusal & return.	देखकर लौटाने के लिए।
9. Forwarded & recommended.	अग्रेषित और संस्तुति/सिफारिश की जाती है।
10. For sympathetic consideration.	सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए।
11. Instructions are solicited.	कृपया अनुदेश दें/हिदायत दें।
12. Minister has seen.	मंत्री जी ने देख लिया है।
13. Needs no comments	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
14. No reference in coming.	पिछला निर्देश/सन्दर्भ/हवाला नहीं मिल रहा है।
15. Order has been communicated.	आदेश भेज दिया गया है।
16. Relevent orders are flagged.	संगत आदेशों पर पर्ची लगा दी गई है।
17. Seen and spoken.	देख लिया और बात कर ली।
18. Submitted for information.	सूचना के लिए प्रस्तुत।
19. Submitted for orders.	आदेश के लिए प्रस्तुत।
20. Submitted for perusal.	अवलोकन के लिए प्रस्तुत।
21. Approved as proposed.	यथा प्रस्ताव/प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित।
22. Await further action.	आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा करें।
23. Await further report.	अगली रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें।
24. Discripancy may be reconciled.	विसंगति का समाधान कर लिया जाए।
25. Do the needful.	आवश्यक कार्रवाई करें।
26. Further orders will follow.	आगे और आदेश भेजे जाएँगे।
27. I agree.	मैं सहमत हूँ।

Sl. No. Notes in English	Hindi equivalents
28. Issue today.	आज ही भेजिए/भेज दिया जाए।
29. Issue as amended.	यथा संशोधित/संशोधित रूप में भेज दीजिए।
30. Issue reminder urgently.	तुरंत अनुस्मारक/स्मरण-पत्र भेजिए।
31. Keep in abeyance.	मुल्तवी रखा जाए।
32. Keep with the file.	इसे मिसिल/फाईल के साथ रखिए।
33. Matter is under consideration.	मामला (विषय) विचाराधीन है।
34. Obtain formal sanction.	औपचारिक संस्वीकृति/मंजूरी प्राप्त करें।
35. Office to note and comply.	कार्यालय ध्यान दे और पालन करे।
36. Open part file.	खण्ड फाइल खोलें।
37. Order may be issued.	आदेश जारी कर दिया जाए।
38. Please discuss.	चर्चा कीजिए।
39. Please speak.	बात कीजिए।
40. Please put-up.	कृपया प्रस्तुत करें।
41. Please keep pending.	कृपया इसे रोक रखा जाए।
42. Please circulate and file.	सभी को दिखाकर फाइल कर दीजिए।
43. Please inform immediately.	तत्काल सूचित कर दीजिए।
44. Please expedite compliance.	शीघ्र अनुपालन कीजिए।
45. Paper under consideration.	विचाराधीन कागज/(वि० का०)।
46. Passed for payment.	भुगतान के लिए पास किया गया।
47. Reminder may be sent.	अनुस्मारक/स्मरण-पत्र भेज दें।
48. Sanctioned as proposed.	प्रस्ताव के अनुसार मंजूर/यथा प्रस्ताव संस्वीकृत।
49. Seen, Issue.	देख लिया, जारी कर दिया जाए।
50. Seen and returned.	देखकर वापस किया जाता है।
51. Seen in administrative Section.	प्रशासन अनुभाग ने देख लिया है।
52. Secretary need not be troubled.	इसे सचिव को भेजना जरूरी नहीं है।
53. Attention : Shri————————	श्री————————ध्यान दें।
54. Delay regretted.	विलम्ब के लिए खेद है।
55. For consideration.	विचार के लिए
56. Kindly acknowledge receipt.	कृपया पावती/प्राप्ति सूचना भेज दी जाये।
57. Needful done.	आवश्यक/अपेक्षित कार्रवाई की जा चुकी है।
58. Returned duly endorsed.	उचित पृष्ठांकन के बाद लौटाया गया।
59. The proposal is self explanatory.	प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है।
60. Verified and found correct.	पड़ताल की और ठीक पाया।

भुवनवाणी ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा प्रकाशित ग्रंथों की सूची

	नागरी लिपि में सानुवाद प्रकाशित ग्रंथ		पृष्ठ	मूल्य
1	मलयालम	महाभारत (एलुत्तच्छन् कृत) 15वीं शती	1216	60.00
2	,,	अध्यात्म रामायण, उत्तर रामायण (एलुत्तच्छन् कृत) 15वीं शती	752	80.00
3	बंगला	कृत्तिवास रामायण (आदि, अयोध्या, अरण्य, किष्किधा और सुन्दरकाण्ड) रचनाकाल 15वीं शती	624	25.00
4	,,	(लंकाकाण्ड) 15वीं शती	488	15.00
5	कश्मीरी	रामावतार चरित (प्रकाशराम कुर्यग्रामी कृत) 18वीं शती	489	20.00
6	,,	लल्द्यद (कश्मीर की आदि कवयित्री लल्द्यद के वाक्यों का संकलन) 14वीं शती	120	10.00
7	फ़ारसी	सिर्रे अक्बर (दाराशिकोह कृत उपनिषद् भाष्य प्रथम खण्ड) ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर	280	20.00
8	उर्दू	शरीफ़ज़ादः (डॉ० रुस्वा कृत)	136	8.00
9	,,	गुज़श्तः लखनऊ (मो० अब्दुल हलीम शरर कृत)		
10	गुरमुखी	श्रीजपुजी सुखमनी साहिब—मूलपाठ एवं ख्वाजः दिलमुहम्मद कृत अनु०	164	8.00
11	,,	श्री सुखमनी साहिब (मूल गुटका)	240	4.00
12	,,	श्री गुरुग्रन्थ साहिब (प्रथम सैंची)	968	40.00
13	,,	,, ,, (द्वितीय सैंची)	992	50.00
14	मराठी	श्री रामविजय (श्रीधर कृत) 17वीं शती	1228	60.00
15	तमिल	कम्ब रामायण (बालकाण्ड) 14वीं शती	652	40.00
16	,,	,, ,, (अयोध्या , अरण्यकाण्ड)		
17	,,	तिरुक्कुरल् तिरुवलल्लुवर (कृत 2000 वर्ष प्राचीन)	352	20.00
18	नेपाली	भानुभक्त रामायण	344	20.00
19	कन्नड़	रामचन्द्र चरित पुराणम् (अभिनव पम्प) जैन सम्प्रदाय (11वीं शती)	690	40.00
20	राजस्थानी	रुकमणी मंगल (पदम भगत विरचित)	300	15.00
21	तेलुगु	मोल्ल रामायण (14वीं शती)	400	20.00
22	,,	रंगनाथ रामायण (13वीं शती)	1335	60.00
23	सिंधी	सामी, शेख, सचल की त्रिवेणी	415	20.00
24	ओड़िया	रामचरितमानस (मूलपाठ ओड़िया लिपि में तथा ओड़िया गद्य-पद्य अनुवाद)	1464	60.00
25	,,	बैदेहीश विलास (उपेन्द्र भंज कृत, 18वीं शती)	1000	60.00
26	गुजराती	गिरधर रामायण (19वीं शती)	1432	60.00
27	असमिया	माधव कंदली रामायण (14वीं शती)	943	60.00
28	अरबी	ज़ाद सफ़र (प्रामाणिक हदीस)	336	12.00
29	,,	क़ुर्आन शरीफ़ (सटीक) अरबी, नागरी दोनों लिपियों में मूलपाठ, हिंदी अनुवाद एवं टिप्पणी (ल० कि० घ०)	1024	40.00
30	,,	,, ,, (मुअर्रा-मूल) ,,	1024	40.00
31	,,	,, ,, (केवल हिंदी अनुवाद सटिप्पण) ,,	530	20.00
32	,,	क़ुरानिक कोश (क़ुर्आन के पठनक्रम में) ,,	192	10.00
33	वाणीसरोवर—बहुभाषाई त्रैमासिक पत्र		(वार्षिक)	10.00

खरीता महाराज बीकानेर के नाम---तारीख 17वीं अप्रैल 1865

शानकरनेल इलयट साहिब बहादर बैकुंठ बा
सीके दोस्तदार के नाम मुकर्रर हुवा इस वा
स्ते राज कू लिखने में आता है कि जो कुछ
कामकाज राज की रियासत का इस
जगह से इलाका रखता है दस्तूर के
मवाफिक हमेशह दोस्तदार कू तह
रीर फरमा बुनयाद दोस्ती और इख
लास को मजबूत वा पायदार रखना फर
माते रहैं और हमेशाह अपनी खुशी
मिजाज के समाचार से मसरूर फर
माते रहें तारीख १७ वीं अपरैल सन
१८६५ ईस्वी

इसी ऊपर लिखे हुए मजमून मवाफक

भारतीय भाषाएँ सीखिए

विनोबा भावे ने कहा था "जैसे इन्द्र धनुष में भिन्न--भिन्न रंग होते हैं, वैसे ही हिन्दुस्तान में भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं। भारत के लोगों को दो-तीन भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए। इससे खूब ज्ञान मिलेगा, बुद्धि व्यापक होगी, एक दूसरे की भाषा सीखने से प्रेम बढ़ेगा, व्यवहार सुगम होगा और हिन्दुस्तान की ताकत बढ़ेगी।" राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,वर्धा के निम्नलिखित प्रकाशनों से हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के माध्यम से आप भारतीय भाषाओं का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक पुस्तक का मूल्य रु० 4.00 (डाक व्यय अतिरिक्त) है।

1. भारत भारती (तेलुगु)
2. भारत भारती (तमिल)
3. भारत भारती (कन्नड़)
4. भारत भारती (मलयालम)
5. भारत भारती (मराठी)
6. भारत भारती (गुजराती)
7. भारत भारती (ओड़िया)
8. भारत भारती (बंगला)
9. भारत भारती (असमिया)
10. भारत भारती (मणिपुरी)
11. भारत भारती (पंजाबी)
12. भारत भारती (सिंधी)
13. भारत भारती (कश्मीरी)

बंबई प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कांग्रेस हाउस,
विट्ठलभाई पटेल रोड, बंबई-400004।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार, मुद्रणालय फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।